



The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005

Act 27 of 2005

Keyword(s):

Assessee, Business Indication, Casual Dealer, Dealer, Goods, Importer, Lease, Input Tax, Lessee, Lessor, Manufacture, Non-resident Dealer, Person, Place Of Business, Purchase, Purchase Price, Recipient, Registered Dealer, Reverse Tax, Sale, Sale Invoice, Sale Price, Special Category Goods, Tax Period, Taxable Turnover, Transporter, Turnover of Sales, Turnover of Purchase, Vehicle, Value of Goods, Vessel, Works Contract

Amendments appended: 5 of 2008, 11 of 2010, 9 of 2012

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

पृष्ठ
संख्या

86

87

87

87

88

88

92

92

93

93

96

98

र 101

र 102

107

दृष्ट

108

य

109

ये

113



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2005 ई0

कार्तिक 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 615/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 पर दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 27, 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य में माल के क्रय और विक्रय पर मूल्य वर्धित कर के उद्ग्रहण सम्बन्धी विधि का उपबंध करने और उसको समेकित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नवत् यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 है।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
- (3) यह 1 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं:

इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर या कोई अन्य धनराशि देय है और इसमें वह प्रत्येक व्यक्ति भी है जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है;
- (2) "करनिर्धारक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी के समी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (3) "कर निर्धारण वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है;
- (4) "अपील प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको धारा 51 के अधीन अपील की जा सकेगी;
- (5) "अपील अधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
- (6) "कारबार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-

- (क) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण, या
- (ख) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान, या
- (ग) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित या इनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई संव्यवहार, या
- (घ) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान की प्रकृति का कोई यदा कदा होने वाला संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार में परिमाण, आवृत्ति निरन्तरता या नियमितता है अथवा नहीं, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान अभिलाम या लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई अभिलाम या लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं, या
- (ङ) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो), और
- (च) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, अपशिष्ट पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकृति का कोई अन्य माल अथवा कोई अप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीनरी या उसका कोई पुर्जा या सहायक सामान या कोई अपशिष्ट पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी वस्तु क्रय, विक्रय या सम्मरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, वह कोई भी हो, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान या संकर्म संविदा या पट्टे का आनुषंगिक हो या उससे सम्बद्ध हो या उसके परिमाण स्वरूप हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है, जिसमें माल क्रय करना या विक्रय करना अन्तर्गस्त न हो;

(7) "नी
अवधि
क्रय, वि
उत्तरांच
भुगता
(8) "पू
नियन्त्र
विनिर्मा
के माल
है, को
(9) "क
नियुक्त
ज्वाइन्
(10) ?
(11) ?
में अथ
या अप्र
अन्य म
इसके

(7) "नैमित्तिक ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्ता, अभिकर्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तरांचल राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो;

(8) "पूँजीगत माल" से ऐसा संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर (जिसमें पर्यावरण नियन्त्रक उपस्कर, गुणवत्ता नियन्त्रक उपस्कर या प्रयोगशाला उपस्कर सम्मिलित हैं) अभिप्रेत हैं जिनका उपयोग कराघेय माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाता है किन्तु इस अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल और ऐसा माल भी जब उसका उपयोग सिविल संरचना में, जैसा कि विहित किया जाये, किया जाता है, को छोड़कर;

(9) "कमिश्नर" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर कमिश्नर अभिप्रेत है और इसमें सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर श्रेणी-1, एडिशनल कमिश्नर श्रेणी-2, ज्वाइन्ट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सम्मिलित हैं;

(10) "प्रारम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होगा;

(11) "ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारबार के प्रयोजनों के लिये या उसके सम्बन्ध में अथवा उससे प्रासंगिक अथवा उसके अनुक्रम में उत्तरांचल में (चाहे लाभ के उद्देश्य से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नियमित रूप से या अन्यथा) नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण या वितरण करने का कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, छावनी परिषद नामधारक स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत्तशासी या कानूनी निकाय;

(ख) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग, बीमा या व्यापारिक उपक्रम, चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो अथवा नहीं;

(ग) कोई कमीशन अभिकर्ता, मध्य वर्ग, दलाल, आदती, परिशोधी अभिकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये, और चाहे इसमें इसके पूर्व उल्लिखित वर्णन का हो या न हो, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता की ओर से माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण या वितरण करने का कारबार करता है;

(घ) कोई व्यक्ति जो राज्य के भीतर किसी अनिवासी ब्यौहारी अर्थात् राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी ब्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्मरण या वितरण करता है या ऐसे ब्यौहारी की ओर से, निम्नलिखित रूप से कृत्य करता है:-

(i) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता, या

(ii) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता, या

(iii) माल की विक्रय कीमत के संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रत्याभूतिदाता;

(ङ) कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय, क्लब, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अथवा संयुक्त कुटुम्ब की कोई अन्य पद्धति, व्यक्तियों का संगम, न्यास और सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, चाहे ऐसी सोसाइटी निगमित हो या गैर निगमित, और जो ऐसा कारबार करते हैं जिसमें अपने सदस्यों के लिये माल क्रय करना या उनको किसी कीमत, फीस या अभिदाय के लिये विक्रय करना सम्मिलित है, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में की गयी हो या नहीं;

या कोई अन्य
र के निर्धारण

किन्हीं कृत्यों

;

ई:

गी जा सकेगी;

अभिप्रेत है;

प्रासंगिक या

गदा होने वाला

ई अथवा नहीं,

पाने के उद्देश्य

स्थान से कोई

योग करने के

और

पमोज्य स्टोर,

[अप्रयोज्य या

कोई अपशिष्ट

रने का कोई

। ऐसे व्यापार,

र हो या उससे

[त्ति की प्रकृति

न्तर्गत न हो;

- (घ) कोई अनिवासी ब्यौहारी चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म या कम्पनी या व्यक्तियों का कोई संगम या कोई अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जिनका मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो या नहीं हो, जो उत्तरांचल राज्य में ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से, सीधे या अपने अधिकर्ता के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्मरण या वितरण करता हो;
- (छ) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता के माल का विक्रय या नीलामी का कारबार करता हो; चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाता हो या कर्ता के द्वारा या कर्ता के नामनिर्देशिनी द्वारा;
- (ज) कोई नैमित्तिक ब्यौहारी;
- (झ) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा या उसके अंश के रूप में अथवा अन्य किसी रीति से, चाहे वह कोई भी हो, ऐसे माल जो भोज्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिये अन्य खाद्य पदार्थ या कोई पेय (मादक हो या न हो) की आपूर्ति करता हो, जहाँ पर ऐसी आपूर्ति अथवा सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये हो;
- (ञ) कोई व्यक्ति जो अपने कारबार के प्रयोजन हेतु अथवा इसके सम्बन्ध में अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में ऐसे माल का विक्रय करता है जो अदावाकृत या समपहृत या अप्रयोज्य या छीजन, अधिशेष, पुराना, अप्रयुज्यमान या व्यर्थ माल या अपशिष्ट उत्पाद है;
- (ट) कोई व्यक्ति जो किसी संविदा के अनुसरण के अन्यथा, किसी माल में सम्पत्ति के नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये अन्तरण के कारबार में लगा हो;
- (ठ) कोई व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है;
- (ड) कोई व्यक्ति जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है;
- (ढ) कोई व्यक्ति जो अवक्रय या किश्तों पर भुगतान की किसी अन्य पद्धति पर माल के परिदान के कारबार में लगा है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कृषि या उद्यान कृषि उपज का, जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उगाया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग बन्धकदार, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी नहीं समझा जायेगा;

(12) "घोषित माल" से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व वाला घोषित माल अभिप्रेत है;

(13) "दस्तावेज" से हक-विलेख, लेख या अन्तर्लेख अभिप्रेत है जिसमें इलैक्ट्रॉनिक आंकड़े, संगणक कार्यक्रम, संगणक टेप, संगणक डिस्क, संगणक फ्लॉपी और ऐसे ही साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले लेख भी हैं;

(14) "माल" से प्रत्येक प्रकार या वर्ग की जंगम सम्पत्ति (समाचार पत्र, अनुयोज्य दावे, स्टॉक, शेयर, प्रतिमूर्ति और डाक विभाग द्वारा विक्रय की जाने वाली डाक लेखन सामग्री को छोड़ कर) अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(क) पशुधन, उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से जकड़ी हों, और जिन्हें विक्रय की संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो.

(ख) किसी संकर्म संविदा के निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त सभी सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जिसमें वे माल भी सम्मिलित हैं जो किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति की फिटिंग, अभिवृद्धि या मरम्मत में अथवा किसी पट्टे या अवक्रय में अन्तर्ग्रस्त हों;

तयों का कोई
या मुख्यालय
उत्तरांचल राज्य
म से माल का

भी का कारबार
ने या कर्ता के

से, चाहे वह
दार्थ या कोई
सेवा नकद,

अथवा इससे
त या समपहृत
ष्ट उत्पाद है;
त्ति के नकद,
में लगा हो;

के रूप में हो

ये किसी माल
उपयोग करने

ल के परिदान

उज का, जिसे
स्वामी, मोग
पने द्वारा पाले
ल के सम्बन्ध

ज्यिक व्यापार

कड़े, संगणक
लेख भी हैं;
गेयर, प्रतिभूति
है और इसमें

या पृथ्वी से
दा के अधीन

थ (चाहे माल
म या स्थावर
अन्तर्गत हों;

(15) "सरकार" से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(16) किसी माल के सम्बन्ध में, "आयातकर्ता" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो राज्य में माल का आयात किये जाने के पश्चात् प्रथम बार उसका विक्रय करे;

(17) "इनपुट टैक्स" किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स" से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड़ कर किसी कराधेय माल जो पुनः विक्रय के लिये या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिये या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये पात्र या संवेष्टन सामग्री के लिये उपयोग किया जाय, के क्रय पर संदत्त या देय कर अभिप्रेत है;

(18) "पट्टा" से कोई करार या ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी माल के उपयोग का अधिकार किसी भी अवधि के लिये (चाहे विनिर्दिष्ट हो या नहीं) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिना स्वामित्व के अन्तरण के अन्तरित किया जाता है, और जिसमें उप-पट्टा सम्मिलित है किन्तु अवक्रय या किशतों द्वारा भुगतान की किसी प्रणाली द्वारा अन्तरण सम्मिलित नहीं है;

(19) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय;

(20) "पट्टाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाता है;

(21) "विनिर्माण" से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं जो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरूप किसी नई और भिन्न वस्तु, जैसा कि व्यावसायिक भाषा में समझा जाता है, में रूपान्तरण हो जाता है, और इसमें किसी माल का उत्पादन करना, बनाना, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकरण, परिरूपण, संयोजन या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत विनिर्माण की कोई ऐसी प्रक्रिया या पद्धति जो विहित की जाये, सम्मिलित नहीं होगी;

(22) किसी माल के सम्बन्ध में, "विनिर्माता" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो माल के विनिर्माण के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसका विक्रय करे और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है जो किसी ऐसे अन्य ब्यौहारी से क्रय करता है जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त विक्रय से भिन्न, अपने विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं है;

(23) "अनिवासी ब्यौहारी" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो उत्तरांचल में कारबार करता है किन्तु जिसका उत्तरांचल में कारबार या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है;

(24) "राजपत्र" से उत्तरांचल सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है;

(25) "किसी जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी" के अन्तर्गत वाणिज्यकर अधिकारी श्रेणी-2 से अर्निम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी है जो ऐसी जाँच चौकी या नाका पर तैनात हो;

(26) किसी पंजीकृत व्यापारी के सम्बन्ध में, "आउट पुट टैक्स" से किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के दौरान किसी कराधेय माल के विक्रय अथवा सम्मरण पर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभारित अथवा प्रमार्य कर अभिप्रेत है और इसमें किसी कमीशन अधिकर्ता द्वारा ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय की बाबत संदत्त कर सम्मिलित है;

(27) "व्यक्ति" में सम्मिलित हैं—

(क) कोई व्यक्ति,

(ख) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब,

(ग) कम्पनी या निगम,

(घ) फर्म,

(ङ) व्यक्तियों का संगम अथवा व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं,

- (च) केन्द्रीय सरकार या उत्तरांचल सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार,
- (छ) स्थानीय प्राधिकरण, क्लब, सोसाइटी या न्यास;
- (28) "कारबार का स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जहाँ कोई ब्यौहारी अपना कारबार करता है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
- (क) कोई दुकान, भाण्डागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान जहाँ ब्यौहारी अपने माल का भण्डारण करता है,
- (ख) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है,
- (ग) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी अपनी लेखाबही रखता है,
- (घ) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी संकर्म संविदा निष्पादित करता है या माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है,
- (ङ) किसी भी मामले में जहाँ कोई ब्यौहारी किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान,
- (च) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी या कोई व्यक्ति माल की बुकिंग या परिदान करता है और कोई यान या कोई अन्य वाहक जिसमें माल का भण्डारण किया जाता है या जिसका माल के परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है;
- (29) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित अभिप्रेत है;
- (30) "क्रय" का उसके व्याकरणिक रूप—भेद और सजातीय पदों सहित, अर्थ शब्द "विक्रय" से लगाया जायेगा;
- (31) "क्रय कीमत" से किसी माल के क्रय के लिये किसी व्यक्ति द्वारा, कारबार प्रथा के अनुसार नकद डिस्काउंट के रूप में विक्रेता द्वारा अनुज्ञात किसी रकम को घटा कर, संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है और इसमें उस माल के परिदान के समय या उसके पूर्व माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा की गई किसी बात के लिये प्रमारित कोई रकम, भाड़े या परिदान की लागत के या संस्थापन की लागत के लिये जब ऐसी लागत पृथक्कतः प्रमारित की गई हो, से भिन्न राशि सम्मिलित होगी;
- (32) "प्राप्तकर्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यथापरिभाषित माल प्राप्त करता है;
- (33) "पंजीकृत ब्यौहारी" से इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है जिसने स्वैच्छिक रूप से पंजीयन प्राप्त किया है;
- (34) "निरसित अधिनियम" से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अभिप्रेत है;
- (35) "निरसित अध्यादेश" से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 अभिप्रेत है;
- (36) "पुनःविक्रय" से क्रय किये गये माल का निम्नवत विक्रय अभिप्रेत है:—
- (क) जो उसी रूप में की गयी है जिसमें उन्हें क्रय किया गया था, या
- (ख) किसी माल के विनिर्माण में उनका उपयोग किये बिना, या
- (ग) उक्तमें कोई ऐसी बात किये बिना जो विनिर्माण के तुल्य है या जिसका परिणाम विनिर्माण है;
- (37) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित और/या प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है;
- (38) "विलोम कर" से माल के क्रय पर कर के उस अंश से अभिप्रेत है जिसका लाभ लिया जा चुका है लेकिन ऐसे माल का बाद में राज्य के भीतर कराघेय माल के पुनः विक्रय अथवा कराघेय माल के विनिर्माण अथवा संकर्म संविदा के निष्पादन अथवा डिब्बे या संवेष्टन सामग्री से भिन्न प्रयोजन से किया गया हो;
- (39) "नियम" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (40) "विक्रय" से उसके व्याकरणिक रूप—भेद और सजातीय पदों सहित, ऐसे माल के स्वामित्व के (बन्धक, दृष्टिबन्धक, प्रमार या गिरवी से भिन्न रूप में) अन्तरण अभिप्रेत हैं जो व्यापार या कारबार के दौरान एक

व्यक्ति से दू
और इसके :

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

स्पष्टीकरण

(क)

(ख)

(ग)

स्पष्टीकरण
के होते हुये
संकर्म संविदा
अन्तरण केस्पष्टीकरण
निम्नलिखित

(क)

(ख)

शासित प्रदेश

व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:-

है, और इसमें

(क) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के स्वामित्व का संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण;

का भण्डारण

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गुस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);

के उपयोग के

(ग) अवक्रय या किरतों में भुगतान की किसी पद्धति के आधार पर माल का परिदान;

नाम से पुकारा

(घ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) का अन्तरण;

करता है और है या जिसका

(ङ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्मरण;

या जारी की

(च) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति वह कोई भी क्यों न हो, से माल का, जो मानव उपयोग के लिये खाद्य, या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय हो (चाहे मादक हो या नहीं), सम्मरण, जहाँ ऐसा सम्मरण या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये हो;

श से लगाया

(छ) माल के स्वामित्व का अन्तरण उपधारा (11) के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट नीलामकर्ता द्वारा या किसी ब्यौहारी द्वारा बैंकिंग या बीमें की प्रकृति के किसी अन्य कार्यकलाप के दौरान माल का विक्रय जो अपने मुख्य क्रियाकलाप के साथ कब्जे में आये या पुनः दावे में आये माल का विक्रय भी करते हैं;

अनुसार नकद

और खण्ड (क) से खण्ड (छ) तक के अधीन किसी माल का ऐसा परिदान अन्तरण या सम्मरण उस व्यक्ति द्वारा उस माल का विक्रय समझा जायेगा जो माल का परिदान, अन्तरण या सम्मरण करता है और वह व्यक्ति इस माल का क्रेता होगा जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या सम्मरण किया गया है;

वान प्रतिफल

न्ध में विक्रेता

संस्थापन की

गी;

धत माल प्राप्त

ऐसा ब्यौहारी

अनुकूलन एवं

/या प्रस्तुत

जा चुका है

के विनिर्माण

या गया हो;

के (बन्धक,

दौरान एक

स्पष्टीकरण 1 : कोई विक्रय या क्रय राज्य में हुआ नहीं समझा जायेगा यदि माल का विक्रय-

(क) अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में किया गया है; या

(ख) विक्रय से भिन्न अन्यथा उत्तरांचल राज्य के बाहर किया गया है; या

(ग) भारत के राज्य क्षेत्र अन्दर आयात अथवा क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किया गया है;

स्पष्टीकरण 2 : उपखण्ड (ख) के अधीन क्रय या विक्रय राज्य के भीतर किया गया समझा जायेगा, इस बात के होते हुये भी कि संकर्म संविदा के लिये करार पूर्णतः या भागतः राज्य के बाहर किया गया हो, यदि संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गुस्त माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण के समय राज्य में हो;

स्पष्टीकरण 3 : इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दशाओं में दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुआ समझा जायेगा-

(क) जब माल कर्ता से उसके विक्रय अभिकर्ता को, और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को अन्तरित किया जाय; या

(ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को, और क्रय अभिकर्ता से उसके कर्ता को अन्तरित किया जाय, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता द्वारा उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में-

(i) माल का विक्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को विक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है, या

(ii) माल का क्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है, या

(iii) अपने कर्ता की ओर से किये गये विक्रय या क्रय में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने कर्ता को नहीं दिया गया है, या

(iv) किसी काल्पनिक या अविद्यमान कर्ता के लिये कार्य किया गया है;

(41) "विक्रीबीजक" से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें विक्रीत माल, उसकी कीमत, मात्रा, प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में विहित की जाये, का विवरण दिया गया हो;

(42) "विक्रय कीमत" से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो ब्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिये प्राप्त की गई है या प्राप्य है और इसके अन्तर्गत ब्यौहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा:-

(क) कोई धनराशि जो सामान्य व्यवसाय प्रथा के अनुसार माल के विक्रेता द्वारा नकद कटौती, कमीशन अथवा व्यापार कटौती के रूप में क्रेता को माल के विक्रय के समय अनुज्ञात की गई हो,

(ख) अग्रिम भाड़े अथवा परिदान लागत या संस्थापन व्यय, ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी लागत अलग से प्रभारित की गई हो,

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर की धनराशि, यदि ब्यौहारी द्वारा अलग से प्रभारित की गयी हो;

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन हेतु "विक्रय कीमत" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) अवक्रय अथवा किरतों पर मुगतान की किसी प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि जिसमें माल के स्वामित्व का क्रय पूर्ण करने अथवा अर्जन करने के उद्देश्य से जमा धनराशि या अन्य प्रारम्भिक मुगतान सम्मिलित हैं और इसमें किराया प्रभार, ब्याज और अन्य प्रभार जो इस संव्यवहार के प्रासंगिक हों, सम्मिलित हैं किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति या नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है,

(ख) किसी भी प्रयोजन हेतु माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल या माल के उपयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के लिये प्राप्त या प्राप्य भाड़ा प्रभार, किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है,

(ग) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल, जिसमें से श्रम और ऐसे अन्य प्रभारों को जो विहित किये जायें, दर्शाने वाली वास्तविक धनराशि को घटा कर, किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में कोई धनराशि शामिल नहीं है,

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, जैसा कि उत्तरांचल में लागू है, के अन्तर्गत ऐसे माल की बन्धित भाण्डागार से निकासी के समय संदत्त या देय शुल्क, चाहे ऐसा शुल्क विक्रेता द्वारा या उनकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय हो, की धनराशि,

(ङ) संवेष्टन सामग्री जिसमें विक्रीत माल पैक किया जाता है, की कीमत;

(43) "विशेष प्रवर्ग का माल" से इस अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट ऐसा माल अभिप्रेत है जिस पर आयातकर्ता या विनिर्माता के बिन्दु पर कर देय है;

(44) "राज्य" से उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है;

(45) "राज्य सरकार" से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(46) "कर" यथा उपर्वा धनराशि) 3

(47) "कर" विहित किये

(48) "कराध कटौतियों" 2 मुगतान का

(49) "परिदा इससे प्रासंगिक के लिये पार कम्पनी, वार

(50) "विक्रय दूसरे के द्वा के लिये कि

स्पष्टीकरण विक्रय या स के लिये प्रम

होगी जिस मान्यता प्राप्त गया है, लेकि अन्य उपज

स्पष्टीकरण

(क)

(ख)

(ग)

स्पष्टीकरण रहते हुए-

(क)

कीम

के 1

गया

विक्र

पृथ

(ख)

ग्राह

समि

ये सम्पूर्ण संग्रहों

1, मात्रा, प्रभारित
विहित की जाये,

द्वारा किसी माल
परिदान के समय
उत्पाद शुल्क,
सम्मिलित नहीं

नकद कटौती,
अनुज्ञात की गई

सी लागत अलग

रेत की गयी हो;

रेदान के सम्बन्ध
पूर्ण करने अथवा
नहीं हैं और इसमें
नहीं है किन्तु इसमें
धनराशि शामिल

निर्दिष्ट अवधि के
योग के अधिकार
के भंग के लिये
है,

1 या किसी अन्य
सी व्यक्ति द्वारा
हित किये जायें,
लिये अर्थदण्ड,

या उत्तर प्रदेश
माल की बन्धित
द्वारा या उनकी

अभिप्रेत है जिस

(46) "कर" से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय घन पर देय वास्तविक कर की धनराशि के बदले एक मुश्त धनराशि (समाधान धनराशि) और विलोम इनपुट टैक्स जमा राशि भी सम्मिलित हैं;

(47) "कर अवधि" से एक कलेंडर माह, एक वर्ष की एक तिमाही या एक वर्ष, या उसका भाग, जैसा कि विहित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(48) "कराघेय आवर्त" से ऐसा आवर्त अभिप्रेत है जिस पर कोई ब्यौहारी उसकी कुल आवर्त से ऐसी कटौतियों को और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, घटाने के पश्चात् यथा अवधारित कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा;

(49) "परिवहनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारबार के प्रयोजन से अथवा इससे सम्बन्धित अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में माल परिवहन करता है या परिवहन करवाता है अथवा किसी व्यक्ति के लिये परिवहन से पूर्व अथवा इसके पश्चात् अपने संरक्षण में रखता है। इसमें रेलवे, पोत परिवहन कम्पनी, वायु सामान सेवा और कोरियर सेवा सम्मिलित हैं;

(50) "विक्रय आवर्त" से वह कुल धनराशि अभिप्रेत है, जिसके लिये किसी ब्यौहारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपने लेखे में या दूसरों के लेखे में, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का विक्रय, सम्मरण या वितरण किया जाय;

स्पष्टीकरण 1: इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु विक्रय आवर्त में कोई ऐसी रकम भी सम्मिलित होगी जिसे विक्रय या सम्मरण के समय या उसके परिदान के समय या इससे पूर्व ब्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये प्रभारित किया जाये, किन्तु इसमें कृषि या उद्यान-कृषि उत्पाद की विक्रय कीमत सम्मिलित नहीं होगी जिस उपज को किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व वाली अथवा पट्टा, भोग बन्धक या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुज्ञात किसी अन्य हैसियत द्वारा धारित भूमि पर कृषि या उद्यान कृषि करके प्राप्त किया गया है, लेकिन कृषि या उद्यान कृषि की अभिव्यक्ति में ऐसा टिम्बर या खड़े वृक्ष, विनिर्मित चाय या कोई अन्य उपज जो कटाई के पश्चात् विनिर्माण या प्रसंस्करण के अध्वधीन हो, सम्मिलित नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2: विक्रय आवर्त से-

(क) संकर्म सविदा के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में स्वामित्व के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे संकर्म सविदा के निष्पादन के लिये संदत्त या देय है,

(ख) अवक्रय या किरतों में भुगतान की किसी अन्य प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे परिदान हेतु संदत्त या देय है,

(ग) किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) के अन्तरण के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो ऐसे अन्तरण के लिये प्राप्त की गयी है अथवा प्राप्य है;

स्पष्टीकरण 3: ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों, यदि कोई हों, जो इस निमित्त विहित किये जायें, के अधीन रहते हुए-

(क) उस धनराशि में जिसके लिये माल विक्रय या क्रय किया जाता है, ऐसी पैकिंग सामग्री की कीमत जिसमें वह पैक किये जायें और ऐसी कोई रकम भी सम्मिलित होगी जिन्हें विक्रय हुये माल के सम्बन्ध में माल के परिदान के समय या पूर्व ब्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये लिया गया हो, सिवाय भाड़े या माल के परिदान की लागत के अथवा संस्थापन की लागत या माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के, जबकि ऐसी लागत या धनराशि पृथक रूप से प्रभारित की गई हो,

(ख) किसी विक्रय के सम्बन्ध में कीमत पर अनुज्ञात कोई नकद या अन्य कटौती की रकम और ग्राहकों द्वारा लौटायी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में वापस की गयी कोई रकम विक्रय आवर्त में सम्मिलित नहीं होगी, और

(ग) यदि किसी विशेष ग्राहक की सुविधा के लिये कोई ब्यौहारी किसी अन्य ब्यौहारी से माल अभिप्राप्त करे और तुरन्त उस माल का बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ विक्रय कर दे, तो ऐसे माल से सम्बन्धित विक्रय केवल उपर्युक्त दूसरे ब्यौहारी के ही विक्रय आवर्त में सम्मिलित किया जायेगा;

(51) "क्रयआवर्त" से उसके सजातीय पदों सहित किसी ब्यौहारी द्वारा क्रय आवर्त के सम्बन्ध में संदत्त या देय क्रय कीमत की कुल धनराशि अभिप्रेत है जो उसके द्वारा स्वयं अथवा उसके माध्यम से किये गये क्रय की धनराशि है चाहे वह नकद या आस्थगित भुगतान द्वारा की गयी है और इसमें से वह धनराशि, यदि कोई हो, घटा दी जायेगी जो ऐसी अवधि, जो विहित की जाये, के भीतर वापस किये गये माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी को विक्रेता ब्यौहारी द्वारा वापस की गई है;

(52) "यान" से पहिये वाला प्रत्येक वाहन अभिप्रेत है जो एकमात्र या सवारियों के साथ माल के वहन के लिये प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई, ऑटोवाहन, कोई साईकिल, कोई हस्तचालित या पशुचालित यान, बोझा ढोने वाला कोई पशु, कोई रिक्शा या माल ढोने वाला कोई व्यक्ति भी शामिल है;

(53) "माल की कीमत" से क्रयबीजक/ बिल के आधार पर यथा अभिनिश्चित कीमत अभिप्रेत है जिसमें बीमा प्रभार, उत्पाद शुल्क, काउण्टरवेलिंग शुल्क, विक्रयकर, परिवहन प्रभार, भाड़ा प्रभार और माल के संव्यवहारों के आनुषंगिक अन्य सभी प्रभार भी सम्मिलित हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पर क्रयबीजक/बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं या जहाँ पर माल क्रय से भिन्न अन्यथा अर्जित या अभिप्राप्त किया गया है, वहाँ माल की कीमत वह कीमत होगी जिस पर इसी प्रकार और गुणवत्ता का माल खुले बाजार में विक्रय किया जाता है या विक्रय किये जाने लायक है;

(54) "जलयान" में कोई जलपोत, नौका, नाव, बेड़ा, टिम्बर, बाँस या किसी भी रीति से नोदित तैरने वाली सामग्री सम्मिलित है;

(55) "संकर्म संविदा" में नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के लिये, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सन्निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिनिर्माण, लगाने, सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या चालू करने के लिये कोई करार भी है;

(56) "वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(57) "प्रारम्भ का वर्ष" से वह कर निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पड़ती है।

अध्याय—II

कर भार, कर आरोपण और कर की दरें

3. कर भार:

(1) किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा पंजीयन योग्य है, एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम में उपबन्धित रीति के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(3) उपधारा (4) अथवा उपधारा (5) जैसा कि लागू हो, के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जिस तारीख से वह इस प्रकार दायी होता है, प्रत्येक करनिर्धारण वर्ष के लिये कर देयता की तारीख अथवा इसके बाद राज्य के अन्दर यथास्थिति अपने समस्त विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त, जो विहित रीति से अवधारित किया जायेगा, पर इस अधिनियम की धारा 4 के द्वारा अथवा उसके अधीन यथाउपबन्धित दरों पर कर का भुगतान करेगा।

(4) जहाँ कोई ब्यौहारी लिखित कोई आदेश करता है

ब्यौहारी से माल विक्रय कर दे, तो में सम्मिलित किया

बन्ध में संदत्त या से किये गये क्रय वह धनराशि, यदि ये माल के सम्बन्ध

माल के वहन के त्त या पशुचालित मिल है;

त है जिसमें बीमार और माल के

पर माल क्रय से स पर इसी प्रकार एक है;

वेदित तैरने वाली

जंगम या स्थावर सुधार, परिष्कार,

वर्ष अभिप्रेत है; होने की तारीख

अधिनियम के

योग्य है, एक के लिये दायी

हारी या व्यक्ति तारीख अथवा वेहित रीति से उपबन्धित दरों

(क) किसी कराधेय माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय, या

(ख) किसी कराधेय माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय, या

(ग) किसी कराधेय माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर परिदान हेतु भेजना, या

(घ) राज्य के बाहर से क्रय किये गये या प्राप्त किसी कराधेय माल का विक्रय, या

(ङ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या इस अधिनियम के अधीन विहित किसी घोषणा या प्रमाणपत्र का प्रपत्र दे कर कराधेय माल का क्रय, या

(च) कराधेय माल का क्रय या विक्रय यदि ऐसा ब्यौहारी उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत है और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् ऐसे पंजीयन को चालू रखना चाहता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता है, और

(i) यदि ऐसा ब्यौहारी ठीक पूर्ववर्ती करनिर्धारण वर्ष में कारबार चला रहा था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को जारी रखता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर के भुगतान के लिये दायी होगा; और

(ii) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से अथवा इसके बाद कारबार प्रारम्भ करता है, तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब किसी कर निर्धारण वर्ष में ऊपर (क) से (च) में से कोई घटना प्रथम बार घटित हो।

(5) जहाँ किसी ब्यौहारी ने माल का क्रय और/या विक्रय का कारबार केवल राज्य के अन्दर किया है और किसी क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या उनके अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित किसी घोषणा का प्रपत्र या प्रमाणपत्र न तो जारी किया गया है और न प्राप्त किया गया है, और कारबार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को चालू रहता है, और

(क) यदि ऐसे ब्यौहारी ने ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पूरे वर्ष अथवा वर्ष में अंशतः कारबार किया है और अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को कारबार चालू रहता है, और

(i) पूर्ववर्ती वर्ष में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग पूरे वर्ष के मामले में उपधारा (7) में विहित धनराशि से अधिक अथवा वर्ष के माग्य के मामले में आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है, तो वह अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा; या

(ii) यदि इस अधिनियम के से प्रारम्भ होने वाली तारीख से वर्ष के प्रथम दिन की तारीख तक उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग उपधारा (7) में विहित धनराशि की आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा; या

(iii) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर खण्ड (क) (i) और (ii) के अधीन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर के लिये दायी नहीं हो तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जिस तारीख से किसी करनिर्धारण वर्ष में उसका कुल आवर्त प्रथम बार कराधेय मात्रा (Taxable Quantum) से अधिक हो जाता है; या

(iv) यदि ऐसा ब्यौहारी उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत है और इसको स्वैच्छिक रूप से रखना चाहता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा;

(ख) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के वर्ष में प्रथम तारीख या इसके बाद की किसी तारीख से, लेकिन अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व, कारबार प्रारम्भ करता है, और

(i) कारोबार प्रारम्भ करने की तारीख से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसके आवर्त का कुल योग कराघेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक हो जाता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा ;

(ii) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर उपखण्ड (i) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं है, तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराघेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा,

(ग) (i) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को या इसके पश्चात् अधिनियम प्रारम्भ होने के वर्ष में अथवा पश्चात्पूर्वी किसी कर निर्धारण वर्ष में अपना कारबार प्रारम्भ करता है, तो वह उस प्रथम कर निर्धारण वर्ष में उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराघेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा।

(ii) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर उपखण्ड (i) के अनुसार कारबार प्रारम्भ करने वाले वर्ष में कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं होगा, तो वह उस प्रथम कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जिसमें उसके आवर्त का कुल योग कराघेय मात्रा से अधिक होगा और वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब उसका आवर्त प्रथम बार अधिक होगा।

(6) जहाँ इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा यह पाया जाता है कि कोई ब्यौहारी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिये था और पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाता है, तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति अपने पंजीयन के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिये, कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा मानो वह एक ब्यौहारी था।

(7) कराघेय मात्रा: (क) कोई ब्यौहारी, इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (3) के अधीन कर का दायी नहीं होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान उसके समस्त माल के आवर्त का, कुल योग, चाहे ऐसा विक्रय ब्यौहारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा के माध्यम से, डिपो या राज्य के अन्दर अपने अधिकर्ता द्वारा, या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान या राज्य के बाहर प्रेषण द्वारा किया गया है, इसमें आगे उल्लिखित धनराशि से कम है—

(i) विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माता या उत्पादक के मामले में	5 लाख रुपये
(ii) संकर्म संविदा के निष्पादन के मामले में	5 लाख रुपये
(iii) माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में	5 लाख रुपये
(iv) किसी अन्य कारबार में लगे हुए ब्यौहारियों के मामले में	5 लाख रुपये

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करके, किसी माल के सभी ब्यौहारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के ब्यौहारियों के सम्बन्ध में अधिक धनराशि नियत कर सकेगी।

(ख) खण्ड (क) की कोई बात -

विभाज
किया

(8) इ
के प्र

(9) क

(i) ब्यौहारी द्वारा उत्तरांचल के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल का विक्रय जिसका आवर्त इस अधिनियम के अधीन कराघेय हो,

(ii) किसी ब्यौहारी द्वारा -

(अ) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विक्रेता ब्यौहारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके द्वारा उत्तरांचल के बाहर से आयात किये गये माल;

(आ) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विहित कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, क्रय किये गये या आयात किये गये किसी माल;

(इ) ऊपर उपखण्ड (अ) या उपखण्ड (आ) में विनिर्दिष्ट माल का उपयोग करके उसके द्वारा विनिर्मित माल, के विक्रय, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(ग) जब खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट या इसके अधीन अधिसूचित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी ब्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी, अर्थात्-

(i) ऐसे परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित आवर्त पर, मानो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन अधिसूचित धनराशि परिवर्तित न की गई हो; और

(ii) शेष धनराशि पर, मानो परिवर्तित धनराशि सभी तात्विक तारीखों पर प्रवृत्त रही हो,

(घ) जब कमीशन अभिकर्ता द्वारा उसके कर्ता की ओर से किसी आवर्त पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो कर्ता ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का दायी नहीं होगा।

(ङ) (i) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी, उस वर्ष में उस तारीख जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से उसके विक्रय धन का कुल योग कराघेय मात्रा से प्रथम बार अधिक होगा, के ठीक आगामी दिन से कर भुगतान के लिये दायी होगा;

(ii) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी उस तारीख तक कर भुगतान के लिये दायी होगा यदि कर निर्धारण वर्ष प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से कारबार बन्द करने की तारीख तक की अवधि में उसके आवर्त का कुल योग कराघेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा।

स्पष्टीकरण: किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ में कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायित्व का अवधारण करने के लिये सकल आवर्त की गणना के प्रयोजन हेतु-

(क) जैसा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित हो उसके सिवाय, समस्त विक्रय (चाहे कराघेय हो, अथवा नहीं) का आवर्त और जैसी भी स्थिति हो, समस्त क्रय आवर्त जिस पर इस धारा की उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन कर देय है, को सम्मिलित किया जायेगा;

(ख) आवर्त में ब्यौहारी द्वारा अपने खाते में और अपने कर्ता (चाहे घोषित हो या न हो) के खाते में भी किया गया समस्त विक्रय और ऐसा क्रय सम्मिलित होगा।

(9) कराघेय आवर्त :

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर भुगतान के लिये दायी ब्यौहारी पर देय कर उसके कराघेय आवर्त पर आरोपित किया जायेगा,

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन माल के विक्रय पर कर भुगतान के लिये दायी ब्यौहारी के सम्बन्ध में कराघेय आवर्त किसी अवधि में सकल आवर्त का वह भाग होगा जो उसमें से निम्नलिखित को घटाकर बाकी रहेगा-

की किसी
प्रौर
क उसके
तो वह
गा ;
ती तारीख
भुगतान
आली और
का कुल

पश्चात्
में अपना
कर का
ने वाली
गवर्त का

र्ष में कर
कर का
से अधिक
ग आवर्त

के रूप
रद्द कर
प्रारम्भ
के लिये,

सिवाय,
माल के
या राज्य
क्षेत्र
धनराशि

ह्यौहारियों
सकेगी।

(अ) अनुसूची-I में कर से छूट प्राप्त घोषित माल का विक्रय-

(आ) ऐसे माल का विक्रय जो, करनिर्धारक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में,

(i) अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या

(ii) उत्तरांचल राज्य के बाहर विक्रय के रूप से अन्यथा, या

(iii) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किया गया है;

स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के लिये कि कोई विशिष्ट विक्रय या क्रय उपखण्ड (अ) (i) उपखण्ड (आ) (ii) और उपखण्ड (आ) (iii) में उपदर्शित रीति के अनुरूप हुआ अथवा नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

(ग) संकर्म संविदा के मामले में विक्रय आवर्त में ऐसी धनराशियाँ जो विहित की जायें और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो अधिरोपित की जायें।

(घ) ऐसा अन्य विक्रय जो विहित किया जाय और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो अधिरोपित की जायें,

(10) कतिपय परिस्थितियों में क्रय पर कर :

प्रत्येक ब्यौहारी जो अपने कारबार के दौरान माल का ऐसा क्रय करता है जो-

(क) एक पंजीकृत ब्यौहारी से ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिसमें उस पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा ऐसे माल के विक्रय कीमत पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं है; या

(ख) पंजीकृत ब्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से की गई है और ऐसे माल के विक्रय पर कर विक्रेता पर उदग्रहीत नहीं किया जा सकता है चाहे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की दृष्टि में या विक्रेता ब्यौहारी ने, कर का दायी होने पर भी, पंजीयन प्राप्त नहीं किया है;

तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा, यदि-

(i) माल का विक्रय उत्तरांचल राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान नहीं किया गया है; या

(ii) माल का इस अधिनियम के अधीन कर मुक्त माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया गया है; या

(iii) माल का उपभोग या उपयोग माल के विनिर्माण में किया गया है और ऐसे विनिर्मित माल का व्ययन उत्तरांचल राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न किया गया है; या

(iv) माल का अन्यथा उपयोग या उपभोग किया गया है,

और ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जिस पर ऐसे माल की राज्य के अन्दर क्रय की तारीख पर इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर आरोपित किया गया होता:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल का क्रय किसी कमीशन अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है चाहे कर्ता राज्य में निवास करता हो या राज्य के बाहर, तो कमीशन अभिकर्ता कर के भुगतान के लिये दायी होगा और वह उसे कर्ता से वसूल कर सकेगा।

4. कर की दर:

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा देय कर उसके कराधेय आवर्त पर उपधारा (2) के अधीन अनुसूचियों में विहित दर से आरोपित किया जायेगा, परन्तु

(क) घोषित माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर, और

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत से अनधिक होगी:

प्रति
खण्ड (क)
से अनधिक
(2) (क) अ
नहीं हो
(ख) घा
भुगतान
(i)

(ii)

(ग)
पूरे
(घ)
कं-
विा
नह
प्रति

घरे
की
(ड)
मा
(च)
आ
जा
है,
है
के

(3) (क)

(ख)

(4) राज्य
या इस
या परिवर्त

प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में कर की दर बीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) (क) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय एवं क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं होगा;

(ख) धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई ब्यौहारी अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर कर का भुगतान करने के लिये निम्न प्रकार दायी होगा:-

(i) विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर इसमें आगे उपबन्धित दर पर-

(अ) अनुसूची-II (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	1 प्रतिशत
(आ) अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	4 प्रतिशत
(इ) अनुसूची-II (ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	उसमें विनिर्दिष्ट दर पर
(ई) किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से	12.5 प्रतिशत

भिन्न माल के सम्बन्ध में

(ii) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के सम्बन्ध उसमें विनिर्दिष्ट दर पर
में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय के बिन्दु पर

(ग) अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट ब्यौहारी या व्यक्ति को या उनके द्वारा किये गये माल का विक्रय, पूरे या आंशिक कर, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, से मुक्त होगा;

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया गया कोई विक्रय जैसा कि केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट है, जीरो-रेटेड होगी जिसका अर्थ है कि ऐसे संव्यवहार के आवर्त पर कोई कर देय नहीं होगा और निर्यातकर्ता इस प्रकार निर्यातित माल के क्रय पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि विशेष आर्थिक जोन (स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित इकाइयां) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) से किये गये अपने क्रय पर संदत्त कर के प्रतिदाय की हकदार होंगी;

(ङ) अनुसूची-V में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति या ब्यौहारी या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने कराधेय माल के क्रय पर संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(च) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, किसी माल के विक्रय या क्रय पर देय कर की पूर्ण रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकती है, जब ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन कर आरोपणीय है और यदि यह साबित हो जाता है कि किसी विक्रय और/या क्रय का आवर्त उस अधिनियम के अधीन कर आरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष घोषित कर दिया गया है।

(3) (क) जब माल डिब्बों में विक्रय या क्रय किया जाता है या उन्हें किसी पैकिंग सामग्री में, तो ऐसे डिब्बे या पैकिंग सामग्री पर, जैसी भी स्थिति हो, लागू कर की दर चाहे डिब्बे या पैकिंग सामग्री की कीमत अलग से प्रभारित की गई है अथवा नहीं, वही होगी जो डिब्बे और पैकिंग सामग्री में पैक किये गये माल पर लागू है तथा डिब्बे और पैकिंग सामग्री का आवर्त ऐसे माल के आवर्त में सम्मिलित होगा।

(ख) जहाँ डिब्बे और पैकिंग सामग्री में पैक किये गये माल का विक्रय करमुक्त है, तब ऐसे डिब्बे या पैकिंग सामग्री का विक्रय भी करमुक्त होगा।

(4) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भिन्न भिन्न माल के बाबत भिन्न भिन्न दरें घोषित कर सकेगी या इस अधिनियम में किसी अनुसूची को जोड़ या हटा सकेगी या किसी भी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।

खण्ड (अ) (i)
नहीं, केन्द्रीय

ऐसी शर्तों

अधिरोपित

ब्यौहारी द्वारा

कर विक्रेता
में या विक्रेता

भारत या भारत

किया गया

भारत के राज्य

की तारीख

चाहे
के लिये दायी

के अधीन

विनिर्दिष्ट

अधिक होगी:

(5) प्रत्येक ब्यौहारी विहित रीति द्वारा अवधारित अपने शुद्ध आवर्त पर—

(क) किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में 4 प्रतिशत की दर से; और

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी दर से जैसा कि ऊपर उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध किया जाय, कर का भुगतान करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे माल पर राज्य के अन्दर पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर धारा 3 के उपबन्धों के अधीन धारा 4 की उपधारा (2) में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है, तो संकर्म संविदा के अन्तर्गत सकल आवर्त में से ऐसे माल की क्रय कीमत को घटा दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मिन्न-मिन्न माल या ब्यौहारियों के मिन्न-मिन्न वर्गों के लिये मिन्न-मिन्न दरें घोषित कर सकती है जो ऊपर उपधारा(1) के अधीन सीमाओं से अनधिक हो।

(6) कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर से रिबेट:

(क) सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना चाहे किसी माल के क्रय या विक्रय पर या उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के ब्यौहारियों या व्यक्तियों को या उनके द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर को पूरा या आंशिक करमुक्त कर सकती है, और इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना किसी भी तारीख जो अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व नहीं होगी, से मूललक्षी रूप से जारी की जा सकती है, और ऐसी छूट अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या उसमें उल्लिखित किसी अन्य पूर्ववर्ती या बाद की तारीख से प्रभावी होगी।

(ख) जहाँ किसी ब्यौहारी द्वारा या व्यक्ति द्वारा किसी माल का क्रय इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन दिये गये किसी घोषणापत्र या प्रमाणपत्र को दे कर किया गया है, और—

(i) किसी भी शर्त जिसके अधीन रहते हुए ऐसी करमुक्ति प्रदान की गयी है या

(ii) घोषणापत्र या प्रमाणपत्र के किसी भी निबन्धन या शर्त का अनुपालन, चाहे

कुछ भी कारण हो, नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति ऐसे माल की विक्रय कीमत पर धारा 4 के अधीन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर भुगतान करने का दायी है या नहीं और तदनुसार ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो गया है, विहित रीति के अनुसार विवरणी, ऐसे माल की विक्रय कीमत को दर्शाते हुए दाखिल करेगा और कर का भुगतान भी करेगा। ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति पर शोध्य कर निर्धारित किया जायेगा एवं उसकी वसूली की जायेगी मानो यह व्यक्ति या ब्यौहारी एक ऐसा ब्यौहारी है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये दायी है।

(ग) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति या ब्यौहारी उपधारा (2) के अधीन कर भुगतान करने के लिये दायी है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी, उसको, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, इस प्रकार शोध्य कर की रकम का निर्धारण करेगा।

(7) कुछ विनिर्माताओं को विशेष राहत:

(क) धारा 3 और/या इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई कराधेय माल किसी ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य ब्यौहारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य ब्यौहारी विक्रेता ब्यौहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाण-पत्र है, तो विक्रेता ब्यौहारी ऐसे माल के सम्बन्ध

में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों और निर्बन्धनों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, के अधीन रहते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा माल कर से मुक्त या कर की ऐसी दर जो 4 प्रतिशत से कम है, के, अध्याधीन है, तो कर शून्य होगा या, जैसी भी दशा हो, गणना कम दर से की जायेगी।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर के सम्बन्ध में रियायती या कर से मुक्ति देने के लिये निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचित माल उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4क के अधीन आच्छादित विनिर्माता इकाई में विनिर्मित किया जायेगा जिसमें ऐसी तारीख के पश्चात्, जो तारीख इस उपधारा के अधीन सूचना की तारीख से पूर्व या पश्चात् हो सकती है, उत्पादन प्रारम्भ करता है, और ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, विनिर्मित हो।

(ख) यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिये या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, इसकी बाबत मान्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि आवेदक विलम्ब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो विहित की जाय, पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाय, मान्यता प्रमाण-पत्र देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ब्यौहारी जिसके पास उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4ख के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसको न तो करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है और न ऐसे ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया है, तो वह इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसे इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र धारक समझा जायेगा, और यदि ऐसा कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र धारक बने रहने का इच्छुक नहीं है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित "माल" से पूंजीगत माल और कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, फालतू पुर्जे, सहायक सामान, संघटक, उप-समुच्चय, ईंधन या स्नेहक और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग में प्रयुक्त माल अभिप्रेत है, और

(ग) (i) जहाँ करनिर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया था—

(कक) कारबार या अधिसूचित वस्तुओं जिनके सम्बन्ध में मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया था, का विनिर्माण बन्द कर दिया गया है; या

(कख) मान्यता प्रमाण-पत्र की किसी शर्त को भंग किया गया है; या

(कग) धारा 20 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(कघ) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों के देय होने की तारीख से तीन माह के भीतर नहीं किया गया है।

हो) उपयोग

प्रत्य रूप में)
उपबन्ध किया

र ऐसे माल
धारा (2) में
से ऐसे माल

न माल या
धारा(1) के

प्रसूचना द्वारा
ग विक्रय पर
के द्वारा किये
या आंशिक
भी तारीख
जा सकती है,
कि किसी अन्य

जारी की गई
गया है, और—

तिकूल प्रभाव
न अनुसूचियों
ए भी कि वह
या जहाँ और
दायी हो गया
न करेगा और
गा एवं उसकी
म के उपबन्धों

त या ब्यौहारी
कारी, उसको,
वर्ण्य करेगा।

य माल किसी
ब्यौहारी को
उसके सम्बन्ध
मल के सम्बन्ध

तो ऐसा प्राधिकारी मान्यता प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः अथवा ब्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर ऐसी तारीख से जो वह विनिर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ के अन्तर्गत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

(ii) कर निर्धारक प्राधिकारी खण्ड (ख) के अधीन दिये गये मान्यता प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः या ब्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर उस दशा में जब ब्यौहारी ने अपने कारबार के नाम या स्थान में परिवर्तन कर दिया हो अथवा किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नयी शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से, संशोधित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जायेगा और न संशोधित किया जायेगा जब तक कि ब्यौहारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

(घ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।

(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित विशेष प्रवर्ग के माल या ऐसी संवेष्टन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के बराबर हो।

(च) यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या जहाँ, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

(छ) इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(ज) उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर इस उपधारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा 58 के अधीन कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जायेगा।

(8) विनिर्दिष्ट माल जिस पर कर अधिकतम फुटकर कीमत (एम0आर0पी0) पर देय होगा:

(क) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, किसी वर्ग या प्रवर्ग के ब्यौहारियों को ऐसे माल जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाये, कि बिक्री पर वास्तविक विक्रय कीमत के बदले में अधिकतम फुटकर कीमत (एम0आर0पी0) पर सुसंगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से कर के भुगतान के लिये निदेशित कर सकती है।

(ख) उक्त खण्ड (क) के अधीन एम0आर0पी0 पर कर का भुगतान करने वाला कोई ब्यौहारी विक्रय बीजक

में वास्तविक है, को भी बीजक" भी

(ग) ऐसा म ब्यौहारी न का भुगतान

(घ) जहाँ रखना लोव और उसके

स्पष्टीकरण

(9) इस ध

विधान सभ

कम कुल

न की जायें

जो राज्य

उपान्तरण

प्रभाव नहीं

वसूल किए

(10) इस

के अधीन

5. देय श

(1) किसी

जायेगा:-

(2) आज

कारबार

अथवा प्र

किसी क

के भुगत

जैसा कि

(3) इनपु

टैक्स

विशेष प्र

माल के

के लिये

कर अति

आवेदन दिये

। संयुक्त हिन्दू
पधारा के अर्थ

मे या तो स्वतः
।रबार के नाम
या कोई नयी
। है:

तो रद्द किया
।मुचित अवसर

दिया गया हो,
र का भुगतान
लिए मान्यता
ग अन्यथा कर
री नियत करे,
राशि और इस
। कम न होगी

दिया गया हो,
र का भुगतान
प्रवर्ग के माल
के भीतर या
रान विक्रय से
। धनराशि का
धनराशि और
न्तर के बराबर

ज्य के दौरान,
।र अधिनियम,

। कि ब्यौहारी

। आरोपित किया

।
। यह अधिसूचना
। किसी वर्ग या
। पर वास्तविक
। विनिर्दिष्ट दर

। विक्रय बीजक

में वास्तविक विक्रय कीमत का उल्लेख करने के अतिरिक्त एम0आर0पी0 जिस पर कर प्रभारित किया गया है, को भी अलग से उपदर्शित करेगा और बीजक पर सबसे ऊपर "एम0आर0पी0 पर कर के लिये विक्रय बीजक" भी मुद्रित किया जायेगा।

(ग) ऐसा माल जिस पर कर का भुगतान एम0आर0पी0 पर किया जा चुका है, की खरीद करने वाला कोई ब्यौहारी न तो ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा और न ऐसे माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(घ) जहाँ सरकार की ऐसी राय हो कि उपरोक्त उपबन्धों के अधीन ऐसी कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसी योजना वापस ले सकती है, और उसके बाद कर का भुगतान अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन देय होगा।

स्पष्टीकरण : शब्द प्रयोग "एम0आर0पी0 (अधिकतम फुटकर कीमत)" से माल के पैकेट या उसके लेबल पर मुद्रित कीमत या माल की विनियमित कीमत, यदि कोई हो, अभिप्रेत है।

(9) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चलें, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणों या वातिलीकरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या अर्थदण्ड का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

(10) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत कर सकती है।

5. देय शुद्ध कर :

(1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय शुद्ध कर निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा:-

$$\text{देय शुद्ध कर} = (\text{अ+आ})-इ$$

जहाँ 'अ' आउट पुट टैक्स है जो नीचे उपधारा (2) के अनुसार देयकर का योग है; और
'आ' धारा 3 की उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन उक्त कर अवधि के लिये क्रय पर कर है; और

'इ' इनपुट टैक्स है जो धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और नीचे उपधारा (3) के अनुसार देय कर का योग है।

(2) आउट पुट टैक्स : (क) किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में आउटपुट टैक्स से ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार के दौरान कराधेय माल के विक्रय या सम्मरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्रभारित अथवा प्रभार्य कर अभिप्रेत है और इसमें ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय पर किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर भी सम्मिलित है।

(ख) धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्यौहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत आउटपुट टैक्स के भुगतान का दायी होगा जो उसके कराधेय आवर्त पर ऐसी दर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि समय-समय पर विहित की जाय, देय है।

(3) इनपुट टैक्स : धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स" से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड़ कर किसी कराधेय माल जो पुनर्बिक्री के लिये या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिये या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये जाने के लिये पात्र या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय, के क्रय पर भुगतान किये गये या देय कर अभिप्रेत हैं।

(4) किसी ब्यौहारी जो कर के भुगतान के लिये दायी है किन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है, के द्वारा देय शुद्ध कर उस कर अवधि के लिये देय आउटपुट टैक्स और क्रय पर कर, यदि कोई हो, के बराबर होगा।

(5) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति किसी कर अवधि के लिये उसके द्वारा देय कर का पूरा भुगतान उस समय करेगा जब उस व्यक्ति से धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गई है।

(6) यदि उपधारा (1) में आकलित धनराशि एक ऋणात्मक मात्रा है, तो उसको ब्यौहारी की करदेयता, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा या इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (10), उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबन्धों के अनुसार वापस की जायेगी।

6. इनपुट टैक्स का लाभ:

(1) इनपुट टैक्स का लाभ केवल एक पंजीकृत ब्यौहारी को ही अनुमन्य होगा, और किसी पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात् किसी कर अवधि के लिये देय कर की गणना करने के प्रयोजन से ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसा विक्रय जैसा कि विहित किया जाये, से भिन्न, ऐसे समस्त कराधेय विक्रय के बारे में जमा किये गये अथवा देय कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जायेगा, अनुमन्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कराधेय क्रय, जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि उपधारा (1) या उसके परन्तुक में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसे क्रय जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, के सम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा:-

(क) ऐसे व्यक्ति से क्रय जो कृषि या उद्यानकृषि सम्बन्धी उपज जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धक, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे माल के बारे में इस अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन ब्यौहारी नहीं समझा जाता है; या

(ख) ऐसी वस्तुओं का क्रय जिनको राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया जाय और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट हैं, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी कि विहित की जाये।

(3) इनपुट टैक्स का लाभ उत्तरांचल राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण-पत्र रखता है, से निम्न प्रयोजनों के लिये क्रय किये गये माल पर अनुमन्य होगा:-

(क) उत्तरांचल में विक्रय; या

(ख) अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय; या

(ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय; या

(घ) ऐसा माल (अनुसूची I और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न) जिसका राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय अथवा पुनः विक्रय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री, के रूप में उपयोग किया जाय; या

(ङ) ऐसा माल, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात

(4) (धारा (3) उसी ऐसे

(5) इ प्रथम लागू को निम्न अनुम

से सं गणन

(5) इ प्रथम लागू को निम्न अनुम

1)

पंजीकृत नहीं
है, यदि कोई

न उस समय
ने की अपेक्षा

रदेयता, यदि
उपधारा (11),

कृत ब्यौहारी
ोजन से ऐसे
विहित किया
न्ध में इनपुट
नुमन्य होगा:
र दिया गया

होते हुये भी,
बन्ध में निम्न

हो या किसी
अन्य रूप में
प्रदि या दुग्ध
नी धारा 2 की

या जाय और
किया जाय।

शि होगी जो
इस धारा में
मुगतान किया

16 के अधीन
नुमन्य होगा—

राज्य के भीतर
के विनिर्माण
ये गये डिब्बा

बाहर निर्यात

के दौरान विक्रय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल, और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय: प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड(घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे परिवर्तित उत्पाद को विक्रय से, अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे परिवर्तित उत्पाद के, विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 4 प्रतिशत से अधिक मुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि कराधेय माल के उत्पादन या कैप्टिव पावर के ईंधन के रूप में उपयोग किये गये पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टरबाईन फ्यूल, प्राकृतिक गैस और डीजल को छोड़कर) और अन्य ईंधन, के क्रय पर 4 प्रतिशत से अधिक मुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा।

(4) (क) यदि किसी कर अवधि में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) जिस पर इस धारा के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है, का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये आंशिक रूप से उपयोग करता है, तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा जिस सीमा तक विभिन्न प्रयोजनों हेतु उनका उपयोग किया गया है, और ऐसे विभिन्न प्रयोजनों में सम्मिलित है—

(i) विक्रय जिसमें कराधेय माल का विक्रय या करमुक्त माल का विक्रय शामिल है, या

(ii) राज्य के बाहर विक्रय जिसमें माल का विक्रय और अन्य राज्यों को प्रेषण या माल के अन्तरण के रूप में माल भेजना शामिल है, या

(iii) कारबार के दौरान उपयोग किये जा रहे इनपुट्स और अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जा रहे इनपुट्स:

(ख) किसी कर अवधि में किसी विशेष वस्तु के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि, प्रत्येक प्रयोजन जिसके लिये वस्तु का उपयोग किया गया है, पर संगणित इनपुट टैक्स के लाभ का योग होगी। इनपुट टैक्स के लाभ की कुल धनराशि समस्त वस्तुओं पर इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का योग होगी;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये माल का उपयोग विक्रय या सम्मरण या माल के विनिर्माण में अथवा विक्रय या सम्मरण के आशय से या माल के विनिर्माण के आशय से किया जाता है, की सीमा को अवधारित करने के लिये जो तरीका अपनाया जाता है, वह बोधगम्य रूप में उन परिस्थितियों में उचित और युक्तियुक्त होना चाहिये:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार इनपुट टैक्स की गणना के लिए समय-समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है और जब ऐसे नियमों की विरचना की जाती है तो किसी इनपुट टैक्स की गणना ऐसे नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा किसी व्यक्ति के पंजीकृत होने, जैसी भी दशा हो, के पश्चात्, प्रथम कर अवधि के लिये, देय शुद्ध कर की गणना करने के प्रयोजन हेतु, उस व्यक्ति द्वारा अधिनियम के लागू होने या, जैसी भी दशा हो, उसके पंजीकृत होने से पूर्व क्रय किये गये कराधेय माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) में से बचे हुए स्टॉक पर दिये गये अथवा देयकर के सम्बन्ध में पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस धारा के अधीन अवधारित किया जाय, अनुमन्य होगा:—

(क) माल पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार में उपयोग हेतु क्रय किया गया था,

(ख) माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या, जैसी भी दशा हो, पंजीयन की तारीख, से 1 वर्ष से अनधिक पहले क्रय किया गया था और ऐसी तारीख पर माल उसके पास हो,

(ग) माल यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व क्रय किया गया है, तो इस पर उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन कर लग चुका

है और इस अध्यादेश के अधीन भी कराधेय है,

(घ) इनपुट टैक्स का लाभ माल के क्रय पर दिये गये कर की वास्तविक दर या इस अधिनियम के अधीन लागू होने वाली दर, जो भी कम हो, होगा।

(6) किसी पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ का दावा निम्न रीति से किया जायेगा:-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या ब्यौहारी द्वारा पंजीयन स्वीकृति हेतु आवेदन करने की तारीख को उपलब्ध प्रारम्भिक माल (पूँजीगत माल को छोड़कर) के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा उस माह, जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख हो या, जैसी भी दशा हो, पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख पड़ती है, के 3 माह के पश्चात् शुरू होने वाली 6 माह की कर अवधि के विवरणी के साथ 6 समान किश्तों में किया जायेगा,

(ख) व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख तक क्रय किये गये ऐसे पूँजीगत माल के बारे में विनिर्माता इनपुट टैक्स का लाभ उस वर्ष जिसमें ऐसे कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख पड़ती है, के बाद दो समान वार्षिक किश्तों में दावा करने का पात्र होगा। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद क्रय किये गये ऐसे पूँजीगत माल के बारे में किसी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे इनपुट टैक्स की कुल घनराशि का अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ होकर दो समान वार्षिक किश्तों में दावा किया जायेगा। वार्षिक किश्तों का दावा प्रत्येक दो वर्षों में सितम्बर में समाप्त होने वाली अवधि के विवरणी में किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल की भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किये गये विक्रय के मामले में ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ की घनराशि का दावा उपरोक्त दो किश्तों के बजाय एक वार्षिक किश्त में किया जायेगा,

(ग) अन्य मामलों में इनपुट टैक्स के लाभ की घनराशि का दावा उस अवधि की विवरणी में किया जायेगा जिसमें माल के क्रय, जिससे इनपुट टैक्स का लाभ सम्बन्धित है, की गई है।

(7) (क) पूँजीगत माल पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा जब-

(i) माल ब्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; या

(ii) माल किसी अपंजीकृत ब्यौहारी या ऐसे ब्यौहारी जिसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्रय किया गया है; या

(iii) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; या

(iv) माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व या इस अधिनियम के अधीन पंजीयन से पूर्व क्रय किया गया है या उसका भुगतान किया गया है; या

(v) माल कर मुक्त माल या अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसी सेवायें या व्यापारिक कार्यकलाप जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये दायी नहीं हैं, को उपलब्ध कराने में उपयोग किया गया है; या

(vi) माल, किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण करार के अधीन पट्टे पर उपयोग किया गया है; या

(vii) माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गस्त संपत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में उपयोग किया गया है; या

(viii) ऐसा माल जिस पर इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है; या

(ix) माल शक्ति/ऊर्जा जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है; या

(x) माल जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका हो, या उपयोग के लिये प्राप्त किया गया है।

स्पष्टीकरण: सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि किसी पूँजीगत माल को इस धारा के प्रयोजन हेतु रूपर सयत्र, मशीनरी और उपस्कर में सम्मिलित नहीं समझा जायेगा।

(ख) भूमि, सिविल संरचना या विनिर्माण, और मोटर कार, सहायक सामान या फालतू पुर्जे पर पूँजीगत या अन्य व्यय पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व कारबार बन्द होने की दशा में आगे कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि कोई इनपुट टैक्स का लाभ आगे ले जाया गया है, तो वह जब्त कर लिया जायेगा।

(8) पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा:-

(क) माल ब्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; या

(ख) माल किसी अपंजीकृत ब्यौहारी या ऐसे ब्यौहारी जिसका पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्रय किया गया है; या

(ग) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; या

(घ) माल जिसका विक्रय इस अधिनियम के अधीन करमुक्त है या ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया गया है; या

(ङ) माल जो ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द किये जाने या उसका पंजीयन निरस्त कर दिये जाने या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण कारबार बन्द करने के समय स्टॉक में अविक्रीत बचा रहता है, चाहे माल उसी रूप में हो अथवा परिरूपित या अर्धपरिरूपित माल के संघटक भाग के रूप में हो; या

(च) माल जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है; या

(छ) कच्चा माल जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर प्रेषित किये जाने वाले परिरूपित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किया गया है; या

(ज) माल जो किसी पंजीकृत ब्यौहारी से क्रय किया गया है जिसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पिक कर या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है; या

(झ) माल जो चोरी हो गया है, या खो गया है, या नष्ट हो गया है या कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सेम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है; या

(ञ) माल, जो किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग के अधिकार के अन्तरण के करार के अन्तर्गत पट्टे पर दिया गया है; या

(ट) माल जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गत माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप) में सम्पत्ति के अन्तरण के द्वारा विक्रय किया गया है; या

(ठ) माल जिस पर इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन ऐसे माल के किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है; या

(ड) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग का माल या ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया गया है; या

(ढ) माल शक्ति/ऊर्जा जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है: प्रतिबन्ध यह है कि मद (च) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में परिरूपित माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 4 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी:

स अधिनियम के

पायेगा:-

तु आवेदन करने
इनपुट टैक्स के
शा हो, पंजीयन
ने वाली 6 माह

माल के बारे में
नी तारीख पड़ती
दन प्रारम्भ होने
ई के लिये ऐसे
षिक किशतों में
ने वाली अवधि

किये गये विक्रय
केशतों के बजाय

वरणी में किया
है।

नरस्त कर दिया

अधीन पंजीयन

हे विनिर्माण या
न कर के लिये

े हो या न हो)
गया है; या

बन्ध में उपयोग

धिनियम, 1948)
पर देय कर का

योग किया गया

लाया जा चुका

प्रतिबन्ध यह और है कि ऊपर मद (घ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्रय किये गये माल पर यदि इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किसी ब्यौहारी द्वारा किया गया है, तो वह विलोभित हो जायेगा।

(9) (क) किसी ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स लाभ का दावा नहीं किया जायेगा यदि माल का विक्रय करने वाले पंजीकृत ब्यौहारी से प्राप्त बिक्री बीजक जिसमें इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य है—

(i) ब्यौहारी के पास मूलरूप में या धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार द्वितीय प्रति, उपलब्ध नहीं है, या

(ii) कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता ब्यौहारी जिससे माल का क्रय किया जाना तात्पर्यित है, द्वारा मूल बिक्रीबीजक जारी नहीं किया गया है।

(ख) जहाँ किसी कराधेय व्यक्ति के पास इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य दर्शाने वाला मूल बिक्रीबीजक या उसकी द्वितीय प्रतिलिपि नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी, लिखित में कारण लिपिबद्ध करने के पश्चात्, इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि में जिसमें कर लाभ उद्भूत है, अनुमन्य कर सकता है, जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है; कि—

(i) कराधेय व्यक्ति द्वारा बिक्रीबीजक प्राप्त करने के लिये सभी युक्तियुक्त कदम उठाये गये हैं,

(ii) मूल बिक्रीबीजक प्राप्त करने में असफलता कराधेय व्यक्ति की किसी त्रुटि के कारण नहीं थी,

(iii) कराधेय व्यक्ति द्वारा दावाकृत इनपुट टैक्स की धनराशि सही है।

(10) यदि किसी कर अवधि में किसी पंजीकृत ब्यौहारी का इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि की करदेयता की अपेक्षा अधिक होता है तो अधिक धनराशि केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन उस कर अवधि की कर देयता, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित की जायेगी, और अवशेष धनराशि इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन बकाया कर, अर्थदण्ड या ब्याज के विरुद्ध समायोजित की जायेगी और केवल अवशेष धनराशि ब्यौहारी द्वारा उत्तरवर्ती कर अवधियों में आगे ले जायी जायेगी और धनराशि उस अवधि के लिये इनपुट टैक्स का लाभ समझी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई धनराशि किसी ब्यौहारी को उसके द्वारा निर्यात किये गये माल के विक्रय के कारण वापसी योग्य है तो वह वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त के बाद अधिक जमा धनराशि का इस अधिनियम की धारा 37 के उपबन्धों के अनुसार वापसी का हकदार होगा।

(11) प्रत्येक ब्यौहारी जो धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिये दायी है, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद, उस कर निर्धारण वर्ष के लिये अपनी स्वीकृत कर देयता और इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि में सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के दौरान विभिन्न कर अवधियों में किये गये समायोजन, यदि कोई हो, और अवशेष कर, अर्थदण्ड या ब्याज की बकाया के प्रति समायोजित धनराशि, यदि कोई हो, की गणना दर्शाते हुए 90 दिन की अवधि के भीतर एक विवरणी दाखिल करेगा।

(12) यदि किसी ब्यौहारी द्वारा, उपरोक्त उपधारा (11) के अनुसार समायोजन करने के बाद धनराशि अधिक जमा होने का दावा किया जाता है, तो वह ऐसी अधिक जमा धनराशि को पश्चात्वर्ती वर्ष में विभिन्न कर अवधियों की विवरणी में समायोजित कर सकता है।

(13) उपधारा (10), उपधारा (11) या उपधारा (12) में किसी बात के होते हुए भी, कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये धारा 25 या 26 के अधीन अन्तिम कर निर्धारण करते समय ब्यौहारी द्वारा अपनी कर देयता से अधिक जमा इनपुट टैक्स, यदि कोई हो, अवधारित करेगा और यदि कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है, तो वह धारा 36 के उपबन्धों के अधीन वापिस या समायोजित की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण संगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो ब्यौहारी कर निर्धारण के अवशेष रहते हुए अनन्तिम वापसी, यदि कोई हो, का हकदार होगा और देय धनराशि उसको वापस की जायेगी और ऐसी वापसी के सम्बन्ध में धारा 37 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(14) कर लाभ में समायोजन:

(क) किसी व्यक्ति द्वारा की गई कराधेय विक्रय के सम्बन्ध में समायोजन, जैसा कि इस धारा में

उपबन्धित है, किया जायेगा, जबकि—

- (i) उस विक्रय पर प्रभारित कर की दर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथा लागू कर की दर से भिन्न है; या
- (ii) विक्रय की धनराशि, चाहे सामान्य कारबार व्यवहार के अनुरूप दी गयी डिस्काउण्ट के प्रस्थापना के कारण या किसी अन्य कारण से, परिवर्तित की गई है; या
- (iii) विक्रय किया गया माल या उसका कोई अंश विक्रय की तारीख से 6 माह के भीतर विक्रेता ब्यौहारी को वापिस किया गया है;

और उक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (i) से (iii) में वर्णित एक या अधिक दशाओं के घटित होने के परिणाम स्वरूप विक्रेता द्वारा—

- (i) उस विक्रय के सम्बन्ध में बिक्रीबीजक जारी किया गया है और उसमें उस विक्रय पर दर्शाया गया प्रभारित कर उस विक्रय पर उचित रूप से प्रमार्य कर के सापेक्ष में गलत है, या
- (ii) उस कर अवधि जिसमें विक्रय हुआ था, के लिये विवरणी दाखिल की गई है और उस विक्रय पर उचित रूप से प्रमार्य धनराशि के सापेक्ष में माल के विक्रय पर कर की गलत धनराशि लेखाबद्ध की गई है।

(ख) जहाँ किसी विक्रेता द्वारा आउटपुट टैक्स की त्रुटिपूर्ण धनराशि, जैसा कि खण्ड(क) में विवक्षित है, लेखाबद्ध की गई है, वहाँ विक्रेता उस कर अवधि जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आउटपुट टैक्स की धनराशि गलत है, से सम्बन्धित विवरणी में उसके द्वारा देय कर की गणना में इसका समायोजन करेगा, और यदि—

- (i) उस विक्रय के सम्बन्ध में उचित रूप से प्रमार्य आउटपुट टैक्स ब्यौहारी द्वारा वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउटपुट टैक्स से अधिक निकलता है, तो उस अधिक धनराशि को उस कर अवधि जिसमें समायोजन किया जाना है, से सम्बन्धित कराधेय विक्रय पर उस विक्रेता द्वारा प्रभारित कर समझा जायेगा और किसी अन्य पूर्ववर्ती कर अवधि से उपारोप्य नहीं होगा; या
- (ii) उस विक्रय के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउटपुट टैक्स उचित रूप से प्रमार्य आउटपुट टैक्स से अधिक निकलता है तो विक्रेता धारा 4 की शर्तों के अनुसार उक्त कर अवधि के लिये उपारोप्य आउटपुट टैक्स की धनराशि को उस अधिक धनराशि के समतुल्य घटा देगा।

(ग) ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन अनुमन्य कर लाभ इनपुट टैक्स में जमा माना जायेगा।

(घ) ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन कर लाभ अनुमन्य नहीं होगा, जहाँ—

- (i) अधिक कर माल के क्रेता द्वारा वहन किया गया है,
- (ii) विक्रय ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो एक पंजीकृत व्यक्ति नहीं है,
- (iii) जब तक कि कराधेय व्यक्ति द्वारा कर की अधिक धनराशि उस व्यक्ति, जिससे अधिक कर संग्रहीत किया गया है, को चाहे नगद या जमा-पत्र द्वारा समायोजित करके वापिस न कर दी गई हो, और पंजीकृत व्यक्ति ऐसे भुगतान का, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार साक्ष्य रखता है।

(15) जमा-पत्र और नाम-पत्र:

(क) जहाँ बिक्रीबीजक जारी किया गया है और उस बिक्रीबीजक में प्रभारित कर के रूप में दर्शायी गई धनराशि उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के अन्तर्गत देय कर से अधिक निकलती है तो विक्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र देगा।

(ख) जहाँ बिक्रीबीजक जारी किया गया है और उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर बिक्रीबीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक निकलता है, तो विक्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक नाम-पत्र देगा।

(ग) क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता ब्यौहारी द्वारा क्रेता

को इस आशय का एक जमा-पत्र जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को एक नाम-पत्र जारी किया जायेगा।

(16) विलोम कर लाभ:

यदि उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपयोग हेतु क्रय किया गया माल बाद में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है तो उन पर इनपुट टैक्स के लाभ को विलोमित किया जायेगा और उस कर अवधि जिसमें उनका उपयोग अन्यथा किया गया है, के लिये इनपुट टैक्स के लाभ में से घटा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रय किया गया माल आंशिक रूप से अन्यथा उपयोग में लाया जाता है तो विलोम कर की घनराशि की गणना आनुपातिक रूप से की जायेगी।

(17) शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ:

शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ जिसके लिये कोई पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा:

शुद्ध इनपुट टैक्स का लाभ = अ+आ-इ

जहाँ अ = इनपुट टैक्स के लाभ की घनराशि जिसके लिये कोई ब्यौहारी इस धारा की उपधारा (2) के अधीन हकदार है।

आ = कर लाभ जैसा कि इस धारा की उपधारा (10) और उपधारा (14) के अधीन अवधारित किया गया हो।

इ = विलोम कर लाभ जैसा कि इस धारा की उपधारा (16) के अधीन अवधारित किया गया हो।

7. समाधान स्कीम :

(1) कतिपय पंजीकृत फुटकर ब्यौहारियों पर प्रकल्पित कर का आरोपण:

समस्त पंजीकृत ब्यौहारियों जिनका पूर्व वर्ष में राज्य के भीतर, अनुसूची-II (ग) और अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट माल और अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट ऐसे माल जिस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय हो, के विक्रय को छोड़कर, सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसी कि विहित की जायें, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विक्रय को छोड़कर, पर 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। ऐसे ब्यौहारी ऐसे विक्रय पर कोई कर प्रभारित करने या संग्रहीत करने के हकदार नहीं होंगे और अपने क्रय पर किसी इनपुट टैक्स के लाभ के हकदार नहीं होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा ऐसे पंजीकृत फुटकर ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी जो एक आयातकर्ता या एक विनिर्माता है अथवा जो माल का भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर आयात अथवा क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है, या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) या किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है:

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि कोई पंजीकृत फुटकर ब्यौहारी इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन कर भुगतान का विकल्प नहीं अपनाता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायी होगा।

स्पष्टीकरण : जब किसी ब्यौहारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कर के भुगतान का विकल्प चुना जाता है, तो वर्ष के दौरान इसी प्रकार कर के भुगतान का दायी होगा चाहे उसका विक्रय आवर्त उक्त उल्लिखित घनराशि से बढ़ भी जाती है।

(2) कर के

(क) इस आंशिक कर निर्धारक वर्ग के सम्बन्धित आवर्त पर संप्रति व्यक्ति से संप्रति देकर कोई

प्रति के भीतर मा

(ख) जहाँ विहित तो कर की कतिपय निधियां करार हु

(ग) जहाँ राखना लोक है और उस के जिस भाग होगा।

स्पष्टीकरण

(i) ब

रूप

(ii) व

या

8. सांपत्तिक

(1) जहाँ विप्रशासक या सम्बन्ध में

(2) यदि ब्यौहारी व्यक्ति द्वारा के अधीन ऐसी रीति संख्याज शाश्वत निर्धारण उप

(3) यदि ब्यौहारी तो उसका कर जिसमें होगा जितन

(4) जहाँ ऐसी उपधारा (2) को अथवा इ

दायी होगा पंजीयन हेतु

री को एक

या आंशिक
पर इनपुट
किया गया

या जाता है

सूत्र द्वारा

ई ब्यौहारी

पधारा (14)

) के अधीन

नुसूची-III

वैशेष महत्व
ने छोड़कर,
की जायें,
पूर्ण आवर्त,
से ब्यौहारी
पर किसी

ी जो एक
वा क्षेत्र के
तरण (चाहे
विनिर्दिष्ट

के अधीन
नुसार कर

जाता है,
आवर्त उक्त

(2) कर के बदले एक मुश्त धनराशि का भुगतान:

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी ब्यौहारी द्वारा, ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो, या तो एकमुश्त या उसके आवर्त पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकता है। ऐसा ब्यौहारी किसी व्यक्ति से समाधान धनराशि के बदले में माल के विक्रय पर कर के रूप में इसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यह धारा किसी पंजीकृत ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर माल आयात करता है, या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है।

(ख) जहाँ किसी एक वस्तु के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिये समाधान धनराशि स्वीकार कर ली गई है तो कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार के तारीख के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एक मुश्त धनराशि या करार हुई दर में आनुपातिक परिवर्तन हो जायेगा।

(ग) जहाँ राज्य सरकार की ऐसी राय हो कि कर दायित्व के समाधान की कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है तो वह उस अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना को वापस ले सकती है और उस स्थिति में यदि समाधान धनराशि की कोई एकमुश्त राशि निश्चित कर दी गयी है, तो अवधि के जिस भाग के दौरान वह योजना लागू रही है, उसके अनुपात में ऐसी राशि का भाग ब्यौहारी द्वारा देय होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन हेतु ब्यौहारी में सम्मिलित है—

(i) ब्यौहारी जो संकर्म सविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या अन्य किसी रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के रूप में माल का विक्रय करता है; या

(ii) ब्यौहारी जो किसी भी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के रूप में माल का विक्रय करता है।

8. सांपत्तिक सम्पत्तान का दायित्व :

(1) जहाँ किसी ब्यौहारी की मृत्यु हो जाती है वहाँ इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ब्यौहारी माना जायेगा और उक्त पर उस मृत ब्यौहारी के कारबार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) यदि ब्यौहारी के द्वारा चलाया गया कारबार उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा प्रतिनिधि या व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अधीन ऐसे ब्यौहारी द्वारा देय कर जिसमें कोई अर्थदण्ड अथवा ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिये उसी रीति से और उसी सीमा तक जितना मृत ब्यौहारी था, दायी होगा चाहे ऐसा कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, उसकी मृत्यु के पूर्व निर्धारित किया गया हो किन्तु भुगतान बाकी रह गया हो या जिसका निर्धारण उसकी मृत्यु के बाद हो।

(3) यदि ब्यौहारी द्वारा चलाया जा रहा कारबार चाहे उसकी मृत्यु के पूर्व अथवा बाद में बन्द हो जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसे ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत देय कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, के उसी रीति से और उसी सीमा तक भुगतान के लिये दायी होगा जितना मृत ब्यौहारी होता, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती।

(4) जहाँ ऐसा ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी है, के कारबार में उपधारा (2) में वर्णित रीति से अन्य व्यक्ति उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा व्यक्ति उत्तरवर्ती होने की तारीख को अथवा इसके बाद उसके द्वारा विक्रय किये गये अथवा क्रय किये गये माल पर कर के भुगतान के लिये दायी होगा और वह (यदि वह पहले से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र धारक न हो) उसके 60 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन करेगा।

(5) मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक अथवा अन्य प्रतिनिधि केवल सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक मृतक की परिसम्पत्ति उसके हाथ में है।

(6) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही जिसमें वसूली की कार्यवाही भी सम्मिलित है, उस से जारी की जा सकती है जिस पर वह ब्यौहारी की मृत्यु के समय लम्बित थी।

(7) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध उस ब्यौहारी पर जो कि भागीदारी फर्म है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जो कि भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप विघटित हो गयी हो।

9. फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व:

(1) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में किसी बात के होते हुए अथवा किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, जहाँ कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, भुगतान के लिये दायी है, तो वह फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार संयुक्त एवं पृथक रूप से, ऐसे कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिये दायी होगा और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस अथवा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि सुसंगत समय के दौरान भागीदार के रूप में पर तामील किया जा सकता है चाहे फर्म विघटित हो गयी हो या नहीं और इस अधिनियम के समान उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

(2) जहाँ कोई ऐसा भागीदार फर्म से निवृत्त हो जाता है, वहाँ वह अपने निवृत्ति के समय पर शेष बचे का अर्थदण्ड और ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया हो, और ऐसी कोई धनराशि जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो, यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिये दायी होगा।

(3) जहाँ ऐसा कोई भागीदार फर्म से निवृत्त होता है तो वह अपने निवृत्ति की तारीख की सूचना लिखित रूप से अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा और वह अपने निवृत्ति की समय बचे कर जिसमें कोई अर्थदण्ड या ब्याज सम्मिलित है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है और ऐसी कोई धनराशि जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिये दायी होगा। तथापि यदि निवृत्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उस भागीदार की देयत उस तारीख तक जारी रहेगी जिस तारीख को कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होती है।

(4) जहाँ ब्यौहारी एक फर्म या व्यक्तियों का संगम या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसी फर्म, संगम अथवा कुटुम्ब ने कारबार बन्द कर दिया है तो—

(क) ऐसी फर्म, संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसा कारबार बन्द करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, शामिल है, का निर्धारण और अवधारण किया जा सकता है मानो कि ऐसा कोई कारबार बन्द न हुआ हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार बन्द होने के समय ऐसी फर्म का भागीदार अथवा ऐसे संगम या कुटुम्ब का सदस्य था तो ऐसा कारबार बन्द हो जाने के बावजूद वह उस कर जो निर्धारित किया गया है व अर्थदण्ड जो आरोपित किया गया है और ऐसी फर्म संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा देय है, के भुगतान के लिये पृथक रूप से और संयुक्त रूप से दायी होगा चाहे कर का निर्धारण या अर्थदण्ड का आरोपण ऐसे कारबार बन्द होने से पहले या बाद में किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे मानो कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या भागीदार स्वयं एक ब्यौहारी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ यह पाया जाता है कि फर्म या संगम के गठन में कोई परिवर्तन हो गया है तो पुनर्गठित फर्म या संगम और पुनर्गठन से पूर्व के भागीदार या सदस्य पुनर्गठन से पूर्व की किसी अवधि के लिये ऐसी फर्म या संगम द्वारा देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, सम्मिलित है, के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होंगे।

स्पष्टीकरण : किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

10. अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामलों में कर दायित्व :

(1) यदि किसी अप्राप्तवय या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से और उसके लाभ के लिये कोई संरक्षक या

न्यासी व सीमा तक पर निर्धारण अपना कर के सभी

(2) यदि ब्यौहारी सम्मिलित समाप्ति जाये।

11. कोट

यदि कि एडमिनिस्ट्रेशन व्यक्ति करता हो तो ऐसे जैसे कि और उस लागू हों

12. कम

(1) संभा

जब किस्के लिये सकता है कम्पनी तक कि ओर से है।

(2) समा

(क) प्रत्येक

(i) स

(ii) स

(iii) क

अपने ऐ

प्राधिकार

(ख) कर

समापक

जो कर

या ब्याज

(ग) सम

तक कि

प्रतिनिधि केवल

सम्मिलित है, उस

र्भ है, यथा आव

नेकूल संविदा के

शाज सम्मिलित है,

प्रक रूप से, ऐसे

नुसार इस अधिनि

दौरान भागीदार

अधिनियम के सम

मय पर शेष बचे क

ने निवृत्ति की तारी

।।

। की सूचना लिखि

चे कर जिसमें को

धनराशि जो निवृत्ति

दायी होगा। तथापि

भागीदार की देयत

वना प्राप्त होती है

ने फर्म, संगम अथवा

तक इस अधिनियम

अवधारण किया जा

र अथवा ऐसे संगम

जो निर्धारित किया

कुटुम्ब द्वारा देय है,

धारण या अर्थदण्ड

क्त के अधीन रहते

भागीदार स्वयं एक

परिवर्तन हो गया

से पूर्व की किसी

प्रत है, के मुगतान

हिन्दू कुटुम्ब का

कोई संरक्षक या

न्यासी कारबार करता हो, तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या अभिकर्ता पर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा और उससे वसूल किया जायेगा, जैसा कि ऐसे अप्राप्तवय या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता और उससे वसूल किया जाता, यदि वह वयस्क व स्वस्थ होता और यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता, और ऐसी दशा में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के सभी उपबन्ध लागू होंगे।

(2) यदि संरक्षकता अथवा न्यास समाप्त हो जाता है तो प्रतिपाल्य या, जैसी भी दशा हो, हिताधिकारी ऐसे ब्यौहारी द्वारा संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के समय तक देय कर जिसमें कोई अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के मुगतान के लिये दायी होगा चाहे ऐसी धनराशि का निर्धारण संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के पहले हुआ हो, किन्तु उसका मुगतान होने से रह गया हो अथवा निर्धारण उसके पश्चात् किया जाये।

11. कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अधिकरण आदि के मामले में कर दायित्व :

यदि किसी कारबार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल न्यासी या किसी रिसीवर या मैनेजर (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो जो ब्यौहारी की ओर से वास्तव में उसके कारबार का प्रबन्ध करता हो) जो ब्यौहारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, के नियन्त्रण में है, तो ऐसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, रिसीवर या मैनेजर पर उसी प्रकार कर लगाया जायेगा जैसे कि उस ब्यौहारी पर लगाया जाता या वसूल किया जाता, यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब उपबन्ध तदनुसार और उसके अधीन बनाये गये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।

12. कम्पनी के मामले में कर दायित्व :

(1) समापन में गयी प्राइवेट कम्पनी के निर्देशकों का कर दायित्व :

कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् जब किसी प्राइवेट कम्पनी का परिसमापन होता है और कम्पनी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अवधि के लिये चाहे उसके परिसमापन के पूर्व या उसके दौरान या बाद में, निर्धारित कर वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस अवधि जिसके लिये कर देय है, के दौरान किसी भी समय प्राइवेट कम्पनी का निदेशक था, ऐसे कर के मुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होगा, जब तक कि वह यह साबित न करे कि वसूली न हो सकने के लिये कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में उसकी ओर से कोई घोर उपेक्षा, अवैध कार्य या कर्तव्यों के उल्लंघन के लिये उपारोप्य नहीं किया जा सकता है।

(2) समापन में गयी कम्पनी के मामलों में कर दायित्व :

(क) प्रत्येक व्यक्ति—

(i) जो परिसमापन में जा रही कम्पनी, चाहे न्यायालय के आदेशों के अधीन अथवा अन्यथा, का समापक है; या

(ii) जो किसी कम्पनी की आस्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है (जिसे इसमें आगे "समापक" कहा गया है)

अपने ऐसे समापक बनने के 30 दिन के भीतर अपनी ऐसी नियुक्ति किये जाने का नोटिस कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके और ऐसी सूचना मंगाकर जिन्हें वह उचित समझे, वह समापक की नियुक्ति की नोटिस प्राप्ति के दिन के 3 माह के भीतर समापक को वह धनराशि सूचित करेगा जो कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में कम्पनी द्वारा तब देय या उसके पश्चात् सम्भाव्य कर (किसी अर्थदण्ड या ब्याज सहित) की धनराशि की भरपाई के लिये पर्याप्त होगी।

(ग) समापक कम्पनी की किसी भी परिसम्पत्ति या सम्पत्ति जो उसके पास है, को अलग नहीं करेगा जब तक कि उक्त खण्ड (ख) के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित न किया गया हो, और इस प्रकार

सूचित किये जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा सूचित धनराशि के समतुल्य धनराशि को अलग रखेगा और जब तक वह ऐसी धनराशि को अलग नहीं रखता है, वह कम्पनी की अपने पास रखी गई किसी भी आस्ति या सम्पत्ति को अलग नहीं करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई बात समापक को किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा देय कोई कर या अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के भुगतान के प्रयोजन हेतु, या समापन की तारीख के समय ऐसे लेनदार जिनके ऋण विधि के अधीन सरकार के ऋण के रूप में भुगतान में प्राथमिकता के हकदार हैं, को सुरक्षित करने के लिये किसी भुगतान करने या कम्पनी के परिसमापन की ऐसी लागत एवं खर्च जो कि कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में युक्तियुक्त हैं, को बहन करने के लिये ऐसी आस्तियों और सम्पत्तियों को अलग करने से वर्जित नहीं करेगी।

(ब) यदि समापक खण्ड (क) के अनुसार नोटिस नहीं देता है, या खण्ड (ग) द्वारा अपेक्षित धनराशि अलग नहीं रखता है या उस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति को अलग करता है, तो वह कर, अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी भुगतान करने के लिये दायी होगी, के भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कम्पनी के द्वारा देय कर, अर्थदण्ड और ब्याज की धनराशि खण्ड (ख) के अधीन सूचित कर दी जाती है तो इस उपखण्ड के अधीन समापक की व्यक्तिगत रूप से देयता ऐसी धनराशि की सीमा तक ही होगी।

(ड) जहाँ एक से अधिक समापक हैं, इस धारा के अन्तर्गत समापक से जुड़ी बाध्यता एवं दायित्व सभी समापकों से संयुक्त एवं पृथक-पृथक जुड़ी रहेगी।

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी रहेंगे।

(छ) इस धारा के प्रयोजन हेतु "कम्पनी" और "प्राइवेट कम्पनी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में उनके हैं।

(3) कम्पनियों का समामेलन :

(क) जब दो या अधिक कम्पनियों का समामेलन किसी न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा किया जाता है और आदेश, आदेश की तारीख से पूर्व की तारीख से प्रभावी होता है, और ऐसी दो या अधिक कम्पनियों ने आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारम्भ और आदेश के समाप्त होने वाली अवधि में कोई माल एक दूसरे को विक्रय किया गया है या एक दूसरे से क्रय किया गया है, तो विक्रय एवं क्रय के ऐसे संव्यवहार सम्बन्धित कम्पनियों के विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त में सम्मिलित किये जायेंगे और तदनुसार कर निर्धारित किया जायेगा।

(ख) उक्त आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु उक्त दो या अधिक कम्पनियों पृथक कम्पनियों समझी जायेंगी और उक्त आदेश की तारीख तक सभी अवधियों के लिये इसी भांति समझी जायेंगी और ऐसी कम्पनियों के पंजीयन प्रमाण-पत्र जहाँ आवश्यक हो, उक्त आदेश की तारीख से निरस्त किये जायेंगे।

(ग) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियों, जो इस धारा में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में उनके हैं।

13. कर्तृत्व अधिकता, जो कर्ता की ओर से किये गये विक्रय पर कर के दायी हैं:

(1) यदि कोई व्यक्ति कमीशन अधिकता के रूप में अपने कर्ता की ओर से किसी कराधेय माल का विक्रय या क्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति और उसका कर्ता दोनों ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता कमीशन अधिकता की होगी और वह उसे अपने कर्ता से वसूल कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह और भी है यदि कर्ता कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर

देता है
संव्यवहा

(2) यदि
ओर से
प्रबन्धक
पृथक-

होगी अ

समाधान
अधिकता
के लिये

14. का

(1) यदि
का विक्र
अंतरण
कर (कि
(किसी
के रह

(2) यदि
नाम में
माल के
समय के

(3) यदि
जाता है
के लिये

(4) यदि
व्यक्ति
के विक्र

15. पंज

(1) कोई
है, ऐसे
करायेगा

उस तार
अनुमन्य

(2) प्रत्ये

(द

(र

अलग रखेगा
गई किसी भी

के आदेश के
कोई हो, के
अधीन सरकार
भुगतान करने
में युक्तियुक्त
करेगी।

धनराशि अलग
वा सम्पत्ति को
ान्तर्गत कम्पनी

शि खण्ड (ख)
से देयता ऐसी

दायित्व सभी

ारा के उपबन्ध

ंगे जो कम्पनी

आदेशों द्वारा
र ऐसी दो या
ने वाली अवधि
विक्रय एवं क्रय
ये जायेंगे और

दो या अधिक
के लिये इसी
क्त आदेश की

वही अर्थ होगा

माल का विक्रय
र देय कर के

होगी और वह

समाधान कर

देता है कि ऐसे माल पर ऐसे कमीशन अभिकर्ता द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है, तब उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कर्ता पुनः कर के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा।

(2) यदि किसी अनिवासी ब्यौहारी का कोई प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता राज्य में अनिवासी ब्यौहारी की ओर से किसी माल का विक्रय या क्रय करता है, तो अनिवासी ब्यौहारी और राज्य में निवास कर रहा प्रबन्धक या अभिकर्ता ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता की होगी और वह उसे अनिवासी ब्यौहारी से वसूल कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अनिवासी ब्यौहारी कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर देता है कि ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त के सम्बन्ध में देयकर का भुगतान प्रबन्धक या अभिकर्ता द्वारा कर दिया गया है, तो उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में अनिवासी ब्यौहारी कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं होगा।

14. कारबार के अंतरण के मामले में कर दायित्व:

(1) यदि कोई ब्यौहारी जो इस अध्यादेश के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, अपने कारबार का विक्रय, मेट, पट्टे, लाईसेन्स, भाड़ा या किसी अन्य रीति जैसी भी हो, द्वारा पूरा या आंशिक रूप से अंतरण करता है, तो अंतरक और अंतरिती ऐसे अंतरण के समय तक उक्त कारबार के सम्बन्ध में देय कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) के संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे, चाहे ऐसे कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का निर्धारण ऐसे अंतरण के पूर्व किया गया है लेकिन बिना भुगतान के रह गया है, या निर्धारण उसके पश्चात् किया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कारबार का कोई अंतरक या पट्टेदार ऐसे कारबार को चाहे अपने नाम में या किसी अन्य नाम में, चालू रखता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा किये गये माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी होगा और यदि वह एक विद्यमान ब्यौहारी है, तो वह विहित समय के भीतर पंजीयन के संशोधन हेतु आवेदन करेगा।

(3) यदि अंतरिती से उपधारा (1) के अधीन अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई हो, सहित कर वसूल किया जाता है तो ऐसा अंतरिती इस बात के लिये हकदार होगा कि वह इसको उस व्यक्ति, जो उस के भुगतान के लिये मूलतः दायी था, से वसूल कर ले।

(4) यदि कोई ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, अपने कारबार में किसी व्यक्ति द्वारा उत्तरवर्ती किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस तारीख को या इसके पश्चात् किये गये माल के विक्रय या क्रय पर कर के भुगतान का दायी होगा।

अध्याय-III

पंजीयन, संशोधन और निरस्तीकरण

15. पंजीयन :

(1) कोई ब्यौहारी या व्यक्ति जो कारबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाय, अपने आपको पंजीकृत करायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी, जो कर भुगतान के लिये दायी है, को अपना पंजीयन कराने के लिये, उस तारीख जब से वह प्रथम बार ऐसे कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा, से 30 दिन का समय अनुमन्य होगा।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी—

(क) जो उत्तरांचल के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई माल विक्रय करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर से आयात किये हुए माल का उपयोग करके अपने द्वारा विनिर्मित माल का

विक्रय करता है; या

(ग) जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है; या

(घ) जो धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर कटौती के अधीन है; या

(ङ) जो कर के भुगतान का दायी होता (यदि इस अधिनियम के अधीन छूट स्वीकृत नहीं की गई होती) बशर्त कर निर्धारण वर्ष के लिये उसका वास्तविक या अनुमानित आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से कम नहीं है; या

(च) जो किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ करता है और शेष वर्ष के लिये उसका औसत मासिक अनुमानित आवर्त या जिसका पूर्वोक्त अवधि में किसी भी माह में उसका वास्तविक आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) के अनुसार कराधेय मात्रा के बारहवें हिस्से (1/12) से कम नहीं है, वह पंजीयन के लिये दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्यौहारी जो केवल उस माल जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर से मुक्त किये गये हैं, (उनको छोड़कर जिनको सशर्त कर मुक्त किया गया है) में कारबार करते हैं, के लिये इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निम्न ब्यौहारी जो अन्यथा कर के भुगतान करने के दायी नहीं हो सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिये उस तारीख से दायी समझे जायेंगे जब ब्यौहारी प्रथम बार—

(क) राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल प्राप्त करता है, या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर माल आयात करता है या क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है, या

(ग) कोई कराधेय माल, विक्रय के अन्यथा, राज्य के बाहर प्रेषण करता है।

(4) इस धारा में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, निम्न वर्ग के ब्यौहारी, उनके विक्रय धन का विचार किये बिना, अपने कारबार के प्रारम्भ करने की तारीख से पंजीयन के दायी होंगे—

(क) प्रत्येक नैमित्तिक ब्यौहारी,

(ख) केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन राज्य के भीतर पंजीकृत प्रत्येक ब्यौहारी,

(ग) राज्य के बाहर रहने वाला लेकिन राज्य के भीतर कारबार करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी,

(घ) शराब, बीयर सहित, का प्रत्येक ब्यौहारी,

(ङ) प्रत्येक क्रमीशन एजेन्ट, दलाल, परिशोधी अभिकर्ता, नीलामकर्ता, या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जो अपने कर्ता की ओर से माल का क्रय, विक्रय, संभरण या वितरण करता है।

(5) ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार पंजीयन प्राप्त करने के लिये अपेक्षित प्रत्येक ब्यौहारी कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त एक आवेदन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक ब्यौहारी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन—

(क) पंजीयन प्रमाण-पत्र रखता हो, या

(ख) अनन्तिम पंजीयन प्रमाण-पत्र रखता हो,

और जिस पर इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) या उपधारा (5) लागू होती है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक जिसका पंजीयन प्रमाण-पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा न तो निरस्त किया गया और न ऐसे ब्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया गया है, वह धारा 17 के उपबन्धों के रहते

हुये इ
जायेग
है तो
प्राधि

(7) प्र
अधिनि
है औ
पंजीय
ऐसी र
के अध
से उस

(8) प्र
आदेश
तारीख
के सम्
कर दि
को इ

(9) क
आदेश
अधिनि
है, ले
आदेश
के अध
जैसा

(10) क
के मु
पंजीय
किया

16. स

(1) क

तो, य
से प्र
जाने

(2) क
पंजीर
होगा

(3) इ
उपब-

हुये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा, और यदि ऐसा कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी बने रहने का इच्छुक नहीं है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(7) प्रत्येक ब्यौहारी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी रहा है और धारा 3 की उपधारा (7) में उल्लिखित आवर्त सीमा को देखते हुये वह इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये दायी नहीं है, लेकिन यदि वह पंजीयन रखे रखना चाहता है, तो ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसको इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन स्वीकृत किया जा सकता है, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसको इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा जायेगा।

(8) प्रत्येक ब्यौहारी जिसने उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व आवेदन किया था और जिसका प्रमाण-पत्र उस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित था, तो, यदि बाद में उस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर दिया जाता है और उसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक कारबार बन्द नहीं किया है, को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।

(9) कोई ब्यौहारी जो उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अनुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये दायी था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, लेकिन ऐसे ब्यौहारी ने उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये आवेदन नहीं किया था, तो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, पंजीयन स्वीकृति हेतु पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(10) कोई ब्यौहारी यदि अन्यथा धारा 3 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायी नहीं है, तब तक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत न करे।

16. स्वैच्छिक पंजीयन:

(1) कोई ब्यौहारी जो—

(क) विक्रय हेतु किसी कराधेय माल का विनिर्माण करना चाहता है, या

(ख) कराधेय माल के विक्रय या क्रय का कारबार करना चाहता है, या

(ग) माल के विक्रय व क्रय का कारबार कर रहा है, लेकिन अन्यथा पंजीयन प्राप्त करने के लिये दायी नहीं है,

तो, यदि वह ऐसा चाहे, इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन की स्वीकृति हेतु आवेदन विहित रीति से प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा पंजीयन प्रमाण-पत्र, यदि स्वीकृत किया जाता है, आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) कोई ब्यौहारी जिसको इस धारा के अधीन या धारा 15 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर दिया जाता है, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिये दायी होगा जब तक उसका पंजीयन प्रभावी रहता है।

(3) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर किसी ब्यौहारी का पंजीयन, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो, बना रहेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत कोई ब्यौहारी उक्त उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए ऐसे पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को, विहित रीति से, प्रस्तुत कर सकता है और कर निर्धारक प्राधिकारी, यदि ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के मुगतान करने के लिये दायी न हो, ऐसा आवेदन दिये जाने की तारीख या किसी अन्य तारीख जैसा कि वह उचित समझे, से पंजीयन निरस्त कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत किसी ब्यौहारी का आवर्त जब आनुक्रमिक अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कराघेय मात्रा से कम रहता है, तो कर मुगतान करने का उसका दायित्व समाप्त हो जायेगा।

(6) धारा 17, धारा 18 और धारा 19 के उपबन्ध इस धारा के अधीन स्वीकृत होने वाले पंजीयन प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि धारा 15 के अधीन पंजीयन पर लागू होते हैं।

17. पंजीयन के लिये प्रक्रिया:

(1) किसी ब्यौहारी ने उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिये अपेक्षित फीस का मुगतान नहीं किया है, तो पंजीयन प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विधि मान्य नहीं समझा जायेगा, लेकिन यदि ऐसा ब्यौहारी देय नवीनीकरण फीस 100/- विलम्ब फीस सहित इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर जमा कर देता है तो वह नवीनीकरण फीस जमा करने की तारीख से पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित है, पंजीयन हेतु आवेदन ऐसे प्रारूप में ऐसी फीस सहित, ऐसी अवधि में और रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, और धारा 20 के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जो इस निमित्त विहित की जाय, आवेदन स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है, और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंजीयन स्वीकार करने हेतु ब्यौहारी से कोई प्रतिभूति मांगी जाती है, तो पंजीयन, ब्यौहारी द्वारा ऐसी प्रतिभूति कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार जमा करने के पश्चात्, स्वीकृत किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पंजीयन उस तारीख से प्रभावी होगा, जब ब्यौहारी पंजीयन के लिये दायी हो जाता है, यदि वह विहित अवधि के भीतर पंजीयन के लिये आवेदन करता है और किसी अन्य स्थिति में, उस दिन से जब वह पंजीयन के लिये आवेदन करता है।

(5) किसी ब्यौहारी को स्वीकार किया गया पंजीयन प्रमाण-पत्र कारबार बन्द किये जाने तक प्रभावी रहेगा जब तक कि पंजीयन प्रमाण-पत्र इससे पूर्व किसी समय भी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो।

(6) यदि पंजीयन के लिये आवेदन अशुद्ध या अपूर्ण है, या व्यवस्थित रूप में नहीं है या फीस या अर्थदण्ड का मुगतान नहीं किया गया है या मांगी गयी प्रतिभूति जमा नहीं की गयी है या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने पर, वह, आवेदनकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आवेदन एक लिखित आदेश द्वारा निरस्त कर सकता है।

(7) (क) यदि कोई ब्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकार कर दिया गया है—

(i) इस अधिनियम के अधीन विवरणी विहित अवधि में दाखिल करने में असफल रहता है; या

(ii) विवरणी में जानते हुये अपूर्ण या अशुद्ध विशिष्टियां देता है; या

(iii) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कोई कर (अर्थदण्ड या ब्याज सहित) विहित अवधि में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलम्बित किया जा सकता है।

(ख)
के स
देने
सकत

नहीं
उसने
प्राधि

(8) f
मुगत
आवे
जाये

(9) 2
दिया
उसक

(10)
से मू
है।

(11)

(12)
असर्व
से व

के उपबन्धों के
रीति से, प्रस्तुत
भुगतान करने
इ उचित समझे,

नुक्रमिक अगले
दायित्व समाप्त

यन प्रमाण-पत्र
न पंजीयन पर

एवं उपान्तरण
स का भुगतान
न्य नहीं समझा
। अधिनियम के
जमा करने की

प्रत है, पंजीयन
विहित किया

उपबन्धों और
और ब्यौहारी
है-

मांगी जाती है,
रने के पश्चात्,

पंजीयन उस
प्रवधि के भीतर
जीयन के लिये

प्रभावी रहेगा
के उपबन्धों के

स या अर्थदण्ड
रिक्त प्राधिकारी
का युक्तियुक्त

रहता है; या

1) विहित अवधि
अंश प्राधिकारी
II है।

(ख) जहाँ धारा 18 के अधीन पंजीयन को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित है, ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण-पत्र उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस अवधि के लिये जब कि निरस्त करने की कार्यवाही लम्बित है, निलम्बित किया जा सकता है-

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (क) के अधीन किसी ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं किया जायेगा यदि उसने विवरणी को नोटिस में विहित तारीख के भीतर दाखिल कर दिया है और उसने इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड या ब्याज का भुगतान ऐसी तारीख, जो कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बढ़ा सकता है, तक कर दिया हो।

(8) निलम्बन की तारीख से 45 दिन के भीतर समस्त कर (अर्थदण्ड या ब्याज, यदि कोई हो, सहित) का भुगतान करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने और समस्त अतिशोध्य विवरणी को प्रस्तुत करने पर, ब्यौहारी के आवेदन देने पर उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निलम्बन वापस ले लिया जायेगा और पंजीयन प्रमाण-पत्र बहाल कर दिया जायेगा।

(9) यदि कोई ब्यौहारी जिसका पंजीयन का प्रमाण-पत्र उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुपालन करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है।

(10) उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निलम्बन, उसके निलम्बन के तारीख से भूतलक्षी रूप से वापस ले लिया जायेगा यदि पंजीयन के प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण नहीं किया जाता है।

(11) यदि कोई ब्यौहारी जिस पर धारा 15 के उपबन्ध लागू होते हैं-

(क) अपने कारबार या उसके किसी अंश का अंतरण विक्रय, पट्टे, इजाजत, लाइसेंस, भाड़ा या किसी अन्य रीति, जैसी भी है, द्वारा करता है या अन्यथा अपने कारबार या उसके किसी अंश का अन्यथा व्ययन करता है; या

(ख) किसी कारबार को, चाहे क्रय कर के या अन्यथा, प्राप्त करता है; या

(ग) अपने कारबार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा उसके संज्ञान में आता है; या

(घ) अपना कारबार बन्द करता है या अपने कारबार का स्थान या भांडागार को बदलता है या नया कारबार का स्थान या भांडागार खोलता है; या

(ङ) अपने कारबार के नाम, शैली या प्रकृति में परिवर्तन करता है अथवा ऐसे माल जिसमें वह कारबार करता है, के वर्ग या विवरण जैसा कि उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, में कोई परिवर्तन करता है; या

(च) अपने कारबार के सम्बन्ध में किसी भागीदारी या अन्य संगम में शामिल होता है; या

(छ) कोई नया कारबार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से किसी कारबार में सम्मिलित होता है; या

(ज) किसी परिणियम के अधीन निगमित कम्पनी या कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी अपने निदेशक बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करती है; या

(झ) धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिये दिये गये आवेदन में दी गयी विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करता है, तो, उपरोक्त घटनाओं में से किसी के भी घटित होने के 30 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, सूचित करेगा।

(12) जहाँ किसी ब्यौहारी का पंजीयन हेतु दिया गया आवेदन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अस्वीकार कर दिया जाता है और पंजीयन हेतु आवेदन पर विनिश्चय लम्बित रहते हुये, ब्यौहारी ने क्रेताओं से कर वसूल किया है, तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय

कोष में जमा करने के लिए दायी होगा, और क्रेता इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा, मानो कि ब्यौहारी इस प्रयोजन हेतु, पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आरम्भ होने और इस प्रकार के अस्वीकृति आदेश की ब्यौहारी पर तामीली की तारीख तक की अवधि में एक पंजीकृत ब्यौहारी था।

18. पंजीयन का निरस्तीकरण:

(1) किसी ब्यौहारी का धारा 15 या धारा 16 के अधीन स्वीकृत पंजीयन का प्रमाण-पत्र कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ब्यौहारी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निरस्त किया जा सकता है, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि—

(क) कोई कारबार जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी को पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया गया है, बन्द कर दिया गया है; या

(ख) किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में जहाँ अंतरिती के पास इस अधिनियम के अधीन पहले से पंजीयन है; या

(ग) कोई निगमित निकाय बन्द कर दिया जाता है या वह अन्यथा अस्तित्वहीन हो जाता है; या

(घ) किसी सांपत्तिक (प्रोपराइटरशिप) कारबार के स्वामी की मृत्यु हो जाती है और, कारबार चलाने के लिये कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है; या

(ङ) किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के मामले में यदि उसका विघटन हो जाता है; या

(च) कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायित्वाधीन नहीं रह गया है या पंजीकरण के अध्याधीन नहीं रह गया है; या

(छ) कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर (कोई अर्थदण्ड या ब्याज सहित) देय तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहा है; या

(ज) कोई ब्यौहारी माल के विक्रय के सन्दर्भ में किसी व्यक्ति को विक्रय बीजक जारी करके, ऐसे बीजक को जानबूझ कर अपनी लेखा पुस्तकों में लेखांकन करने में असफल रहा है; या

(झ) कोई ब्यौहारी किसी घोषणापत्र जिसको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह झूठा है, को रखता है या स्वीकार करता है या प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है; या

(ञ) कोई ब्यौहारी जिससे धारा 20 के उपबन्धों के अधीन प्रतिभूति दिया जाना अपेक्षित है लेकिन ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहा है; या

(ट) कोई ब्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, ने इसका दुरुपयोग किया है; या

(ठ) कोई ब्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, ने अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति को कारबार को जारी रखने की अनुमति दी है; या

(ड) किसी ब्यौहारी द्वारा प्राप्त किये इस अधिनियम के अधीन विहित कोई घोषणा का प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति या ब्यौहारी को विधिपूर्ण प्रयोजन के सिवाय अंतरण किया गया है; या

(ण) कोई ब्यौहारी मूल से पंजीकृत किया गया है; या

(त) कोई ऐसा अन्य कारण है जिसके लिये कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही करना अपेक्षित है,

तो, कर निर्धारक प्राधिकारी उन कारणों को अभिलिखित करके और ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय किसी ब्यौहारी द्वारा धारित पंजीयन का प्रमाण-पत्र ऐसी तारीख से जो इस निमित्त कर निर्धारक प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, निरस्त कर सकता है।

(2) ऊपर उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, कर निर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, ऐसे ब्यौहारी जिसने पंजीयन निरस्त किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है, का पंजीयन निरस्त कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता

है कि

(3) व

प्रमाण

निरस्त

(4) प

जब

(5) प्र

के रु

(6) य

कार्य

व धा

लिये

के ल

के उ

(7) प्र

के स

उसके

आदेश

जैसी

केन्द्री

का फ

घोषण

(8) फ

के स

भुगत

ब्यौह

को

तारी

जाय

19.1

(1) व

करके

संशो

गा. मानो कि
र इस प्रकार
ब्यौहारी था।

कर निर्धारक
कर निर्धारक

प्रमाण-पत्र

अधिनियम के

गता है; या
रबार चलाने

या
नहीं रह

सहित) देय

करके, ऐसे
या

है कि वह
है; या

है लेकिन

उपयोग किया

किसी अन्य

ग प्रपत्र या
किया गया

वाही करना

अवसर देने
से जो इस

नर या इस
यन निरस्त
न हो जाता

है कि ऐसा व्यक्ति धारा 15 या धारा 15 के अधीन पंजीयन या स्वैच्छिक पंजीयन का हकदार नहीं है।
(3) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा और पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त करने हेतु ब्यौहारी का आवेदन ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा।

(4) पंजीयन निरस्तीकरण कर निर्धारक प्राधिकारी के निरस्तीकरण के आदेश की तारीख से प्रभावी होगा जब तक कि वह कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा आदेशित किसी अन्य तारीख से प्रभावी न हो।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीयन इस धारा के अधीन निरस्त होता है, निरस्तीकरण की तारीख को स्टॉक के रूप में या पूंजीगत माल के रूप में धारित प्रत्येक कराधेय माल के सम्बन्ध में—

(क) उस माल के सम्बन्ध में देय कर यदि माल की बिक्री उस तारीख में उचित बाजार कीमत पर की गई होती; या

(ख) ऐसे माल के सम्बन्ध में पूर्व में दावाकृत कुल इनपुट टैक्स का लाभ, जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि का भुगतान करेगा।

(6) यदि इस धारा के अधीन पारित निरस्तीकरण का कोई आदेश, अपील या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया जाता है तो ब्यौहारी का पंजीयन का प्रमाण-पत्र, धारा 15 व धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बहाल कर दिया जायेगा और वह कर का भुगतान करने के लिये उस प्रकार दायी होगा मानो कि उसका पंजीयन का प्रमाण-पत्र कमी भी निरस्त नहीं किया गया था:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ब्यौहारी ने अपनी अपील के निस्तारण या इस प्रकार की अन्य कार्यवाही के लम्बित रहते हुये क्रेताओं से कोई कर वसूल किया है तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय कोष में जमा करने के लिए दायी होगा।

(7) प्रत्येक ब्यौहारी जो अपने पंजीयन को निरस्त किये जाने के लिये आवेदन करता है, अपने आवेदन के साथ उसको दिये गये पंजीयन का प्रमाण-पत्र अम्यर्पित करेगा और प्रत्येक ब्यौहारी जिसका पंजीयन, उसके आवेदन के अन्यथा, निरस्त किया जाता है, वह अपना पंजीयन का प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण के आदेश की संसूचना की तारीख के 15 दिन के भीतर अम्यर्पित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ब्यौहारी पंजीयन प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण के आवेदन के साथ या, जैसी भी दशा हो, निरस्तीकरण आदेश की संसूचना की तारीख के 15 दिन के अन्दर, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त और उपयोग किये गये समस्त घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का विवरण, यदि पूर्व में पहले ही जमा न किया गया है, प्रस्तुत करेगा और बिना उपयोग किये गये घोषणा-पत्र और प्रमाण-पत्र के अवशेष प्रपत्र अम्यर्पित करेगा।

(8) किसी व्यक्ति द्वारा जबकि वह एक पंजीकृत व्यक्ति है, किसी बात के करने अथवा करने से चूक जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उसकी बाध्यताएं और दायित्व (धारा 23 द्वारा अपेक्षित कर के भुगतान और विवरणी दाखिल करने सहित) पंजीयन प्रमाण-पत्र के निरस्त हो जाने से प्रभावित नहीं होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी के आवेदन पर अथवा अन्यथा पंजीयन के निरस्तीकरण के बावजूद, ब्यौहारी द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय कर (अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का भुगतान करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसा कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का निर्धारण निरस्तीकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो किन्तु भुगतान के लिये बकाया रह गया हो, या उसके बाद निर्धारित किया जाय।

19. पंजीयन प्रमाण-पत्र का संशोधन:

(1) कर निर्धारक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सूचना पर विचार करके और ऐसी पूछताछ जिसे वह उचित समझे, करके, किसी पंजीयन प्रमाण-पत्र को, समय-समय पर, संशोधित कर सकता है, और पंजीयन प्रमाण-पत्र का ऐसा संशोधन निम्न प्रकार प्रभावी होगा:—

(क) नाम, स्वामित्व या कारबार के स्थान में परिवर्तन या एक नया कारबार का स्थान खोलने के मामले में, घटना जिसके कारण संशोधन किये जाने के लिये आवश्यकता हुई हो, की तारीख से, चाहे उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई हो अथवा नहीं;

(ख) पंजीयन प्रमाण-पत्र में किसी माल के वर्णन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन के मामले में, घटना जिसके कारण संशोधन किये जाने की आवश्यकता हुई है, की तारीख से यदि उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई है, और अन्य किसी मामले में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन के लिये प्रार्थना कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने की तारीख से;

(ग) किसी माल या माल के वर्ग को हटाने की दशा में, हटाने के आदेश की तारीख से:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारबार के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी ब्यौहारी द्वारा कर के भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है, पंजीयन प्रमाण-पत्र का संशोधन उस तारीख जिसको धारा 17 की उपधारा (11) के अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन की सूचना दी गयी है, से प्रभावी होगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि कर निर्धारक प्राधिकारी किसी पंजीयन के आवेदन को स्वप्रेरणा से संशोधन करने से पूर्व ऐसे संशोधन से प्रभावित होने वाले ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देगा।

(2) जहाँ कोई पंजीकृत ब्यौहारी—

(क) अपने कारबार के नाम में परिवर्तन करता है; या

(ख) एक फर्म है और फर्म के गठन में, उसको विघटन किये बिना, परिवर्तन होता है; या

(ग) एक न्यास है और इसके न्यासियों में कोई परिवर्तन होता है; या

(घ) किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है और संरक्षता में कोई परिवर्तन होता है; या

(ङ) एक "संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब" है और ऐसे कुटुम्ब का कारबार एक भागीदारी कारबार जिसमें सभी या कोई सहदायिक इसके भागीदार हों, में परिवर्तित हो जाता है,

तब उपरोक्त परिस्थिति के किसी कारण मात्र से, ऐसे ब्यौहारी या ऐसी फर्म के लिये नये पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा और इस धारा के अधीन अपेक्षित रीति से सूचना प्रेषित किये जाने पर, पंजीयन प्रमाण-पत्र संशोधित कर दिया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र का कोई संशोधन इस अधिनियम के अधीन किसी कर के दायित्व या किसी अपराध के लिये अधिरोपणीय अर्थदण्ड के उसके किसी दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगा।

20. राजस्व के हित में प्रतिभूति:

(1) कर निर्धारक प्राधिकारी का—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या भुगतान योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये; या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिये; या

(ग) पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत या, जैसी भी स्थिति हो, उसको प्रभावी बने रहने के लिये एक शर्त के रूप में,

जहाँ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या, जैसी भी स्थिति हो, किसी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति विहित रीति से और विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी प्रतिभूति या, यदि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी है, तो किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा और उन समुचित कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति (एक पंजीकृत ब्यौहारी के अन्यथा) जो उत्तरांचल राज्य के भीतर माल की कोई खेप आयात करता है, से यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई कर अपवचन नहीं हो, युक्तियुक्त प्रतिभूति की मांग कर सकता है।

(3) व
या अ
दिया

(4) ए
की ज

(5) इ
में क
से, जि
जो ऐ

(6) या
पंजीय
है, तो

(7) में

(7) या
में हो

उपर्युक्त
ऐसी ए
रीति से

(8) कर
ब्यौहारी
सम्पूर्ण

(9) कर

मामले में, घटना उस निमित्त सूचना सी मामले में ऐसे की तारीख से;

तारीख से:

नप किसी ब्यौहारी का संशोधन उस गयी है, से प्रभावी

प्रेरणा से संशोधन सर देगा।

ता है; या

रवार जिसमें सभी

लये नये पंजीयन त रीति से सूचना

न किसी कर के ई प्रतिकूल प्रभाव

अन्य धनराशि की

समुचित अभिरक्षा

के लिये एक शर्त

गों से जो उसमें तो समय जब ऐसा से और विनिर्दिष्ट हले ही दे दी है, योजनों के लिये

इसमें अभिलिखित र माल की कोई केतयुक्त प्रतिभूति

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति से इस धारा के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति जिसकी किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति से देने की अपेक्षा की जायेगी, की धनराशि—

(क) ऐसे ब्यौहारी जो धारा 3 के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है, जिसने धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये आवेदन किया है, के मामले में वह धनराशि होगी जो इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी कर के भुगतान के लिये दायी है या हो जायेगा, जिसको कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसे ब्यौहारी के कारबार की प्रकृति व आकार पर विचार करते हुए अवधारित करेगा,

(ख) किसी अन्य मामले में ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति के उस कर निर्धारण वर्ष जिसमें प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है, के लिये आवर्त पर कर निर्धारक प्राधिकारी के प्राक्कलन के अनुसार देय कर से अधिक नहीं होगा।

(5) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित माल के सम्बन्ध में कमिश्नर एक लिखित सामान्य आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किसी प्रपत्र की अपेक्षा हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी।

(6) यदि प्रतिभूति-पत्र एक पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा निष्पादित किया गया है और ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र या तो निरस्त कर दिया गया है या उनके द्वारा अपना कारबार बन्द कर दिया गया है, तो ब्यौहारी ऐसी नई प्रतिभूति देगा जैसा कि निदेशित किया जाय या ऐसी रीति से जैसी कि उपधारा (7) में उल्लिखित है।

(7) यदि किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन दी गयी प्रतिभूति बन्ध-पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय, तो ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के 60 दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध-पत्र देगा अथवा विहित रीति से कर निर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार बन्ध-पत्र की धनराशि की अन्य प्रतिभूति देगा।

(8) कर निर्धारक प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा और इसमें समुचित कारणों को अभिलिखित करके, किसी ब्यौहारी या किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रतिभूति जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूति भी सम्मिलित है, सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को—

(क) कर या किसी अन्य देय धनराशि की वसूली; या

(ख) जैसा कि ऊपर उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, प्रपत्रों का उचित उपयोग न करने या कोरे या उपयोग में न लाये गये प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण राज्य सरकार को हुई किसी आर्थिक हानि की वसूली; या

(ग) विक्रय के झूठे बीजकों के जारी करने के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली, हेतु जब्त कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(9) कर निर्धारक प्राधिकारी, किसी ऐसे ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को—

(क) पंजीयन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है ; या

(ख) पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकता है ; या

(ग) जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, किसी भी प्रपत्र को जारी करने से इनकार कर सकता है,

जब तक कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिभूति, या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त प्रतिभूति देने सम्बन्धी आदेश का अनुपालन नहीं करता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संबंधित ब्यौहारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा।

(10) जहाँ किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति पूर्णतः या मागतः जब्त कर ली जाती है या अपर्याप्त है, वहाँ अपेक्षित रकम की, यथा स्थिति, नई या अतिरिक्त प्रतिभूति देकर कमी की पूर्ति ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, करेगा।

(11) किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति जिसने अपेक्षानुसार प्रतिभूति दी है, के आवेदन देने पर, कर निर्धारक प्राधिकारी प्रतिभूति की कोई धनराशि या इसके भाग को विहित रीति द्वारा वापस कर सकता है यदि ऐसी प्रतिभूति उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये दी गई थी, अपेक्षित नहीं है।

(12) किसी ऐसे ब्यौहारी से, जो धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल के अन्यथा कारबार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन विहित किन्हीं प्रपत्रों का उपयोग न करता हो, इस धारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(13) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 51 के अधीन ऐसी रीति के अनुसार और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाय, अपील की जा सकती है।

(14) कोई ब्यौहारी या व्यथित व्यक्ति, जो अपील प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित की जाय, धारा 53 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है।

(15) इस धारा के उपबन्ध ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा देने की अपेक्षा की गयी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

21. पंजीयन संख्या को उदघृत करना :

(1) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी विक्रय या क्रय से सम्बन्धित प्रत्येक बिक्रीबीजक, चालान और ऐसे किसी दस्तावेज पर अपनी पंजीयन संख्या और उसके प्रभावी होने की तारीख छपवायेगा।

(2) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी मांग करता है, तो वह अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी, यदि किसी माल का क्रेता ऐसी अपेक्षा करता है तो वह अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र दिखायेगा।

(4) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी किसी माल का क्रय करते समय अपना नाम, पता, पंजीयन संख्या विक्रेता ब्यौहारी को देगा जो इनको ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित बिक्रीबीजक या चालान या ऐसे किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख करेगा।

(5) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी अपने कारबार के प्रत्येक स्थान पर सूचना पट पर अपना नाम, पंजीयन संख्या और इसके प्रभावी होने की तारीख इस प्रकार पेण्ट करायेगा कि वह सड़क से आसानी से पढ़ने योग्य हो।

22. ब्यौहारी द्वारा कर की वसूली :

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत ब्यौहारी (जिसमें कमीशन अभिकर्ता या धारा 2 की उपधारा (11) के खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है) द्वारा माल के विक्रय के किसी आवर्त पर कर देय है तो ऐसा ब्यौहारी उस व्यक्ति से, जिसे उसने चाहे अपनी ओर से या अपने कर्ता की ओर से माल बेचा हो, माल के विक्रय पर देय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ब्यौहारी किसी व्यक्ति जिसको माल विक्रय किया गया है, से कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा देय नहीं है या देय धनराशि से अधिक है:

प्रतिबन्ध यह और है कि ऐसा कोई ब्यौहारी जो धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन प्रकल्पित कर का भुगतान करने का करार करता है या जिससे कर निर्धारक प्राधिकारी उसके द्वारा देय

कर की
सहमत
बदले में

(2) कोई
से किये
या क्रय
उस धन

(3) इस
विक्रय
किसी अ
कर के
के बदले
करेगा।

(4) यदि
किये ग

(5) यदि
से कर
में अलग

(6) यदि
ऐसे मा

(7) यदि
नहीं कर
होगा।

(8) यदि
है, द्वारा
गयी है,
धन से

(9) यदि
अन्तर्गत
धनराशि

23. सा

(1) प्रत्ये
कालावा
उन्हें ऐ

(2) उप
15 के
लिये औ

कर की धनराशि के बदले धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाता है, तो वह किसी व्यक्ति से माल के विक्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये किसी माल के विक्रय और क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न माल के विक्रय या क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में, और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत ब्यौहारी अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये माल के विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति जिसे उसके द्वारा माल का विक्रय किया गया है, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से न माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा, और वह कर या कर के बदले में कोई धनराशि जो उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय नहीं है, वसूल नहीं करेगा।

(4) यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी माल के विक्रय पर क्रेता से कर वसूल करता है, तो बिक्रीबीजक विक्रय किये गये माल की कीमत और वसूल किये गये कर की धनराशि को अलग-अलग दर्शायेगा।

(5) यदि कोई ब्यौहारी जो किसी माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायी है, ऐसे माल के क्रेता से अलग से कर प्रभारित नहीं करता है या कर की धनराशि प्रभारित करने के पश्चात् ऐसी धनराशि को बिक्रीबीजक में अलग से नहीं दर्शाता है, तो विक्रेता ब्यौहारी माल की पूरी कीमत पर कर भुगतान का दायी होगा।

(6) यदि किसी माल का विक्रेता ऊपर उपधारा (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है, तो कोई व्यक्ति ऐसे माल के क्रय पर कर के नाम में किसी रकम का भुगतान करने से इन्कार कर सकता है।

(7) यदि कोई ब्यौहारी, किसी ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी से, जो ऊपर उपधारा (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है, कोई माल क्रय करता है तो वह ऐसे क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स लाम का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि किसी ब्यौहारी जिससे इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है, तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, तदसम्बन्धित कर अवधि के लिये अपने विक्रय धन से सम्बन्धित विवरणी के साथ विहित रीति से जमा करेगा।

(9) यदि किसी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है, तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व विहित रीति से जमा करेगा।

अध्याय-IV

विवरणी, कर निर्धारण, भुगतान और वसूली

23. सावधिक विवरणी और कर का भुगतान :

(1) प्रत्येक ब्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है, ऐसे अंतरालों पर, ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसे प्रारूप में अपने विक्रय-धन एवं क्रय-धन की विवरणी प्रस्तुत करेगा, और उन्हें ऐसे ढंग से प्रमाणित करेगा, जो विहित किया जाय।

(2) उपधारा(1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी या प्रत्येक ब्यौहारी जो धारा 15 के अधीन अपने को पंजीकृत कराने के लिये दायी है, अपने विक्रय-धन की विवरणी ऐसी अवधि के लिये और ऐसी रीति से, जो विनिर्दिष्ट की जाय, दाखिल करेगा।

(3) कर भुगतान के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति अपने विवरणी के साथ पंजीकृत ब्यौहारियों से किये गये माल के क्रय जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया जा रहा है, की सूची भी प्रस्तुत करेगा।

(4) संकर्म संविदा के अनुसरण में माल में सम्पत्ति के अन्तरण या किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को कोई भुगतान करने वाला और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक ब्यौहारी ऐसे भुगतान की विवरणी उनके पूरे नाम, पते और कर-अवधि में भुगतान की गई धनराशि और की गई कटौती सहित, ऐसे समय में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसी कि विहित की जाय, दाखिल करेगा।

(5) उपरोक्त उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी, कमिश्नर ऐसे किसी ब्यौहारी या ब्यौहारियों के वर्ग को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसे कि विहित की जायें, ऐसी विवरणी दाखिल करने की छूट दे सकता है या ऐसे ब्यौहारी या ब्यौहारियों के वर्ग को—

(क) विभिन्न अवधियों के लिये विवरणी दाखिल करने; या

(ख) उत्तरांचल राज्य के भीतर ब्यौहारी के सभी या किन्हीं कारबार स्थानों के सम्बन्ध में सम्मिलित विवरणी ऐसी अवधि के लिये या ऐसी विभिन्न अवधियों के लिये और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिन्हें वह उचित समझे, दाखिल करने, की अनुमति दे सकता है।

(6) प्रत्येक ब्यौहारी जिससे इस अधिनियम के अधीन विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है, अपनी विवरणी के अनुसार देय कर या प्रस्तुत की गयी संशोधित विवरणी के अनुसार देय मन्तिक कर की धनराशि का भुगतान, ऐसी किसी धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि से अधिक वसूल की गई और साथ ही, धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर काटी गयी धनराशि, यदि कोई हो, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाय, जमा करेंगे, और विवरणी या, जैसी भी स्थिति हो, संशोधित विवरणी के साथ ऐसी धनराशि के पूरे भुगतान को दर्शाती रसीद भी प्रस्तुत करेंगे।

(7) कर निर्धारक प्राधिकारी अपने विवेकानुसार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा सकता है।

(8) यदि उपधारा (7) के अधीन विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा दिये जाने के परिणाम स्वरूप, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर जमा करना आस्थगित हो जाता है, तो विवरणी दाखिल करने के लिये विहित अन्तिम तारीख के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख से ऐसी धनराशि को जमा करने की तारीख तक ऐसे जमा पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

(9) यदि किसी ब्यौहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विहित समय के पूर्व किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देयकर की धनराशि से अधिक दिखायी गयी है तो ब्यौहारी देय कर के अन्तर की धनराशि और देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा और यदि मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय ब्यौहारी के आवेदन पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक बढ़ा दिया गया हो, और यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से कम दिखायी गई हो, तो ब्यौहारी देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधियों के लिये देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है।

(10) यदि किसी ब्यौहारी द्वारा विक्रय या क्रय किया गया माल विक्रय या क्रय की तारीख से 6 माह के भीतर लौटा दिया जाता है, और ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण अभी किया जाना बाकी है, तो उस माह जिसमें ऐसा माल लौटाया जाय, की समाप्ति के 30 दिन के भीतर केवल उसी प्रयोजनार्थ उस अवधि जिसमें ऐसा विक्रय या क्रय किया गया था, के लिये एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

(11) कोई पंजीकृत ब्यौहारी जो कारबार जारी रखना बन्द कर देता है, बन्द होने की तारीख के 60 दिन के भीतर एक अन्तिम कर विवरणी दाखिल करेगा। उससे इस धारा के अधीन विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में लागू होने वाले अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

(12) या क्र है, तो कर स तमी
(13) ब्यौहा अवधि वर्ष के अवधि
(14) के प्र 24. अ
(1) ति शुद्धता ब्यौहा विवरण
(2) उ लगती को क जमा
(3) य ब्यौहा और

तो क या दो (4) य

तो क हो, प

कृत ब्यौहारियों से
1 है, की सूची भी

भी प्रयोजनार्थ
में भुगतान करने
तान की विवरणी
सहित, ऐसे समय

भी, कमिश्नर ऐसे
में जैसे कि विहित
रेशों के वर्ग को-

बन्ध में सम्मिलित
री के समक्ष जिन्हें

की गयी है, अपनी
भिन्न कर की
नराशि से अधिक
नराशि, यदि कोई
रिति हो, संशोधित

वेंगे, किसी व्यक्ति

परिणाम स्वरूप,
णी दाखिल करने
करने की तारीख

हो तो वह अगली
स्तुत कर सकता
नराशि से अधिक
ग से जमा करेगा
णी प्रस्तुत करने
शि मूल विवरणी
धेक धनराशि को

1 6 माह के भीतर
केया जाना बाकी
उसी प्रयोजनार्थ
स्तुत कर सकता

रीख के 60 दिन
दाखिल करने के

(12) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ब्यौहारी का विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में यथा विनिर्दिष्ट कराधेय सीमा से बढ़ना सम्भावित है या बढ़ गया है, तो वह विहित रीति से तामील की गई नोटिस द्वारा ऐसे ब्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है मानो कि वह कर का भुगतान करने के लिये दायी एक ब्यौहारी है, लेकिन उसके द्वारा कर तमी देय होगा जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर देय होगा।

(13) प्रत्येक ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है और जिसमें वह ब्यौहारी भी सम्मिलित है जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष में आंशिक अवधि में कारबार किया है, कर अवधियों के लिये दाखिल की गई विवरणी के अतिरिक्त, कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष के लिये वह क्रय एवं विक्रय आवर्त की एक वार्षिक विवरणी विहित प्रारूप में, विहित रीति से और विहित अवधि के भीतर, ऐसे विवरण और दस्तावेजों सहित जो विहित किये जायें, दाखिल करेगा।

(14) किसी व्यक्ति, जो नियमों के अधीन प्राधिकृत नहीं हो, द्वारा हस्ताक्षरित कोई विवरणी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, इस प्रकार समझी जायेगी मानो कि कोई विवरणी दाखिल नहीं की गयी है।

24. अनन्तिम कर निर्धारण:

(1) किसी ब्यौहारी द्वारा किसी भी कर-अवधि के लिये दाखिल की गई किसी विवरणी में संगणना की शुद्धता, कर और ब्याज की सही दर के लगाने और इनपुट टैक्स पर दावाकृत लाभ और इस अवधि में ब्यौहारी द्वारा देय कर व ब्याज के सम्पूर्ण भुगतान के सत्यापन हेतु कर निर्धारक प्राधिकारी किसी भी विवरणी की जाँच कर सकता है।

(2) ऊपर उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की गई ऐसी जाँच के परिणाम स्वरूप यदि कोई त्रुटि पता लगती है तो कर निर्धारक प्राधिकारी धारा 58 में दी गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्यौहारी को कर की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय ब्याज सहित जमा करने के लिये एक नोटिस विहित रीति से तामील करेगा।

(3) यदि किसी पंजीकृत ब्यौहारी या किसी ब्यौहारी जो कर भुगतान करने के लिये दायी है या किसी ब्यौहारी जिसको धारा 23 की उपधारा (12) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है, और किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी कर-अवधि के सम्बन्ध में-

(क) विहित या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर विवरणी दाखिल नहीं की गई है; या

(ख) विवरणी प्रस्तुत तो की गयी है लेकिन विहित प्रारूप में नहीं है; या

(ग) प्रस्तुत की गई विवरणी कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में अशुद्ध या अपूर्ण हो या उसमें गलत विशिष्टियाँ दी गई हैं; या

(घ) विहित रीति से कर का भुगतान किये बिना, विवरणी प्रस्तुत की गई है; या

(ङ) धारा 23 की उपधारा (11) के अधीन अपेक्षित विवरणी विहित समय में दाखिल नहीं की गई है,

तो कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके जिन्हें वह आवश्यक समझे, विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हो, अनन्तिम रूप से अवधारित करेगा और उस पर देय कर विहित करेगा।

(4) यदि किसी एक या अधिक, जैसी भी दशा हो, कर अवधि के सम्बन्ध में-

(क) विवरणी में प्रदर्शित किया गया देय कर, कर निर्धारक प्राधिकारी को गलत प्रतीत होता है; या

(ख) विवरणी के साथ जमा किया गया कर इस अधिनियम के अधीन या विवरणी में प्रदर्शित की गई देय धनराशि से कम है; या

(ग) विवरण-पत्र में दावाकृत इनपुट टैक्स का लाभ धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार अपेक्षित सूचना से समर्थित नहीं है,

तो कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी में प्रदर्शित विक्रय आवर्त अथवा क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हो, पर अधिनियम के अधीन विहित दरों से कर अनन्तिम रूप से निर्धारित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण पिछली विवरणी या पिछले अभिलेख या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जायेगा, और कर निर्धारक प्राधिकारी निर्धारित कर की धनराशि को, ऐसी रीति और ऐसी तारीख तक जैसा कि विहित की जाय, जमा करने के लिये निर्देशित करेगा।

(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 25 या धारा 26 के अधीन पूरे वर्ष के लिये अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगी, और अनन्तिम कर निर्धारण के विरुद्ध जमा किया गया कोई कर उपरोक्त निर्दिष्ट धाराओं के अधीन अन्तिम कर निर्धारण पर देय कर, ब्याज और अर्थदण्ड के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

(7) किसी ब्यौहारी के विरुद्ध अनन्तिम कर निर्धारण उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

25. पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण:

(1) ब्यौहारी के कराघेय विक्रय आवर्त, ऐसे आवर्त पर देय कर की धनराशि, कराघेय खरीद का आवर्त तथा इनपुट टैक्स के लाभ की अनुमन्य धनराशि का प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये, अथवा जहाँ ब्यौहारी ने अपना कारबार कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के लिये चलाया है, तो कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिये जिसमें ब्यौहारी ने कारबार चलाया है, कर निर्धारण किया जायेगा।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी कर अवधियों के लिये दाखिल की गई विवरणी के अतिरिक्त कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष के अपने आवर्त की एक वार्षिक विवरणी विहित प्रारूप में, ऐसी विशिष्टियों से युक्त और समर्थक दस्तावेजों सहित, दाखिल करेंगे, जिनमें निम्न सम्मिलित होगा:-

(क) क्रय आवर्त, विक्रय आवर्त और अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियाँ और प्रारम्भिक व अन्तिम स्टॉक की कीमत;

(ख) ऐसे घोषणा-पत्र, प्रमाण-पत्र और अन्य साक्ष्य जिन पर ऐसा ब्यौहारी अपनी विवरणी के समर्थन में भरोसा करता है;

(ग) ऐसी विवरणी के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ सहित उसके द्वारा देय कर की धनराशि के स्वनिर्धारण की संगणना;

(घ) अपनी स्वयं की गणना के आधार पर स्वीकार किया गया देय अतिरिक्त कर और देय ब्याज के भुगतान का प्रमाण; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, दस्तावेज और विवरण जो विहित किये जायें।

(3) ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की प्राप्ति विहित रीति से सम्यक् रूप से स्वीकार की जायेगी और जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित सभी विवरणी प्रस्तुत की गई हैं और तात्त्विक विशिष्टताओं में पूर्ण हैं, ब्यौहारी, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के लिये स्वतः निर्धारित समझा जायेगा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति कर निर्धारण आदेश की प्रति समझी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवरणी तात्त्विक विशिष्टताओं में पूर्ण न हों, ब्यौहारी को उन्हें पूरा करने का एक अवसर दिया जायेगा, और कर निर्धारण प्राधिकारी, वाँछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने और/या गणित सम्बन्धी गलती, यदि कोई हो, के ठीक किये जाने और उसके फलस्वरूप देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान किये जाने के पश्चात् इस मामले में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण : कोई विवरणी तात्त्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है यदि इसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना समाहित है, गणितीय रूप से सही है और इसके साथ कानूनी सूचियाँ, अभिलेख और देय कर के भुगतान का सबूत और ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दावाकृत कटौतियाँ (जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर कटौतियाँ भी सम्मिलित हैं), छूट और कोई अन्य रियायत या रिबेट के सम्बन्ध में इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 में अपेक्षित समर्थक घोषणा-पत्र, प्रमाण-पत्र या साक्ष्य हैं।

(4) उपरोक्त उपधारा (3) में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित प्रवर्ग के मामले जाँच के पश्चात् नियमित कर निर्धारण के अध्याधीन होंगे:-

(5) स्वा
शेष मा
ही अन
पर उप
के सम
विनिर्दि

करने व
हो, से
का नि
सकता
(6) क
उपधार
अन्यथा
पश्चात्

त)

कर निर्धारक निर्धारित कर लिये निर्देशित

(क) मामले जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक है;

(ख) मामले जिनमें किसी वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन लाख रुपये से अधिक है;

(ग) मामले जिनमें किसी वर्ष में वापसी का दावा एक लाख रुपये से अधिक है;

(घ) मामले जिनमें सकल आवर्त में या कर के भुगतान में गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की कमी है;

(ङ) मामले जिनमें क्रय व विक्रय के बीच, या इनपुट टैक्स व आउटपुट टैक्स के बीच या स्टॉक व विक्रय के बीच अनुपात कारबार या उद्योग में साधारण रुझान से अप्रसामान्य रूप से असंगत है;

(च) मामले जो कर अपवचन के सम्बन्ध में निश्चित आसूचना पर आधारित हैं;

(छ) मामले जिनमें ब्यौहारी अवसर दिये जाने के बाद भी विवरणी में तात्त्विक विशिष्टताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है;

(ज) मामले जिनमें माल का विक्रय, क्रय या परेषण या इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे संव्यवहार के दूसरे पक्ष के लेखों से मेल नहीं खाते हैं;

(झ) मामले जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन स्वतः कर निर्धारण के लिये आच्छादित मामलों में से किसी मानदण्ड या यादृच्छिक (रैण्डम) आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत चयनित किये गये हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छानबीन के लिये मामलों के चयन के मानदण्ड में परिवर्तन कर सकती है।

(5) स्वतः कर निर्धारण के लिये उपधारा (3) और उपधारा (4) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, शेष मामलों में कर निर्धारक प्राधिकारी, इस तथ्य के होते हुए भी कि ब्यौहारी को धारा 24 के अधीन पहले ही अनन्तिम रूप से कर निर्धारित किया जा चुका है, ऐसे ब्यौहारी पर अपने समझ ऐसी तारीख और स्थान पर उपस्थित होने और लेखाबहियों एवं समस्त साक्ष्य, बिक्रीबीजक सहित, जिन पर ब्यौहारी अपनी विवरणी के समर्थन में विश्वास करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिये या ऐसा साक्ष्य जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, को प्रस्तुत करने के लिये आदेशित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी पर ऐसा नोटिस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की विहित अन्तिम तारीख या वास्तविक तारीख जब विवरणी दाखिल की गई है, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व तामील किया जायेगा, और नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् वाद का निस्तारण उस वर्ष जिससे कि कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

(6) कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी, लेखापुस्तकों और दस्तावेजों का परीक्षण और ऐसी कार्यवाही जिसमें उपधारा (3) के अधीन कर सम्परीक्षा कार्यवाही सम्मिलित है, के दौरान पेश किये सभी साक्ष्य या उनके द्वारा अन्यथा एकत्रित किये गये साक्ष्य पर विचार करने और ऐसी पूछताछ, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात्—

(क) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ब्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में दर्शाया गया विक्रय आवर्त और/या क्रय आवर्त और देय कर की धनराशि सही और विश्वास करने के योग्य है, वह एक लिखित आदेश द्वारा ब्यौहारी द्वारा स्वीकृत आवर्त पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, ब्यौहारी पर कर निर्धारित करेगा; और

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ब्यौहारी अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या अपूर्ण या अशुद्ध विवरणी प्रस्तुत करता है और/या ब्यौहारी द्वारा दर्शाया गया आवर्त और जमा की गयी कर की धनराशि सही प्रतीत नहीं होती है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी पर उसके द्वारा दर्शाये विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों स्वीकार न किये जाने के कारण उल्लिखित करते हुये एक नोटिस तामील करवायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा, और ब्यौहारी द्वारा दिये गये उत्तर पर विचार करने के बाद कर निर्धारक प्राधिकारी—

अधीन पूरे वर्ष मा किया गया र अर्थदण्ड के

देये बिना नहीं

ग आवर्त तथा हों ब्यौहारी ने ऐसे भाग के

कर प्राधिकारी विशिष्टियों से

मक व अन्तिम

की विवरणी के

र की धनराशि

और देय ब्याज

र की जायेगी न विशिष्टताओं निर्धारित समझा

उन्हें पूरा करने जाने और/या यदि कोई हो,

अपेक्षित सूचना के भुगतान का क्रेडिट के आधार नियम या केन्द्रीय

गैर के पश्चात्

(i) यदि उसका समाधान हो जाता है कि ब्यूहारी द्वारा प्रकट किया गया आवर्त ठीक है, तो वह एक लिखित आदेश द्वारा ब्यूहारी द्वारा स्वीकृत आवर्त पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर निर्धारित करेगा; या

(ii) यदि उसका ब्यूहारी द्वारा दिये गये उत्तर से समाधान नहीं होता है तो वह अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार उसका आवर्त और उस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर का निर्धारण एक लिखित आदेश द्वारा करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ब्यूहारी को बहियों, लेखों और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है लेकिन किसी कारण से उसने ऐसे अवसर का उपभोग नहीं किया है और जिसके परिणाम स्वरूप कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी में दर्शायी विशिष्टियों की शुद्धता और उनके औचित्य का परीक्षण नहीं कर सका है, तो अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे ब्यूहारी को कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि इस उपधारा के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश उस वर्ष जिससे कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के तीन वर्ष के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।

(7) किसी कर अवधि के लिये धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश कर निर्धारक प्राधिकारी को अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगा और अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित अन्तिम कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जायेगा।

(8) (क) कर निर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रयोजन हेतु ऐसे ब्यूहारी जिसको कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति जैसी कि उस प्रयोजन के लिये विहित की जाय, से चयनित किया जाय, के अभिलेख, व्यापार में स्टॉक और सम्बन्धित दस्तावेजों की संपरीक्षा कर सकता है।

(ख) खण्ड (क) के अधीन कर-सम्परीक्षा के प्रयोजन हेतु कर निर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ब्यूहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणी और इनपुट टैक्स के लाम सहित विभिन्न दावों की ग्राह्यता की परीक्षा करेंगे।

(ग) कर-सम्परीक्षा ब्यूहारी के कार्यालय, कारबार परिसर या भांडागार में किया जा सकता है। तथापि, कर निर्धारक प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, किसी ब्यूहारी को आदेश दे सकता है कि वे उनके कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, उपस्थित हों और बहियों, लेखों, और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवायें।

(घ) ब्यूहारी इस धारा के अधीन कारबार परिसर में कार्यवाही के संचालन हेतु कर निर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को पूरा सहयोग और सहायता देगा। यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही का संचालन ब्यूहारी के कारबार परिसर में किया जाता है और यह पाया जाता है कि ब्यूहारी या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, युक्तियुक्त कारण के बिना, उपलब्ध नहीं है या ऐसे परिसर से कार्य नहीं कर रहा है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यूहारी के आवर्त की धनराशि और उस पर ब्यूहारी द्वारा देय कर का इस धारा के अधीन निर्धारण या, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार करेगा।

(9) एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित ब्यूहारियों या ब्यूहारियों के वर्ग के मामलों में भिन्न भिन्न संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण किये जा सकते हैं और इनको एक कर निर्धारण वर्ष का भाग माना जायेगा—

(क) ऐसे ब्यूहारियों जिन्होंने राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु एक से अधिक प्राधिकार प्राप्त किये हैं, पर राज्य से होकर पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के सम्बन्ध में;

(ख) नैमित्तिक ब्यूहारी जिन्होंने पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है और कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, पर विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों द्वारा जिनकी अधिकारिता में उसने कारबार चलाया है;

(ग) अपंजीकृत ब्यूहारी जो कराघेय माल आयात करता है, पर माल आयात करने के प्रत्येक अवसर पर;

(10)

दरें

जहाँ

विक्र

छूट

(11)

पर प्र

26.

कोई

दायी

वर्ष व

ऐसे व

और

अर्थद

किया

स्पष्टी

पंजीय

द्वारा

पंजीय

27. नै

(1) नै

को पं

जो दि

(2) ऐ

जो ए

मुगता

जमा

(3) क

द्वारा

और

(4) क

के लि

प्रस्तुत

या आवर्त ठीक है, इस अधिनियम के

1 है तो वह अपने म के उपबन्धों के

का अवसर प्रदान या है और जिसके शुद्धता और उनके र निर्धारण आदेश हीं होगा:

5 वर्ष जिससे कर जायेगा।

नेर्धारक प्राधिकारी स धारा के अधीन

इस अधिनियम की रा ऐसी रीति जैसी 11 में स्टॉक और

या कमिश्नर द्वारा स के लाम सहित

सकता है। तथापि, 11 है कि वे उनके 11 र बहियों, लेखों,

नेर्धारक प्राधिकारी विाही का संचालन 1 उनका प्रधिकृत र रहा है, तो कर 1 का इस धारा के कर निर्धारण अपने

के मामलों में भिन्न एक कर निर्धारण

क प्राधिकार प्राप्त हैं;

कारबार का कोई धेकारिता में उसने

करने के प्रत्येक

(घ) अपंजीकृत ब्यौहारी जो एक से अधिक कर निर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता में या तो संकर्म सविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण करता है, पर प्रत्येक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में किये गये कारबार के सम्बन्ध में:

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त के किसी एक ही संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण नहीं किये जायेंगे।

(10) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के विक्रय-धन पर कर की दरें परिवर्तित की जाती हैं या उसके सम्बन्ध में छूट स्वीकृत की जाती है या निरस्त की जाती है, तो, जहाँ तक इसका परिवर्तन छूट या निरस्तीकरण की तारीख से पश्चात् की अवधि के माल के ऐसे विक्रय-धन के माग के सम्बन्ध में है, कर निर्धारण दरों में इस प्रकार हुये परिवर्तन या इस प्रकार दी गई छूट या निरस्त की गई छूट के आधार पर किया जायेगा।

(11) इस धारा के अधीन किया गया कोई कर निर्धारण इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

26. कर के लिये दायी अपंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण:

यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का उनके कब्जे में आई सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई ब्यौहारी, जो किसी कर अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, अपने को पंजीकृत कराने में असफल रहा है, तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्षों के अवसान के पूर्व ऐसी अवधि और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर की धनराशि का अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण की कार्यवाही करेगा और उसको ऐसे कर निर्धारण के फलस्वरूप देय पायी गयी कर की धनराशि के बराबर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिये निर्देश देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कर निर्धारण ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन हेतु कोई ब्यौहारी, यदि वह पंजीयन हेतु अपूर्ण आवेदन देता है या पंजीयन प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उसको दिये गये किसी निर्देश का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि ब्यौहारी पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र देने में असफल रहा है।

27. नैमित्तिक ब्यौहारी के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध:

धारा 15 या धारा 25 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी-

(1) नैमित्तिक ब्यौहारी राज्य में कारबार प्रारम्भ करने के कम से कम 7 दिन पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी को पंजीयन प्रार्थना-पत्र और अपने कारबार से सम्बन्धित ऐसा विवरण, ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी नकद प्रतिभूति, जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय और जो एक माह या ऐसी कम अवधि जिसमें नैमित्तिक ब्यौहारी कारबार संचालित कर रहा हो, के लिए कर भुगतान की अनुमानित देयता से अधिक नहीं होगी, 7 दिन के भीतर लेकिन कारबार प्रारम्भ करने से पूर्व, जमा करेगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और मांगी गयी प्रतिभूति ब्यौहारी द्वारा जमा करने के पश्चात्, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(4) कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के पंजीकृत किये जाने के पश्चात्, उसको राज्य के बाहर से माल लाने के लिये प्रपत्र, जैसा वह उचित समझे, जारी करेगा। ब्यौहारी प्राप्त व प्रयोग किये गये प्रपत्रों का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करेगा और प्रयोग में न लाये गये प्रपत्र ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, वापस करेगा।

- (a) particulars of turnover of purchase, sale and other transactions and value of opening and closing stocks;
- (b) such declaration, certificates, and such other evidence on which such dealer relies in support of his returns;
- (c) computation of his own assessment of amount of tax due from him on the basis of such returns including claim for input tax credit;
- (d) proof of payment of the additional tax admitted as due and interest due as per his own calculation; and
- (e) such other particulars, documents and statements as may be prescribed.

(3) The returns furnished by a dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed. The cases remaining after the scrutiny under the provisions of sub-section (4) shall be taken up for self assessment and in respect of such cases where all the returns including the annual return relating to an assessment year have been filed and are correct and complete in material particulars, the dealer shall, be deemed to have been self-assessed for that year and the acknowledgement of the annual return shall be deemed to be the copy of assessment order:

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete them, and the assessing authority shall, after the required documents have been furnished to him and/or arithmetical mistake, if any, has been corrected and tax due, if any, as a result thereof has been paid, pass an order in the matter.

Explanation—A return is complete in material particulars if it contains the information required to be furnished therein, is correct arithmetically, accompanied with the statutory lists, documents and proof of payment of tax due and the supporting declarations, certificates, or evidence required under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of amount of deductions (including deduction on the basis of input tax credit), exemptions and any other concessions or rebates claimed by the dealer in the returns are furnished.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-section (3) above, the cases of the following categories shall be subjected to regular assessment after scrutiny--

- (a) cases in which the gross turnover exceeds fifty lakh rupees in a financial year;
- (b) cases in which the claim of input tax credit exceeds three lakh rupees in a year;
- (c) cases in which the claim of refund exceeds one lakh rupees in a year;
- (d) cases in which there is fall exceeding fifteen percent in gross turnover or payment of tax compared to last year;
- (e) cases in which the ratio between purchases and sales or between input tax and output tax or between stocks and sales is abnormally inconsistent with the general trend in the trade or industry;
- (f) cases based on definite intelligence about evasion of tax;
- (g) cases in which the dealer fails to complete the return (s) in material particulars after being given an opportunity for the same;

critic
(5) S
asses
may
prese
and p
relie:
speci

the la
wher
may l
(6) T
and a
proce
it ma

(h) cases in which the claim of sale, purchase or consignment of goods, or input tax credit is not matching with the accounts of the other party to the transaction;

(i) cases selected to a maximum of 20% on the basis of any criteria or on random basis from amongst the cases covered under the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) for self assessment:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, change the criteria for selection of cases for scrutiny.

(5) Save the cases covered under the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) for self assessment, in rest of the cases the assessing authority shall, notwithstanding the fact that the dealer may already have been provisionally assessed under section 24, serve on such dealer in the prescribed manner a notice requiring him to appear on a date and place specified therein, to attend and produce or cause to be produced the books of account and all evidence on which the dealer relies in support of his returns including Sale Invoice, or to produce such evidence as may be specified in the notice:

Provided that such notice shall be served on the dealer before the expiry of one year from the last date prescribed for filing the annual return relating to the assessment year or the actual date when the return has been filed, whichever is later, and after the notice has been served the case may be disposed of within three years from the close of the year to which the assessment relates.

(6) The assessing authority shall, after examination of returns, books of accounts and documents and after considering all the evidences produced in the course of proceedings including tax audit proceedings under sub-section (8) or collected by him otherwise and after making such enquiry, as it may deem fit, shall—

(a) if he is satisfied that turnover of sales and, or of purchases disclosed and amount of tax shown payable by the dealer in annual return is correct, assess the dealer to tax in accordance with the provisions of the Act, by an order in writing, on the turnover admitted by the dealer; and

(b) if he is of the opinion that the turnover disclosed and the amount of tax paid by the dealer does not appear to be correct, cause a notice to be served on the dealer, stating the reason, for non acceptance of the turnover of sales or purchases or both, as disclosed by him and shall give him a reasonable opportunity of being heard and after considering the reply submitted by the dealer the assessing authority—

(i) if he is satisfied that the turnover disclosed by the dealer is correct, he shall assess the dealer, by an order in writing, to tax according to the provisions of this Act, on the turnover admitted by the dealer; or

(ii) if he is not satisfied with the reply submitted by the dealer he shall determine the turnover to the best of his judgment and tax payable thereon according to the provisions of this Act, by an order in writing :

Provided that where the opportunity for production of books, accounts and documents has been afforded to the dealer but for any reason he has not availed such opportunity and thereby the assessing authority could not examine the correctness and propriety of particulars shown in the returns, it shall not be necessary to issue show cause notice to such dealer before making an assessment order to the best of his judgment :

Provided further that no order under this sub-section shall be passed after the expiry of three years from the close of the year to which the assessment relates.

(7) Any provisional assessment order in respect of any tax period under section 24 shall not prevent the assessing authority to make final assessment and the provisional assessment order shall stand merged in the final assessment order passed under this section.

(8) (a) The assessing authority or any other officer authorised by the Commissioner may for the purpose of complying with the requirements of this Act, undertake audit of the records, stock in trade and related documents of the dealer, who is selected by the assessing authority in the manner as may be prescribed for the purpose.

(b) For the purpose of audit under clause (a) the assessing authority or any other officer authorised by the Commissioner shall examine the correctness of return or returns filed and admissibility of various claims including input tax credit.

(c) The audit may be taken up in the office, business premises or warehouse of the dealer. However, the assessing authority may, if he deems it necessary, require the dealer to either attend and produce or cause to be produced the books of accounts and other documents in his office or any other place which may be specified in the notice.

(d) The dealer shall provide full cooperation and assistance to the assessing authority or the authorised officer to conduct the proceedings under this section at his business premises and if it is found that the dealer or his authorised representative, without any reasonable cause, is not available or not functioning from such premises, the assessing authority shall assess the dealer under this section or, as the case may be, provisionally assess the dealer under section 24 of this Act, to the best of his judgment as to the amount of turnover and tax due from the dealer.

(9) In cases of the following dealers or class of dealers in respect of different transactions more than one assessment may be made for the same assessment year and will be treated as part of one assessment year--

(a) dealer who has obtained more than one authorisation for transit of goods through the State; in respect of each authorisation for transit of goods to the State;

(b) casual trader who has no fixed place of business, by different assessing authorities in whose jurisdiction he has carried on business;

(c) unregistered dealer who imports taxable goods on each occasion, he imports goods;

(d) unregistered dealer who either executes works contracts or effects transfer of right to use any goods, for any purpose in jurisdiction of more than one assessing authorities and has no fixed place of business, by each assessing authority in respect of business done in his jurisdiction:

Provided that more than one assessment shall not be made in respect of the same turnover of sales or turnover of purchases:

(10) Where during the course of an assessment year the rate of tax on the turnover of any goods or class of goods is varied or an exemption in respect thereof is granted or cancelled the assessment, so far as it relates to the portion of such turnover for the period after the date of variation, exemption or cancellation shall be made on the basis of the rate so varied or the exemption so granted or cancelled.

(11) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under this Act.

26. Assessment of unregistered person liable to tax :

The Assessing Authority, upon information which has come to his possession, is satisfied that any person who is liable to pay tax under this Act in respect of any period has failed to get himself registered, he shall, before expiry of three years following the end of the relevant financial year, proceed to assess the person to the best of his judgment as to the amount of tax due from such person in respect of such period and all subsequent periods and shall direct him further to pay, by way of penalty, a sum equal to the amount of tax found due as a result of such assessment :

Provided that no such assessment shall be made without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

Explanation—For the purposes of this section, a dealer shall be deemed to have failed to apply for registration, if he makes an incomplete application for registration or having made an application for registration, fails to comply with any direction given to him by the assessing authority within the time specified by it.

27. Special Provisions relating to Casual Dealer:

Notwithstanding anything to the contrary contained in section 15 or section 25:

(1) a casual dealer shall, at least seven days before commencing business in the State, submit to the Assessing Authority an application for registration and such particulars of his business in such form and manner as may be prescribed.

(2) such casual dealer shall deposit within seven days but before commencement of business, the Assessing Authority, which shall not exceed the estimated liability to pay tax for one month or such lesser period for which the casual dealer is conducting business, may fix security in cash as.

(3) the Assessing Authority shall, after such enquiry as he considers necessary and after the dealer has furnished the demanded security, allow the application and cause the dealer to be registered and issue a Certificate of Registration in the prescribed form.

(4) the Assessing Authority shall, after the dealer is registered, issue him forms as he may deem fit, for bringing goods for sale in the State. The dealer shall render complete account of forms received and used and surrender the unused forms in such manner as may be prescribed.

(5) such casual dealer shall submit such returns of his turnover at such intervals, within such period and in such form and manner as may be prescribed.

(6) such casual dealer when ceases to carry on business shall file a final tax return within seven days of the conclusion of his business, but before leaving the place, in the form and manner as may be prescribed.

(7) the Assessing Authority shall, after examining the returns, books, accounts and after such enquiries as he considers necessary, assess him to tax as soon as possible after the receipt of final tax return from the casual dealer :

Provided that where the period of business of such casual dealer spreads over more than one financial year, the assessment order shall be made separately for the periods falling in separate financial years.

(8) the Assessing Authority after adjusting any tax due from such casual dealer, refund the balance amount of security to him.

(9) such casual dealer shall be liable to tax if his turnover for this period exceeds the proportionate amount of taxable quantum as per clause (a) of sub-section (7) of section 3 and provisions of clause (b) thereof shall also be applicable.

(10) where the period of business of such casual dealer during a financial year exceeds 60 days and he ceases to be a casual dealer, he shall apply for registration as a regular dealer under section 15 and shall be assessed to tax as a regular dealer for the whole year as per the provisions of section 25 or section 26 :

Provided that the taxable quantum as per sub-section (9) above shall be calculated for total of the broken periods :

Provided further that the turnover and the tax assessed under this section for various periods in a financial year shall be merged in the final assessment and any tax paid as a casual dealer shall be adjusted against the tax payable on final assessment under sections referred to above.

28. Assessment in case of special circumstances:

(1) Assessment in case of Price Variation—Where a dealer receives in any year any amount due to price variation which would have been in his turnover for any previous tax period if it had been received by him during that period, it shall be deemed to be turnover during the tax period in which such amount was received and he shall, during the tax period in which such amount was received, include such amount in the return separately for the tax period, to the assessing authority and the assessing authority shall assess the tax payable on such amount as his turnover for the tax period in which such amount is received:

Provided that the tax shall be charged at the rate at which it would have been charged had such turnover been assessed for the assessment year to which such turnover belongs.

(2) Protective Assessment--Where the assessing authority has reason to believe that any person, with a view to evade the payment of tax or in order to claim any input tax credit which he otherwise is not eligible for, or was carrying on business in the name of, or in association with any other person either directly or indirectly, whether as an agent, employee, manager, partner or power of attorney holder, guarantor, relative or sister concern or in any other capacity, such person and the person in whose name the registration certificate, if any, is taken, shall jointly and severally be liable for payment of the tax, interest or penalty or other amount due under this Act which shall be assessed, levied and recovered from all or any such person as if such person or persons are dealer under the Act. However before taking action under this section the person concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard.

29. Assessment of Escaped Turnover:

(1) Where after a dealer is assessed under section 25 or section 26 for any year or part thereof, the assessing authority has reason to believe that the whole or any part of turnover of the dealer in respect of any tax period has--

- (a) escaped assessment; or
- (b) been under assessed; or
- (c) been assessed at a rate lower than the rate at which it is assessable; or
- (d) been wrongly allowed any exemption or deduction therefrom; or
- (e) been wrongly allowed any tax credit therein,

the assessing authority shall, after recording the reasons in writing, serve a notice on the dealer and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard and making such enquiries as he considers necessary, he shall assess or reassess the turnover of the dealer and tax according to law and the provisions of this Act shall as far as may be, apply accordingly:

Provided that the tax shall be charged at the rate at which it would have been charged had the turnover not escaped assessment or full assessment, as the case may be.

Explanation (1)--Nothing in this sub-section shall be deemed to prevent the assessing authority from making an assessment to the best of its judgment.

Explanation (2)--For the purposes of this section and of section 30, "Assessing Authority" means the officer who passed the earlier assessment order, if any, and includes the officer having jurisdiction for the time being to assess the dealer.

Explanation (3)--Notwithstanding the issuance of notice under this sub-section, where an order of assessment or reassessment is in existence from before the issuance of such notice it shall continue to be effective as such, until varied by an order of assessment or reassessment made under this section in pursuance of such notice.

(2) Except as otherwise provided in section 28 or under this section, no order of assessment or reassessment shall be made under sub-section (1) after the expiry of three years from the end of the year in respect of which or part of which the tax is assessable.

(3) Assessment or reassessment in respect of turnover escaped from assessment may be passed at any time within three years and nine months ending on 31st December after the expiry of assessment year for which assessment is to be made, provided that notice under this section has been served within a period of three years and six months ending on 30th September after the expiry of the assessment year for which assessment is to be made.

(4) If the Commissioner on his own or on the basis of reasons recorded by the assessing authority is satisfied that it is just and expedient so to do, he may authorise the assessing authority in that behalf, and then such assessment or reassessment may be made after the expiration of the period aforesaid but not after the expiration of six years from the end of such assessment year, notwithstanding that such assessment or reassessment may involve a change of opinion.

30. Rectification of Mistakes:

(1) Any officer or authority, or the Tribunal or the High Court may, on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person, rectify any mistake in any order passed by him or it under this Act apparent on the face of the record, within three years from the date of the order sought to be rectified:

Provided that where an application under this sub-section has been made within such period of three years, it may be disposed of even beyond such period :

Provided further that no such rectification as has the effect of enhancing the assessment, penalty, fee or other dues shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer or other person likely to be affected by such enhancement.

(2) Where such rectification has the effect of enhancing the assessment, the assessing authority concerned shall serve on the dealer a revised notice of demand in the prescribed form and therefrom all the provisions of the Act and the Rules framed thereunder shall apply as if such notice had been served in the first instance.

31. Power to set aside an Order of Assessment:

(1) In any case in which an order of assessment or reassessment or order of penalty is passed ex-parte, the dealer may apply to the assessing authority within thirty days of the service of the order to set aside such order and reopen the case; and if such officer is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing:

Provided that no such application for setting aside an ex-parte assessment order shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax admitted by the dealer to be due.

(2) Where an assessment order under section 24 is passed ex-parte, the dealer may apply to the assessing authority within 30 days of the service of the order, to set aside such order and if such authority is satisfied that the dealer has filed the return and deposited the tax due according to the return within 30 days from the last day prescribed for filing such return, it may modify or set aside such order and also the demand notice, if any, issued thereunder.

(3) If a dealer is granted an eligibility certificate under section 4A of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 for the period for which an order of assessment or reassessment or an order in appeal has been passed prior to the grant of eligibility certificate, such order may be set aside either on its own or on the application of the dealer, by assessing or appellate authority having jurisdiction within one year of receipt by him of the copy of the order granting such eligibility certificate and a fresh order may be passed according to law:

Provided that where the application under this section has been made by the dealer within the period aforesaid, it may be disposed of even beyond such period.

32. Period of Limitation for making Assessment or Reassessment:

(1) No order of assessment under section 24 for any tax period of an assessment year shall be made after the dealer has submitted annual return for such assessment year and where annual return has not been submitted by the dealer, assessment shall not be made after the expiry of the period prescribed or time allowed, if extended, for submission of annual return for such period.

(2) Except as otherwise provided in section 28 no order of assessment or reassessment under any provisions of this Act for any assessment year shall be made after expiration of 3 years from the end of such assessment year.

(3) Assessment or reassessment order under the provisions of section 29 may be made with in the time prescribed therein.

(4) If an order of assessment is set aside and the case is remanded for reassessment by any authority under the provisions of this Act or by a competent Court, the order of reassessment may be made within one year from the date of receipt by the assessing authority of the copy of the order remanding the case.

(5) If an order of assessment is quashed on the ground of want of jurisdiction of the assessing authority or due to improper service of any notice or due to service of improper notice or any other like ground, by any competent authority or Court, fresh order of assessment may be made by the assessing authority having jurisdiction within one year form the date of receipt by the assessing authority whose order is so quashed, of the copy of the order of such authority or Court:

Provided that where any assessment or reassessment order made earlier has been quashed for want of proper service of notice or for want of jurisdiction or for want of service of proper notice, fresh order of assessment or reassessment may be made by the assessing authority after serving notice properly and after affording reasonable opportunity of being heard to dealer within the time prescribed.

(6) If an order of assessment or reassessment for any assessment year is set aside under section 31, a fresh order of assessment or reassessment for that year may be made within one year from the date on which such earlier order was set aside.

(7) Where the proceedings for assessment or reassessment for any assessment year remain stayed under the orders of any Court or authority, the period commencing from the date of stay order and ending with the date of receipt by the assessing authority concerned of the order vacating the stay, shall be excluded in computing the period of limitation provided in this section:

Provided that if in so computing, the period of limitation comes to less than one year, such assessment or reassessment may be made within one year from the date of receipt by the assessing authority of the order vacating the stay.

(8) The period during which any appeal or other proceedings in respect of any other assessment or reassessment or any other matter of assessee remain pending before the High Court or the Supreme Court, involving a question of law having direct bearing on the assessment or reassessment in question, shall be excluded in computing the period of limitation provided in this section.

(9) Where in the assessment or reassessment of a dealer for any assessment year, any assessing authority, --

(a) has included any turnover and any superior authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment --

- (i) of such dealer for any other assessment year, or
- (ii) of such dealer under the Central Sales Tax Act, 1956, or
- (iii) of any other dealer, whether under this Act, or under the Central Sales Tax Act, 1956; or

(b) has not included any turnover on the ground that it relates to assessment under the Central Sales Tax Act, 1956, and any superior authority or Court has, in exercise of the powers lawfully vested in it, held such turnover to relate to the assessment of the dealer under this Act, whether for such assessment year, or any other assessment year,

then nothing contained in this section limiting the time shall apply to assessment or reassessment whether under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, of such dealer or such other dealer relating to such assessment year or such other assessment year, as the case may be.

(10) Where the eligibility certificate granted under section 4-A of Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification order, 2002 has been amended or cancelled by the Commissioner under sub-section (13) of section 76 of this Act, the order of assessment or reassessment for the relevant year may be made within one year from the date of receipt by the Assessing Authority of the copy of the order amending or cancelling the aforesaid certificate.

(11) Where any order passed by the assessing authority in respect of a dealer for any period is found to be erroneous or prejudicial to the interest of revenue consequent to, or in the light of any judgment or order of any Court or Tribunal which has become final, then notwithstanding any thing contained in this Act, the assessing authority may, with the permission of the Commissioner or any officer authorised by him for this purpose, proceed to reassess the tax payable by the dealer in accordance with the judgment or order, at any time within a period of three years from the date of the judgment or order.

(12) Notwithstanding any thing contained in this section, where the State Government is of the opinion that due to any extra-ordinary circumstances prevalent at the time in the State or any part of it, it will be difficult to complete assessment or reassessment in any case or class of cases within the time prescribed under this section, it may, by notification in the Gazette extend the time limit prescribed under this section for making assessment or reassessment in such a case or class of cases.

(13) Where any dealer claims refund of any amount deposited by him as tax or any amount recovered from him as tax or any amount deducted from him as tax under provisions of sub-section (1) of section 35 and where no assessment has been made within the time prescribed under this section, notwithstanding anything contained in this section, the Assessing Authority may, with the prior permission of the Commissioner in writing, make an assessment of the turnover and tax even beyond the time prescribed under this section for such assessment year towards tax liability in respect of the turnover against which such amount has been deposited or deducted or recovered.

33. Rounding off of Turnover and Tax etc. :

(1) The amount of turnover, determined in prescribed manner shall, if such amount is not in the multiple of ten, be rounded off to the nearest multiple of ten rupees, that is to say, a part of ten rupees which is less than five rupees shall be ignored and any other part shall be counted as ten rupees. The amount so rounded off shall be deemed to be the turnover of the assessee for the purpose of assessment of tax under this Act.

(2) The amount of tax, fee, interest, penalty or any other sum payable or the amount of refund due under the provisions of this Act shall, where such amount contains part of a rupee be rounded off to the nearest rupee, that is to say a part of rupee which is less than 50 paise shall be ignored and any other part shall be counted as one rupee.

34. Payment and Recovery of tax:

(1) Amount of tax admittedly payable shall be deposited in the prescribed manner along with the return of the respective tax period. Amount assessed as tax shall be deposited in the manner specified in and within 30 days of the service of order of assessment and notice of demand. Amount imposed by way of penalty shall be deposited in the prescribed manner and within 30 days of service of the order imposing such amount by way of penalty. Any other amount except the amount of tax admittedly payable or assessed and penalty imposed, that may be determined as payable under any provisions of this Act, shall be paid in the prescribed manner and within the prescribed time:

Provided that where no such time has been prescribed, the period to deposit the due amount shall be deemed to be 30 days of the service of the order by which such amount has been determined.

(2) A registered dealer furnishing return under section 23 shall pay into the Government treasury, in such manner and at such interval as may be prescribed, the amount of tax due from him for the period covered under the return along with the amount of penalty or interest or both payable by him under section 23 and shall furnish a receipt from the Treasury showing the payment of such amount.

(3) A registered dealer furnishing a revised return in accordance with sub-section (9) or sub-section (10) of section 23 which shows that a greater amount of tax is due than was paid or payable in accordance with the original return, shall furnish along with the return a receipt showing the payment of the differential amount in the manner provided in sub-section (2).

(4) The tax admittedly payable shall be deposited within the time prescribed failing which simple interest at the rate of fifteen percent per annum shall become due and be payable on the unpaid amount with effect from the date immediately following the last date prescribed till the date of payment of such amount.

Explanation (1)--For the purpose of this sub-section, the tax admittedly payable means the tax which is payable under this Act on the turnover of sales, or as the case may be, the turnover of purchases or of both, as disclosed in the accounts maintained by the dealer or admitted by him in any return or proceeding under this Act, whichever is greater.

Explanation (2)--"Month" shall mean thirty days and the interest payable in respect of period of less than one month shall be computed proportionately.

(5) The amount of tax assessed under this Act in excess of amount of tax already deposited along with the interest payable according to the provisions of this Act shall be deposited in the manner specified in and within 30 days of service of order of assessment and notice of demand.

(6) If the tax [other than the tax admittedly payable to which sub-section (2) applies] assessed, reassessed or enhanced by any authority or Court remains unpaid for three months after expiration of the period specified in the order of assessment and demand notice, a simple interest at the rate of nine percent per annum on unpaid amount calculated from the date of such expiration shall become due and be payable:

Provided that the amount of interest under this sub-section shall be recalculated if the amount of tax is varied on appeal or revision or by any order of a competent Court.

(7) The amount of interest payable under sub-section (2), (3), (4) and (5) shall, without prejudice to any other liability or penalty that the dealer may incur under this Act or under any other law for the time being in force, be added to the amount of the tax and shall also be deemed for all purposes to be part of the tax.

(8) Where an order of assessment or reassessment referred to in sub-section (4) of section 32 or an order of assessment or reassessment referred to in sub-section (6) of section 32 has been made and tax payable is enhanced the dealer shall be liable to pay interest on such enhanced tax as if it was enhanced in the order of assessment made for the first time and for this purpose the date of service of the order of assessment and demand notice shall be deemed to be amended accordingly.

(9) Where realisation of any tax remained stayed by order of any Court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (6) shall be payable also for any period during which such order remained in operation.

(10) Any tax or other dues payable to the State Government under this Act, any amount of money which a person is required to pay to the assessing authority under sub-section (14) for which he is personally liable to the assessing authority under sub-section (17) shall, notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force and subject to any special or general order of the State Government, be recoverable as arrears of Land Revenue, or in the prescribed manner by the assessing authority or any other officer authorised by the State Government in that behalf and such authority or officer shall, for the purposes of such recovery--

(a) have all the powers which a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of recovery of an amount due under a decree;

(b) have the power to require the assessing authority or such authorised officer having jurisdiction in any other area to make such recovery if the defaulter is or has property within the area of such other assessing authority or officer and there upon such other assessing authority or officer shall proceed to make recovery in the prescribed manner.

(11) Notwithstanding any thing contained in sub-section (4) and (5) and notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, where any notice of assessment and demand in respect of any tax or other dues under this Act, is served upon the dealer by an assessing authority and an appeal, revision or other proceeding is filed in respect of such tax or dues then--

(a) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is enhanced, the assessing authority shall serve upon the dealer a fresh notice in respect of the amount by which such tax or other dues are enhanced, and any proceeding in relation to the amount specified in the notice already served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceeding may be continued from the stage at which it stood immediately before such disposal;

(b) where as a result of such appeal, revision or other proceeding the amount of such tax or other dues is reduced--

(i) it shall not be necessary to serve upon the dealer a fresh notice but only the reduced amount shall be realised,

(ii) if any recovery proceedings are pending before any officer or authority other than the assessing authority, the assessing authority shall intimate such reduction to such officer or authority,

(iii) any proceeding initiated on the basis of notice or notices served upon the dealer before the disposal of such appeal, revision or other proceeding, including any recovery proceeding may be continued in relation to amount so reduced from the stage at which it stood immediately before such disposal;

(c) no fresh notice shall be necessary in any case where amount of the tax or other dues is not enhanced (with reference to the amount assessed by the assessing authority) as a result of such appeal, revision or other proceedings.

(12) In respect of any sum recoverable under this Act as arrears of Land Revenue, the assessing authority may, after 90 days of the service of the order of assessment and notice of demand, forward to the Collector a certificate for recovery under his signature specifying the sum due. Such certificate shall be conclusive evidence of the existence of the liability of this amount on the person who is liable and the Collector on receipt of the certificate shall proceed to recover from such person the amount specified therein as if it were an arrear of land Revenue:

Provided that no such certificate for recovery shall be issued before giving a notice to the person/dealer to this effect :

Provided further that without prejudice to the powers conferred by this section the Collector shall, for the purpose of recovering the amount specified in the certificate shall have also all the powers which--

(a) a Collector has under the Revenue Recovery Act, 1890; and

(b) a Civil Court has under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of recovery of an amount due under a decree.

Explanation--The expression Collector includes an Additional Collector or any other officer authorised to exercise the powers of Collector under the law relating to land revenue for the time being in force in the State.

(13) Where any amount of tax or penalty is recoverable under this Act from the owner of a vehicle and recovery certificate has been issued, the officer competent to execute the recovery certificate may take the assistance of police and other officer or officials of the State Government in locating such vehicle or other vehicles of the same owner. If so required by the recovery officer such other officer or officials shall be empowered to detain such vehicle. Whenever any such vehicle is detained by any officer or official he shall give the cause of detention in writing to the person in charge of the vehicle at the time of detention and shall immediately inform the officer executing the recovery certificate. Officer executing the recovery certificate shall proceed with according to law to realise arrears against such owner of vehicle:

Provided that if amount recoverable is paid after detention of vehicle, the vehicle shall be set free :

Provided further that if at the time of detention some goods are loaded on it and owner of such goods is a person other than the owner of the vehicle, the owner or the person in charge of the goods shall be allowed to remove such goods from such vehicle if he so desires.

(14) Notwithstanding any thing contained in any law or contract to the contrary, the assessing authority may, at any time or from time to time, by notice in writing the copy of which shall be forwarded to the dealer at his last address known to the assessing authority, require--

(a) any person from whom any amount is due or may become due to the dealer, or

(b) any person who holds or may subsequently hold money for or on account of the dealer,

to pay to the assessing authority--

(a) forthwith upon the money becoming due or being held, or

(b) at or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held,

so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the dealer in respect of arrears of tax or other dues under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.

Explanation--For the purpose of this sub-section, the amount due to a dealer or money held for or on account of a dealer by any person shall be computed after taking into account such claim if any, as may have fallen due for payment by such dealer to such person and as may be legally subsisting.

(15) The assessing authority may at any time or from time to time amend or revoke such notice.

(16) Any person making any payment in compliance with notice under sub-section (14) shall be deemed to have made the payment under the authority of the dealer and the receipt of the assessing officer shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the dealer to the extent the amount referred to in the receipt.

(1
se
ch
(1
of
or
se
the
(19
tax
pay
the
into
the
(20
sha
is le
(21

35.
(1)1
for
disc
in g
buil
inter
in a
case
est s
such
rate.
mad
be d

(17) Any person discharging any liability to the dealer after the receipt of notice referred to in sub-section (14) shall be personally liable to the assessing authority to the extent of the liability discharged or to the extent of the amount mentioned in such notice, whichever is less.

(18) Where a person, to whom a notice under sub-section (14) is sent, proves to the satisfaction of the assessing authority that sum demanded or any part thereof is not due by him to the dealer, or that he does not hold any money for or on account of the dealer, then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay the sum demanded or any part thereof, as the case may be, to the assessing authority.

(19) Notwithstanding any thing to the contrary contained in any law for the time being in force, any tax payable under the provisions of this Act together with interest or penalty, shall be due for payment immediately when it becomes payable or assessed in the manner provided in this Act or the rules made thereunder and any such amount payable by a dealer on account of tax, penalty or interest or any amount which a person is required to pay under this Act shall be a first charge on the property of the dealer or such person.

(20) Notwithstanding any thing contained in this Act, no tax, fee, interest or penalty under this Act shall be recovered and no refund shall be allowed if the amount involved for any assessment year is less than 10 rupees.

(21) The Assessing Authority shall have the powers to--

- (a) withhold issuing of any Form or Certificate under the Act to a person, or a dealer or a casual dealer,
- (b) order seizure of goods being transported by a person, or a dealer or a casual dealer, from whom any tax, penalty, interest or any other amount under the provision of the Act is due.

35. Recovery of Tax by way of Tax Deduction at Source:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, every person responsible for making payment to any dealer (hereinafter in this section referred to as the contractor) for discharge of any liability on account of valuable consideration payable for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) in pursuance of a works contract, not being a building contract of such class or value as may be notified by the State Government in public interest in this behalf, shall, at the time of making such payment to the contractor, either in cash or in any other manner, deduct an amount equal to four percent of such sum towards part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such works contract:

Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate:

Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(2) Where under an agreement of transfer of right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) the lessee to whom the right to use any goods is transferred, is--

- (a) a registered dealer; or
- (b) the Central Government or any State Government; or
- (c) any local authority, any corporation or undertaking constituted by or under a Central Act or a State Act; or
- (d) any Co-operative society or any other society, club, firm or other association of persons or a company, whether incorporated or not,

the person responsible for making such payment to the lessor (who is transferring the right to use any goods) for discharge of liabilities under such agreement, shall at the time of making such payment to the lessor, either in cash or by credit or any other manner, deduct an amount at the rate of four percent of such sum towards part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such transfer of right to use any goods:

Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate;

Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(3) Any contractor responsible for making any payment for discharge of any liability to any sub-contractor in pursuance of a contract with the sub-contractor for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) involved in the execution of a works contract or for transfer of right to use any goods for any purpose, whether wholly or in part, of the work undertaken by the contractor, shall, at the time of such payment or discharge, in cash or by cheque or draft or by any other mode, deduct an amount equal to four percent of such payment or discharge, purporting to be a part of full amount of tax payable under this Act on such transfer from the bills or invoices raised by the sub-contractor as payable by the contractor:

Provided that no deduction under this sub-section shall be made on the amount on which deduction has already been made under sub-section(1) or sub-section(2) .

(4) The amount deducted under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be deposited into the Government Treasury by the person making such deduction before the expiry of the month following that in which deduction is made.

(5) The person making such deductions under sub-section(1) or sub-section(2) or sub-section(3) shall, at the time of payment or discharge furnish to the person from whose bills or invoices such deduction is made, a certificate in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(6) The person responsible for making the payment to the contractor or sub-contractor shall submit such return of such payments at such intervals, within such period, and in such manner as may be prescribed, but the assessing authority may, in its discretion, for reasons to be recorded extend the date for the submission of the return by such person.

(7) A
Gove
or inv
deduc
for the
(8) If:
fails t
in sub
heard,
twice
ited in
(9) W
deduc
simple
but no
deduc
(10) V
referr
(11) P
sectio
from t
Expla
jurisdi
(12) N
ment
notwit
other r

36. F

(1) Su
shall,
excess

any of
1956,
Order,

(7) Any deduction made in accordance with the provisions of this section and credited in the Government Treasury shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose bills or invoices the deduction has been made, and credit shall be given to him for the amount so deducted on the production of the certificate referred to in sub-section (5), in the assessment made for the relevant assessment year.

(8) If any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3), fails to make the deduction or after deducting fails to deposit the amount so deducted as required in sub-section (4), the assessing authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited into Government Treasury.

(9) Without prejudice to the provisions of sub-section (8), if any such person fails to make the deduction or, after deducting, fails to deposit the amount so deducted, he shall be liable to pay simple interest at the rate of fifteen percent per annum on the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited from the date on which such amount was deductible to the date on which such amount is actually deposited.

(10) Where the amount has not been deposited after deduction, such amount together with interest referred to in sub-section (9) shall be a charge upon all the assets of the person concerned.

(11) Payment by way of deduction in accordance with sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be without prejudice to any other mode of recovery of tax due under this Act from the contractor or the sub-contractor, as the case may be.

Explanation: For the purpose of this section, "assessing authority" means the officer having jurisdiction over the place where the place of business or residence of the person is located.

(12) Nothing contained in this section shall prevent the assessing authority from making an assessment of tax payable by the dealer in accordance with other provisions of the Act and notwithstanding any thing contained in this section the dealer shall be liable to pay tax according to other relevant provisions of the Act.

CHAPTER--V

REFUND AND ADJUSTMENT

36. Refund:

(1) Subject to other provisions of this Act and the rules made thereunder, the assessing authority shall, refund to a person the amount of tax, penalty and interest, if any, paid by such person in excess of the amount due from him:

Provided that the amount found to be refundable shall first be adjusted towards the tax or any other amount outstanding against the dealer under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, or the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and only the balance, if any, shall be refunded.

(2) Where any refund is due to any dealer according to the return furnished by him for any tax period, such refund may provisionally be adjusted as per the provisions under sub-section (10), sub-section (11) or sub-section (12) of Section 6.

(3) If any amount is found to be refundable in accordance with sub-section (1) or sub-section (2), the refund voucher shall be sent along with the order of assessment passed by the assessing authority, or as the case may be, within one month from the date of receipt by him of the order of refund, if such order is passed by any other competent authority or Court. If the refund voucher is not sent within sixty days of the date of such order or, as the case may be, the date of receipt of such order of refund by the assessing authority, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum from the date of expiry of such period to the date of refund.

(4) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or authority no refund shall be allowed of any tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases or both, as the case may be, admitted by the dealer in the returns filed by him or at any stage in any proceedings under this Act.

(5) Notwithstanding any thing contained contrary in this Section any dealer to whom refund of any amount is allowed, may, before the date such refund is made, apply to the assessing authority for withholding the amount of refund for adjustment towards his future liabilities either under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956. If the dealer has presented his application for withholding amount of refund, the assessing authority shall withhold amount of refund. In such a case the dealer shall not be entitled for interest.

Explanation (1): The expression "Refund" includes any adjustment under the proviso to sub-section (1).

Explanation (2): The date of refund shall be deemed to be the date on which intimation regarding preparation of the refund voucher is sent to the dealer in the manner prescribed.

37. Provisional Refund in case of Exporters:

(1) If a registered dealer has filed returns as required by or under this Act, and the returns show any amount to be refundable to the dealer on account of sale in the course of export, then the dealer may after the end of every quarter, apply in the manner prescribed, to the assessing authority for grant of provisional refund, if any, pending assessment.

(2) The said dealer shall furnish a Bank Guarantee or other security to the satisfaction of the assessing authority, for an amount equal to the amount of the provisional refund. On receipt of such guarantee or other security, the assessing authority shall, subject to the provisions of this Section and the rules, grant the dealer within thirty days a provisional refund that may be found as refundable. The dealer shall keep the bank guarantee or security furnished by him valid up to the date of recovery of excess amount, if any, after final assessment:

Provided that if the amount found refundable is not refunded to the dealer within the period prescribed, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum.

(3) The assessment under this Act of such dealer in respect of the year containing the period covered by the said return will be taken up as early as practicable and the provisional refund against tax due, if any, as a result of the assessment shall be adjusted.

(4) If, on assessment, the provisional refund granted under sub-section (2) is found to be in excess, then the excess amount of refund shall be recovered from the dealer along with interest as if it were tax admittedly due from the dealer under this Act.

(5) Interest will be charged at the rate of fifteen percent per annum from the date of grant of provisional refund, till the date of payment of such amount.

38. Refund of Tax in case of sales to Embassies, International Organizations or to units established in Special Economic Zone:

(1) Any person or a dealer or embassies, international organizations listed in Schedule V of this Act, shall be entitled to claim refund of tax paid by him on the purchase of goods and notwithstanding anything contained in Section 36, the amount due for refund shall be refunded within 45 days of the presentation of the claim for refund.

(2) Any unit established in Special Economic Zone shall be entitled to claim refund of tax paid by it on the purchases from any unit established in Domestic Tariff Area and such dealer shall be eligible for refund of such amount as in case of exporters and the provisions of Section 37 shall mutatis mutandis apply in such case.

39. Power to Withhold Refund in certain cases:

(1) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceeding or where any other proceeding under this Act is pending, and the assessing authority is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue and that it may not be possible to recover the amount later, the assessing authority may, with the permission of the Commissioner or any officer authorized by him, withhold the refund till such time as he may determine.

(2) Where a refund is withheld under sub-section (1) and as a result of the appeal or further proceeding or any other proceeding, dealer becomes entitled to any refund, the dealer shall be entitled to interest as provided under sub-section (1) of Section 41 on the refundable amount:

Provided that if any refund has been withheld under this Section, and if any amount out of the refundable amount is adjusted towards any tax liability of the dealer, the dealer shall not be entitled for any amount of interest for the relevant period on the amount so adjusted.

40. Disbursement of Amount Wrongly Realized by Dealer as Tax:

(1) Where any amount is realized from any person by any dealer, purporting to do so by way of realization of tax on the sale or purchase of any goods, in contravention of the provisions of Section 22, such dealer shall deposit the entire amount so realized in such manner and within such period as prescribed therein.

(2) Any amount deposited by any dealer under sub-section (1) shall to the extent it is not due as tax, be held by the State Government in trust for the person from whom it was realized by the dealer, or for his legal representatives, and the deposit shall discharge such dealer of the liability in respect thereof to the extent of the deposit.

(3) Where any amount is deposited by any dealer under sub-section (1) such amount or any part thereof shall, on a claim being made in that behalf be refunded in the manner prescribed, to the person from whom such dealer had actually realized such amount or part thereof, or to his legal representative and to no other person:

Provided that no such claim shall be entertained after the expiry of three years from the date of order of assessment or one year from the date of the final order in appeal or revision, if any in respect thereof, whichever is later.

(4) Where any amount has been deposited by any dealer in accordance with the provisions under sub-section (1); the dealer shall not be entitled to allow refund of such amount to the purchaser of goods.

Explanation : The expression "final order on appeal or revision" includes an order passed by the Supreme Court under Article 32, Article 132, Article 133, Article 136 or Article 137 or by the High Court under Article 226 or Article 227 of the Constitution.

41. Interest:

(1) Any dealer or a person entitled to refund in pursuance of any order under this Act (including assessment under Section 24, Section 25, or Section 26) or in pursuance of any order by any court, shall subject to rules, be entitled to receive, in addition to the refund, a simple interest at the rate of nine percent per annum if the refund voucher is not sent to him as per the provisions of sub-section (3) of Section 36.

(2) The interest shall be calculated on the amount of refund due after deducting there from any tax, interest, penalty or any other dues under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956.

(3) If as a result of any order passed under this Act the amount of such refund is enhanced or reduced such interest shall be enhanced or reduced accordingly.

(4) When a dealer is in default or is deemed to be in default in making the payment of any amount of tax assessed under Section 24, Section 25 or Section 26 in excess of tax admitted by the dealer, and the amount remains unpaid for three months after expiration of the period specified in the order of assessment and notice of demand, he shall be liable to pay simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum from the date of such default for so long as he continues to make default in the payment of the said tax beyond the time prescribed.

(5) Where as a result of any final order the amount of tax (including any penalty) due is wholly reduced, the amount of interest if any, paid shall be refunded, or if such amount is modified, the interest due shall be calculated and refunded accordingly.

(6) Where any amount of tax payable is enhanced by any such order, interest shall be payable on the amount by which the tax is enhanced after the expiry of a period of thirty days from the date of the receipt of the notice of demand issued by the assessing authority if the amount remains unpaid for three months after the expiration of the period specified in the notice of demand.

(7) Where the realization of any amount remains stayed by the order of any Court or authority and such order is subsequently vacated, interest shall be payable also for any period during which such order remained in operation.

(8) The interest leviable under this Act due to the non-payment or late payment of tax shall not exceed the amount of tax on which such interest is charged.

(9) The interest payable under this Act shall be deemed to be tax due under this Act.

CHAPTER-VI

INSPECTION OF ACCOUNTS, SEARCH AND SEIZURE AND ESTABLISHMENT OF CHECK-POST

42. Power to order Production of Accounts and Power of Entry and Inspection:

(1) Any officer empowered by the State Government in this behalf may, for the purposes of this Act, require any dealer or any other person who carries on business of buying, selling or supplying goods for self or on behalf of other dealer, to produce before him any book, document or account relating to his business or relating to the business of other dealers, and may inspect, examine and copy the same and make such enquiries from the dealer or such person, relating to his business or business of other dealers, as he considers necessary:

Provided that books, documents and accounts of a period more than five years prior to the assessment year shall not be so required, unless in any special case for reasons to be recorded such officer considers necessary.

(2) All books, documents and accounts maintained by any dealer or a person in the ordinary course of business, the goods in his possession, and his place of business or vehicle shall be open to search and inspection at all reasonable time by such officers, as may be authorized by the State Government in this behalf. For the purpose of this Section, the officer authorized thereunder may enter and search any place of business or vehicle or any other building or place where he has reason to believe that the dealer keeps or is for the time being keeping, any books, registers, documents, accounts or goods relating to his business and the officer may require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in, the business--

(a) to afford him the necessary facility to inspect such books of accounts and other documents as he may require and which may be available at such place;

(b) to afford the necessary facility to check or verify the cash, stock or other valuable article or things which may be found therein; and

(c) to furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for, or relevant to any proceedings under this Act :

(3) Notwithstanding any thing contained in this Section, no business premises or residential accommodation shall be entered into, inspected or searched by such officer unless specially authorized by the Commissioner or such other officer not below the rank of a Joint Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner.

Explanation: For the purpose of this sub-section, a place where the person is engaged in business will also include any other place in which the person engaged in business or the said employee or other person attending or helping in business states that any of the books of accounts or other documents or any part of the cash, stock or other valuable article or things relating to the business are or is kept.

(4) The officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) may make or cause to be made extracts or copies from books of accounts and other documents inspected by him, make an inventory of any cash, stock or other valuable article or thing checked or verified by him, and record the statement of any person which may be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act.

(5) If any officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) has reasonable grounds for believing that any dealer is trying to evade liability for tax or other dues under this Act and that any thing necessary for the purpose of an investigation into his liability may be found in any account, register, or document he may seize such account, register or document as may be necessary. The officer seizing the account, register or document shall forthwith grant a receipt for the same and shall be bound to return them to the dealer or the person from whose custody they were seized, within a period of ninety days from the date of such seizure, after having such copies or extracts taken therefrom as may be considered necessary, provided the dealer or the aforesaid person authenticates such copies and extracts, and gives a receipt in writing for the account, register or document returned to him. The officer may, before returning the account, register or document, affix his signature and his official seal at one or more places thereon, and in such case the dealer or the aforesaid person will be required to mention in the receipt given by him the number of places where the signature and seal of such officer have been affixed on each account, register or document.

Explanation: In calculating the period specified in this sub-section the period during which proceeding under this Act remain stayed under the order of any Court or authority shall be excluded.

(6) Notwithstanding any thing contained in sub-section (5) the officer seizing any account, register or other document under that sub-section may for the reasons to be recorded by him in writing and with the prior approval of the Commissioner, retain such account, register, or document for such period not extending beyond thirty days from the date of completion of all the proceedings under this Act in respect of the assessment years for which they are relevant as he deems necessary.

(7) An officer authorized to act under sub-section (1) or sub-section (2)-

(a) shall have the power to seal the place of the business, vehicle or any box, almirah or receptacle found on such place of business or vehicle in which he has reason to believe that any account, register or other documents or goods are kept or contained, if the owner or the person in occupation or incharge of such office, shop, godown, vehicle or box, almirah or other receptacle leaves the place or is not available or fails or refuses to open it when called upon do so;

(b) where the owner or other person in occupation or incharge of the office, shop, godown, or vehicle or of the box, almirah or other receptacle found in the office, shop, godown, vessel or vehicle is present but leaves the place or after an opportunity having been given to him to do so, fails to open, as the case may be, such office, shop, godown, vehicle or box, almirah or other receptacle, may break open the same and prepare a list of the goods and documents found therein.

(8) No person shall tamper with any seal put under sub-section (7).

(9) Any officer empowered under sub-section (1) or sub-section (2) may require any person--

(a) who transports or holds in-custody, for delivery to or on behalf of any dealer, any goods, to give any information likely to be in his possession in respect of such goods or to permit inspection thereof;

(b) who maintains or has in his possession any account, book or document relating to the business of a dealer, to produce such account, book, or document for inspection.

(10) Where in the course of any search at the business place of a dealer any book of accounts, other documents, money or goods are found on the possession or control of any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that such books of account, other documents, money or goods belong to such dealer.

(11) The officer who has made inspection or search or seizure of any books, accounts or documents or investigation or an officer who has made investigations under this Section, on the basis of fact found, shall prepare a report in respect of such inspection or search or seizure or investigation and where the officer preparing the report is an officer different from the assessing authority, such officer shall forward a copy of such report to the assessing authority of the dealer.

(12) The assessing authority may require any dealer or a class of dealers to furnish the names, addresses and such other particulars as he may find necessary relating to the persons and dealers who have purchased any goods from or sold any goods to such dealer or class of dealers during any given period.

(13) The assessing authority may call for details and particulars from State or Central Government departments and financial institutions including banking companies, which, he is of the opinion, will be relevant and useful for the purposes of this Act.

(14) Notwithstanding the powers of the assessing authority to inspect books of account and enter and search any place of business of any dealer (both registered or unregistered) under this Section, the Commissioner, with a view to identify dealers who are liable to pay tax under this Act, may from time to time cause a survey of unregistered dealers to be taken.

(15) The provisions of Section 100 and Section 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply in relation to any entry, search or inspection under this Section as they apply in relation to any inspection or search under the said Code.

43. Power to Seize Goods:

(1) An officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 42 shall have the power to seize any goods--

(a) which are found in the dealer's place of business or vehicle or any other building or place; or

(b) which, such officer has reason to believe to belong to the dealer and which are found in any place of business or vehicle or building or place, but are not accounted for by the dealer in his accounts or registers or other documents maintained in the course of his business:

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him, and a copy thereof shall be given to the dealer.

(2) Where any officer empowered by the State Government in this behalf has reason to believe that the goods found in any vehicle, building or place are not traced to any bona fide dealer or it is doubtful if such goods are properly accounted for by any dealer in his accounts, register or other documents, maintained in the course of his business, he shall have power to seize such goods and the remaining provisions of this Section shall mutatis mutandis apply in relation to such seizure.

(3) An officer seizing the goods under sub-section (1) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso to sub-section (1), along with other documents relating to the seizure to the assessing officer concerned.

(4) The said assessing authority shall serve on dealer or, as the case may be, the person in charge of goods at the time of seizure (hereinafter in this Section referred to as the person in charge) a notice in writing requiring him to show cause, why a penalty should not be imposed.

(5) If such officer, after taking into consideration the explanation, if any, of the dealer, or as the case may be, the person in-charge and giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the said goods were willfully omitted from being shown in the accounts, registers and other documents referred to in sub-section (1), it shall pass an order imposing a penalty not exceeding forty percent of the value of such goods as he deems fit.

(6) A copy of the order imposing penalty under sub-section (5) shall be served on the dealer or, as the case may be, the person in-charge.

(7) The officer seizing the goods shall serve on the dealer or, as the case may be, the person in-charge an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the goods so seized shall be released in favour of the dealer or, as the case may be, the person in-charge.

(8) Notwithstanding any thing contained in sub-section (7), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash, as he may deem fit.

(9) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (7) shall be deposited in the prescribed manner within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing the penalty. In default, the assessing authority shall cause the goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply sale proceed thereof toward the penalty and, subject to the provisions of Section 36, refund the balance, if any, to the dealer or, as the case may be, to the person -in-charge.

(10)
in su
are s
may
or th
be ta
auct
expe
or, a
(11)
unde
case
with
44.
(1)
deal
any
in th
has:
less
perc
(2)
opp
(3)
sub
(4)
spe
Ex
45.
(1)
pos
the
or a
eve

(10) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred in sub-section (2) or the assessing authority at any time thereafter, is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the assessing authority, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses and tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge in accordance with the provisions of sub-section (9).

(11) If the amount deposited under sub-section (7) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (5), the excess amount so deposited shall be refunded to the dealer or, as the case may be, the person in-charge, by the officer with whom it was so deposited in accordance with the provisions of Section 36.

44. Power to Acquire Goods in case of Under Valuation:

(1) Where the assessing authority or an officer empowered under Section 42, is satisfied that any dealer bringing, importing or otherwise receiving into the State from any place outside the State any goods has, with a view to evade payment of tax, shown the estimated sale value of such goods in the declaration form for import accompanying such goods less than fair price of such goods or has not shown the estimated sale value in such form and the presumed sale value of such goods is less than the fair price of such goods, such officer may acquire such goods on payment of 110 percent of such estimated sale value or presumed sale value, as the case may be, to the dealer.

(2) The power under in sub-section (1) shall not be exercised unless the dealer is afforded an opportunity of being heard.

(3) The notice printed on the declaration form shall be deemed to be a notice for the purpose of sub-section (2) and no fresh notice shall be required to be given for hearing to the dealer.

(4) The goods acquired under sub-section (1) shall be disposed of in such manner as may be specified by the Commissioner.

Explanation: For the purpose of this Section--

(a) "fair price" shall mean the value determined in such manner as may be specified by the Commissioner;

(b) "presumed sale value" shall be equal to 110 percent of the purchase price shown in the declaration form.

45. Power to seek Information, to summon Witness etc.:

(1) Any officer under this Act, not being an officer below the rank of an officer appointed and posted by the Commissioner, may for any purpose related to the administration or enforcement of the provisions of this Act by notice, require any dealer or other person to furnish any information or any document including electronic records which may be in his knowledge or possession. Whenever so required, the dealer or such person shall furnish correct, complete and true information.

(2) All such officers under this Act shall have the same power as are vested in a Court under the Civil Procedure Code 1908, when trying a suit in respect of following matters, namely :—

- (a) Enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) Compelling the production of documents; and
- (c) Issuing commission for examination of witness;

and any proceeding before any of the officers aforesaid shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 193 and Section 228 of the Code of Criminal Procedure and for the purpose of Section 196 of the Indian Penal Code.

(3) Summons for the production of documents or the attendance of any person shall be issued in the prescribed form.

46. Power to seek Assistance from Police etc.:

An officer exercising power under Section 42, Section 43 or Section 48 may take the assistance of police or other officer or officers of the State.

47. Establishment of Check-Posts and Barriers:

The State Government if it is of the opinion that it is necessary so to do with a view to preventing evasion of tax or other dues payable under this Act in respect of the sale of goods within the State after their import into the State may, by notification in the Gazette, direct establishment of check-posts or barriers at such places within the State as may be specified in the notification.

48. Import of Goods into the State against Declaration:

(1) Any person (hereinafter in this Section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State, any goods other than the goods exempted under the provisions of this Act exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the State Government in that behalf, shall obtain the prescribed form of declaration or certificate from his assessing authority:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate.

(2) Where such goods are to be consigned by road—

- (a) the importer shall furnish to the consigner the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him, and the driver or any other person-in-charge of any vehicle carrying any such goods shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consigner in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed and shall deliver one copy of such declaration—

- (i) where such goods are brought by road on which check-post or barrier is established under Section 47, to the officer-in-charge of such check-post or barrier before crossing the check-post or barrier; and

(ii) where such goods are brought by road on which no check-post or barrier is established, to the officer-in-charge of the nearest check-post or barrier established under the said Section,

before transporting such goods further within the State and the other copy of declaration and the remaining documents along with the goods to the importer or his agent;

(b) the officer-in-charge of the check-post or barrier shall grant a receipt for the copy of declaration delivered to him and it shall not be necessary for the driver or the person-in-charge of the vehicle to deliver any copy of the declaration at any other check-post or barrier that he may cross if he shows such receipts to the officer-in-charge of such other check-post or barrier;

(c) the importer shall preserve the other copy of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority whenever demanded by it within such period.

(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the prescribed form duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised in this behalf by the next working day.

(4) Where any person intends to bring, import or otherwise receive in the State from any place without the State, any goods referred to in sub-section (1) otherwise than in connection with business and obtains the prescribed form of certificate, the provision of sub-section(2) and sub-section(3) shall, mutatis mutandis apply as if the word "certificate" is substituted for the word "declaration" used therein.

(5) The driver or other person-in-charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle at every such check-post or barrier, or when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 42, at any place, and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer-in-charge of the check-post or barrier or the officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 42, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consigner and consignee of the goods.

(6) Where the officer making the search or inspection under this Section finds any person transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this Section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections and if, for reasons to be recorded, he is satisfied, after giving such person an opportunity of being heard that such goods were being so transported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order detention of such goods.

(7) The provisions of sub-section (3), sub-section (6) and sub-section (10) of Section 43 shall mutatis mutandis apply to such detention as they apply to seizure under that Section.

49. Import of Goods into the State by Rail, River, Air, or Post:

(1) Where any goods (other than the goods exempted under the provisions of this Act) exceeding such quantity, measure or value as may be notified with reference to sub-section (1) of Section 48, are consigned by rail, river, air or post from any place out side the State, the importer shall not--

(a) obtain or cause to be obtained delivery thereof, unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorised in this behalf by the State Government a declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer; and

(b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, air port or post office, as the case may be, unless a copy of declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods.

(2) The provisions of sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (6) of Section 48 shall mutatis mutandis apply in respect of goods consigned by rail, river or post as they apply to import of goods by road under that Section.

(3) Nothing contained in this Section shall be construed to impose any obligation on any railway administration or railway servant or post office or any officer of post office, or to empower any search, detention or seizure of any goods while on railway as defined in the Indian Railways Act, 1890, or in a post office as defined in the Indian Post Office Act, 1898.

(4) The provisions of sub-section (3), sub-section (6) and sub-section (9), of Section 43 shall mutatis mutandis apply to such detention as they apply to seizure under that Section.

50. Transit of Goods by Road through the State and issue of Authorisation for Transit of Goods:

(1) When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, and carrying goods referred to in sub-section (1) of Section 48, passes through the State, the driver or the person-in-charge of such vehicle shall obtain in the prescribed manner an authorisation for transit of goods from the officer-in-charge of the check-post or barrier after his entry into the State and deliver it to the officer-in-charge of the last check-post or barrier before his exit from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State by the owner or person-in-charge of the vehicle:

Provided that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that goods have actually moved outside the State shall be on the owner or the person-in-charge of the vehicle.

(2) In such a case the owner of the vehicle, the transporter, the person-in-charge and the hirer of the vehicle, shall jointly and severally be liable to pay tax on such presumed sale of goods and also for payment of amount of penalty that may be imposed under the provisions of this Act.

(3) Every person for whom a presumption under sub-section (1) exists that the goods have been sold within the State by such person, shall be assessed to tax at the check-post on the goods covered by each authorization for the transit of goods separately.

(4) The provisions of sub-section (3) shall apply to all the cases of assessment whether arising before or after the date of commencement of this Act.

(5) No order of assessment under this section shall be passed until the owner or, as the case may be, the person-in-charge of the vehicle is given a reasonable opportunity of being heard.

Explanation—For the purpose of this section, the hirer of the vehicle shall also be deemed to be the owner of the vehicle.

CHAPTER--VII

APPEAL AND REVISION

51. First Appeal:

(1) Any dealer or other person aggrieved by an order made by the Assessing authority, other than an order mentioned in section 56 or sub-section (7) and sub-section (8) of section 43, may, within sixty days from the date of the service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed, and shall also serve a copy of the Memorandum of Appeal on the assessing authority.

(2)(a) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), where the disputed amount of tax, fee or penalty in an appeal does not exceed one thousand rupees, the appellant may, at his option, request the Appellate Authority in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Appellate Authority may decide the appeal accordingly.

(b) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed.

(c) No appeal or revision shall lie against an order passed in appeal which has been disposed of summarily.

(3) Where an appeal under this Section has been filed by any dealer or any person against an order referred to in sub-section (1) and where due to filing of such appeal the Commissioner can not revise such order passed by the assessing authority on the point of legality or propriety of such order under section 52, the Commissioner may move an application to the appellate authority to examine the legality and propriety of such order on such point or points as may be mentioned in the application. A copy of such application shall be served on the dealer or such other person, as the case may be:

Provided that--

(a) no application under this sub-section shall be entertained after the expiration of four years from the date of the order in question,

(b) no application for examination of legality and propriety under this sub-section shall be entertained after the disposal of appeal filed by the dealer or other person, as the case may be,

- (c) where the Commissioner has filed an application under this Section and the dealer or other person withdraws the appeal filed by him or any other application for disposal of appeal summarily under sub-section (2), it shall be deemed for the purpose of Section 52, as if no appeal has been filed, and in such a case the period commencing from the date of filing application by the Commissioner and the date of the appellate authority's order on the application of the dealer, shall be excluded in computing the period of limitation provided in Section 52, and
- (d) if after computing, the period of limitation comes to less than six months, the revision under Section 52 may be made within six months from the date of receipt by the Commissioner of the relevant order of the appellate authority.

Explanation--For the purpose of this sub-section, the Commissioner shall include an officer authorized to file an appeal on behalf of the Commissioner before the Tribunal under Section 53 of this Act.

(4) No appeal against an assessment order under this Act shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of the amount of tax or fee due under this Act on the turnover of sales or purchases or both, as the case may be admitted by the appellant in the returns filed by him or at any stage in any proceeding under this Act, whichever is greater.

(5) The appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(6) The appellate authority--

(a) shall in a case where the appellant makes a request under sub-section(2); and

(b) may, in any other case on the application of the appellant and after giving the Commissioner a reasonable opportunity of being heard,

stay the realization of the amount of the tax, fee or penalty payable by the appellant till the disposal of the appeal.

(7) No application under clause (b) of sub-section (6) shall be entertained unless it is filed along with the memorandum of appeal under sub-section (1) and no stay order shall remain in force for more than forty five days unless the appellant has deposited the balance amount within thirty days of receipt of stay order or the time allowed in the order of the assessing authority under appeal which ever is later and before the expiry of the said period, furnished security to the satisfaction of the assessing authority for payment of the amount, the realization whereof has been stayed:

Provided that where the amount stayed is less than rupees twenty five thousand, the dealer shall not be required to furnish the security in respect of such amount :

Provided further that where an order under appeal does not involve any dispute about tax, fee or penalty, the appellate authority may stay the operation of such order till the disposal of appeal subject to such conditions as he may deem fit.

Explanation--Rejection of similar application for stay by any authority for want of jurisdiction shall not by itself preclude the Appellate Authority from entertaining such application.

(8) The appellate authority may, after calling for and examining the relevant records and after giving the appellant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard or, as the case may be, after following the procedure under sub-section (2), :--

- (a) confirm or annul such order; or
- (b) vary such order by reducing or enhancing the amount of assessment or penalty, as the case may be, whether such reduction or enhancement arises from a point raised in the grounds of appeal or otherwise; or
- (c) set aside the order and direct the assessing authority to pass a fresh order after such inquiry as may be specified; or
- (d) direct the assessing authority to make such inquiry and to submit its report within such time as may be specified in the direction or within such extended time as it may allow from time to time, and on the expiration of such time the Appellate Authority may, whether the report has been submitted or not, decide the appeal in accordance with the provisions of the preceding sub-clauses:

Provided that nothing in this sub-section shall preclude the Appellate Authority from dismissing the appeal at any stage with such observation as it deems fit where the appellant applies for withdrawal of the same and no request for enhancement of the assessment or penalty has been made by the Commissioner :

Provided further that before making an enhancement the appellant shall be given an opportunity of being heard on the proposal of enhancement :

Provided also that the appeal shall be disposed off within such time as may be prescribed.

(9) An order passed under this Section shall, subject to the provisions of this Act, be final.

(10) If the amount of the tax assessed, fee levied or penalty imposed is reduced by the appellate authority under sub-section (6) he shall order the excess amount of tax, fee or penalty, if realized, to be refunded.

(11) Section 5 of the Limitation Act, 1963, shall apply to appeals or other applications under this Section.

(12) The appellate authority shall be under the superintendence and control of the Commissioner:

Provided that in the exercise of such superintendence and control of the Commissioner, no order, instructions and directions shall be given by the Commissioner so as to interfere with the discretion of the appellate authority in the exercise of its appellate functions.

(13) Appeal filed by the dealer and the application filed by the Commissioner arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

Provided that where any one of such appeal or application has been heard and decided earlier, and if the Appellate Authority hearing the remaining appeal or application considers that such decision may be legal impediment in giving relief in such remaining appeal and application, he may recall such earlier decision and proceed to decide the appeal and the application together, after giving a fresh hearing.

52. Revision by Commissioner:

(1) The Commissioner or such other officer not below the rank of Joint Commissioner as may be authorized in this behalf by the State Government by notification may call for and examine the record relating to any order (other than an order mentioned in section 56) passed by any officer subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order and may pass such order with respect there to as he thinks fit.

(2) No order under sub-section (1) affecting the interest of a party adversely shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) No order under sub-section (1), shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 51, be passed--

(a) to revise an order, which is or has been the subject matter of an appeal under section 51, or an order passed by the Appellate Authority under that Section;

(b) before the expiration of sixty days from the date of the order in question;

(c) after the expiration of four years from the date of the order in question.

Explanation--Where the appeal against any order is withdrawn or is dismissed for non-payment of fee specified in section 74, or for non-compliance of sub-section(1) of section 51, the order shall not be deemed to have been a subject matter of an appeal under section 51.

(4) No dealer or any other person shall be entitled to file an application under this Section.

53. Appeal to the Appellate Tribunal:

(1) Any person aggrieved by an order passed under section 51 [other than an order referred to under sub-section (2) of that section], under section 52, or under section 76, or a decision under section 57, or a direction under sub-section (8) of section 43, may within ninety days from the date of service of the copy of such order, decision or direction on him, prefer an appeal to the Tribunal.

Explanation--For the purpose of this sub-section, the expression "any person" in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner includes the Commissioner and, in relation to any order passed by the Commissioner includes the State Government.

(2)(a) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), where the disputed amount of tax, fee or penalty does not exceed two thousand rupees and no question of law is involved, the appellant may, at his option, request to the Tribunal in writing for summary disposal of his appeal, whereupon the Tribunal may decide the appeal accordingly;

(b) The manner and procedure of summary disposal of appeal shall be such as may be prescribed;

(c) No revision shall lie against an order passed in appeal which has been disposed of summarily.

(3) Section 5 of the Limitation Act, 1963 shall apply to appeal or other applications under this Section.

(4) The Tribunal may at any stage, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, dismiss the appeal.

(5) The Tribunal may, if it has not already dismissed the appeal under sub-section (4), after calling for and examining the relevant records and after giving the party a reasonable opportunity of being heard or, as the case may be, after following the procedure prescribed under sub-section (2):--

(a) Confirm, cancel or vary such order, or

(b) Set aside the order and direct the assessing or appellate or revising authority or the Commissioner as the case may be, to pass a fresh order after such further enquiry, if any, as may be specified.

(6) If any amount of tax, fee or penalty is reduced by the Tribunal under sub-section (5), he shall order that any money as may have been realized in excess of the due amount, be refunded according to the provisions of this Act.

Explanation--The power to vary an order referred to in clause (a) includes the power to vary the order by reducing or enhancing the amount of assessment or penalty. However before increasing the tax or other amount the dealer shall be given an opportunity of being heard on the proposal of increasing the liability.

(7) Where an appeal under this Section has been filed, the Tribunal may, on the application of the appellant moved along with the memorandum of such appeal after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, stay the operation of the order appealed against or the recovery of disputed amount of any tax, fee or penalty payable, or refund of the amount due, or proceedings for reassessment under the order appealed against till the disposal of the appeal.

(8) No application for stay of recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount in addition to the amount required to be deposited under sub-section (4) of Section 51:

Provided that where the amount in dispute in appeal is less than rupees twenty five thousand the dealer shall not be required to deposit the one third of such disputed amount:

Provided further that the Tribunal may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirements of this sub-section regarding payment of the one third of such disputed amount.

(9) Where the Tribunal passes an order under this Section for the stay of recovery of any tax, fee or penalty or for the stay of the operation of any order appealed against and such order of the Tribunal results in the stay of recovery of any tax, fee or penalty, such stay order of the Tribunal shall not remain in force for more than forty five days unless the appellant has deposited the balance amount within thirty days of the receipt of the stay order and has furnished security to the satisfaction of the assessing authority concerned for the payment of the amount, the realisation whereof has been stayed:

Provided that where the amount stayed is less than rupees twenty five thousand, the dealer shall not be required to furnish the security in respect of such amount.

(10) (a) An appeal against an order of the Appellate Authority under Section 51 shall be heard and disposed of--

- (i) by a bench of two members, when such order is passed by an Additional Commissioner (Appeals), or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds two lakh rupees,
- (ii) by a single member bench, in other case;

(b) An appeal against an order passed under Section 52, or against direction given under sub-section (8) of Section 43 shall be heard and disposed of by a bench of two members;

(c) An appeal against an order under sub-section (13) or sub-section (16) of Section 76 or a decision given under Section 57 shall be filed before the President and shall be heard and disposed of by a bench of three members;

(d) The President may, if he so thinks fit--

- (i) direct an appeal to be heard and decided by a larger bench,
- (ii) transfer an appeal from one member to another member.;

(e) In a case before a bench consisting of two or more members, any order other than an order finally disposing of the case may be passed by any one of the members constituting the bench.

(11) Any member who has previously dealt with any case coming up before the Tribunal in any other capacity or is personally interested in any case coming up before the Tribunal shall be disqualified to hear that case.

(12) All appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

Provided that where any one or more of such appeals have been heard and decided earlier, and if the bench hearing the remaining appeals considers that such decision may be legal impediment in giving relief in such remaining appeals, it may, if the earlier decision was given--

- (a) by a smaller bench or a bench of equal strength, recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together;
- (b) by a larger bench, refer such remaining appeals to such larger bench having jurisdiction and thereafter such larger bench may recall such earlier decision and proceed to decide all the appeals together.

(13) The decision of a case heard by a bench shall be in accordance with the opinion of the majority. Where the members are equally divided the President of the Tribunal may--

- (a) if he was not a member of such bench, give his own opinion or refer the case for the opinion of another member, whereupon the case shall be decided in accordance with such opinion; or
- (b) form a larger bench.

(14) Where any case is heard by a Bench consisting of two members and the members are divided in their opinion on any point and the other member or the members of the Tribunal are disqualified under sub-section(10) to hear the case or there are for the time being only two members including

the
Tri
the
wh
(15
for
54.
(1)
fit
(2)

(3)
me
(4)

(5)
app
me.
(6)
cor
(7)
of c
tim
(8)
the
(9)
Pre
(10)
wit
dis

the President, the Government may appoint a person qualified to be appointed as a member of Tribunal, as an additional member to the Tribunal and the point shall be decided in accordance with the opinion of majority of the members of the Tribunal who have heard the case (including those who first heard it).

(15) The Tribunal shall serve the appellant with notice, in writing, of the appeal decision setting forth the reasons for the decision.

54. Constitution of Appellate Tribunal:

(1) The Government shall appoint a Tribunal consisting of a President and such members as it think fit to perform the functions assigned to the Tribunal by or under this Act.

(2) The President and the members shall be appointed from amongst--

(a) the persons belonging to Uttaranchal Higher Judicial service who hold or have held a post not below the rank of Additional District judge; and

(b) the persons belonging to the Uttaranchal Trade Tax Service who hold or have held a post not below the rank of Additional Commissioner.

(3) The State Government may prescribe such other qualifications or conditions for the appointment of the President and other members of the Tribunal as it may deem fit.

(4) The appointments to the Tribunal shall be made by the State Government--

(a) in case of persons who have been or are members of the Uttaranchal Higher Judicial Service, in consultation with the High Court; and

(b) in case of persons belonging to the Uttaranchal Trade Tax Service, by selection on the principle of merit from amongst persons who hold or have held the post not below the rank of Additional Commissioner of Trade Tax.

(5) The provisions of Rule 56 of the U.P. Fundamental Rules as applicable in Uttaranchal, shall apply to every member of the Tribunal including the President as they apply to any other Government servant.

(6) The head quarter of the President of the Tribunal shall be at Dehradun, and he shall exercise the concurrent jurisdiction over all the Benches in Uttaranchal.

(7) The head quarters and jurisdiction of other single member benches, referred to in subclause (ii) of clause (a) of sub-section (10) of Section 53, shall be such as the Government may, from time to time, in consultation with the President of the Tribunal, notify.

(8) The President may, from time to time, constitute benches of two or more members, and specify the jurisdiction and place of sitting of such benches as he may consider necessary.

(9) The members of the Tribunal shall be under the administrative control and supervision of the President.

(10) The Tribunal shall, with the previous sanction of the Government make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder for regulating its procedure and the disposal of its business.

(11) The regulations made under sub-section (10) shall be published in the official Gazette.

55. Revision by High Court:

(1) Any person aggrieved by an order under sub-section (4) or sub-section(5) of Section 53, other than an order under sub-section (2) of that Section summarily disposing of the appeal or by an order passed under Section 30, by the Tribunal may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court for revision of such order.

(2) A revision to the High Court may be made on question of law or an erroneous decision or failure to decide a question of law by the Tribunal.

(3) The application for revision under sub-section(1) shall precisely state the question of law involved in the case and it shall be competent for the High Court to formulate the question of law or to allow any other question of law to be raised.

(4) The Commissioner shall also be made a party to the proceedings before the High Court where appeal is filed by the dealer or other person.

(5) Where an application under this section is pending, the High Court may, on an application in this behalf stay recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty payable, or refund of any amount due under the order sought to be revised:

Provided that no order for stay of recovery of such disputed amount shall remain in force for more than thirty days unless the applicant furnishes adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned.

(6) The High Court shall after hearing the parties to revision decide the question of law involved therein, and where as a result of such decision the amount of tax, fee or penalty is required to be determined afresh, the High Court may send a copy of the decision to the Tribunal for fresh determination of the amount, and the Tribunal shall thereupon pass such orders as are necessary to dispose of the case in conformity with the said decision.

(7) All applications for revision of orders passed under Section 53 in appeals arising out of the same cause of action in respect of an assessment year shall be heard and decided together:

Provided that where any one or more of such applications have been heard and decided earlier, if the High Court while hearing the remaining applications, considers that the earlier decision may be a legal impediment in giving relief in such remaining applications, it may recall such earlier decision and may thereafter proceed to hear and decide all the applications together.

(8) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963, shall mutatis mutandis apply to every application, for revision under this Section.

Explanation: For the purpose of this Section, the expression "any person" includes the Commissioner and the State Government.

56. Orders against which No Appeal or Revision shall lie:

No appeal and no application for revision shall lie against—

- (a) an order or notice under section 24, section 25, section 26 and section 29 initiating an enquiry for assessment or reassessment;

57. I

(1) If

asses

Act-

the

app

(2)

dec

off

que

(3)

orc

(4)

au

(5)

tic

ap

(6)

au

(b) any order or action under section 42 or sub-section (1), sub-section (2), sub-section (4), sub-section (7) and sub-section (8) of section 43 or sub-section (6) of section 48.

57. Determination of Disputed Questions:

(1) If any question arises, otherwise than in a proceeding pending before a court or before an assessing authority under section 25, section 26 or section 29, whether, for the purpose of this Act--

- (a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or
- (b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or
- (c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or, as the case may be, the purchase price therefore ; or
- (d) any particular dealer is required to obtain registration; or
- (e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof,

the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in Section 74 submit an application to the Commissioner along with such documents as may be prescribed.

(2) The Commissioner shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, decide as he deems fit the question so arising:

Provided that before giving such decision, the Commissioner may, in his discretion, ask an officer subordinate to him to make such enquiries as he considers necessary for the decision of the question.

(3) No decision of the Commissioner under this Section shall affect the validity or operation of any order passed earlier by any assessing officer, appellate authority, revising authority or the Tribunal.

(4) No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained to be determined under this Section.

(5) Except as provided in sub-section (3), a decision given by the Commissioner under this Section shall, subject to the provisions of Section 53 and Section 55 be final and binding on the applicant, the assessing authority and the appellate authority.

(6) A copy of the decision given under this Section shall be sent to the applicant and the assessing authority concerned.

CHAPTER--VIII

OFFENCES AND PENALTIES

58. Offences and Penalties:

(1) If the assessing authority is satisfied that any dealer or other person--

- (i) being liable for registration under this Act carries on or continues to carry on business as a dealer beyond thirty days from the date on which he becomes liable to obtain registration, without obtaining registration under and in accordance with the provisions of Section 15 or Section 16 or without furnishing the security demanded under Section 20; or
- (ii) not being a registered dealer falsely represents that he is or was a registered dealer at the time when he sells or buys goods; or
- (iii) knowingly uses a false registration number including the registration number of another person, with a view to evade or avoid or shift the liability to pay the tax; or
- (iv) has, without reasonable cause failed to furnish the return of his turnover or to furnish it within the time allowed and in the manner prescribed; or
- (v) has submitted a false return of his turnover under this Act; or
- (vi) has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover; or
- (vii) has, without any reasonable cause failed--
 - (a) to deposit the tax due under the Act, before furnishing the return or along with the return, or
 - (b) to pay within the time allowed the tax due under the provisions of the Act, or
 - (c) to deposit with the return, the amount realized as tax in excess of the amount due under the Act or any amount in lieu of such tax by giving it any name or color, or
- (viii) fails to pay the amount in respect to which moratorium has been granted under the provisions of Section 76, within the time specified therein; or
- (ix) demands or charges on the sale or purchase of any goods tax not due under the provisions of this Act; or

- (x) realizes any amount as tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of such tax by giving it a different name or color in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 22; or
- (xi) wrongly claims an amount as input tax credit or claims an input tax credit on the basis of false Sale Invoice; or
- (xii) produces a false proof of deposit of any amount of tax or fee or penalty or any sum due under this Act; or
- (xiii) does not maintain books, accounts, documents in the prescribed manner; or
- (xiv) has maintained or produced false accounts, registers or documents; or
- (xv) refuses or neglects to furnish any information which may be in his knowledge or possession and which he has been required to furnish for the purposes of this Act, or furnishes information which is false in any material particulars; or
- (xvi) fails to furnish the audit report in contravention of the provisions of section 62; or
- (xvii) refuses to permit or refuses or neglects to produce for inspection or examination any book, document or account or display materials in a computer or in a computer floppy or refuses to allow copies or print-out to be taken in accordance with the provisions of section 42; or
- (xviii) closes or leaves the place of his business with a view to prevent inspection under this Act or the rules made thereunder; or
- (xix) imports or transports, or attempts to import or transport, abets the import or transport any goods in contravention of the provisions of Section 48 or Section 49; or
- (xx) fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle when asked to do so by the officer-in-charge of a check-post or barrier established under section 47 or by an officer empowered under section 42; or
- (xxi) fails to obtain authorization for transit of goods or to deliver the same, as provided in section 50; or
- (xxii) being a transporter or forwarding agent who receives any goods from the driver or person-in-charge of a vehicle coming from out side the State for carrying them out side the State but fails to prove that goods have been carried out side the State; or

- (xxiii) being a transporter or hirer or driver or person-in-charge of a vehicle has prepared documents showing the destination of goods to a place out side the State, fails to produce copies of authorisation for transit of goods along with goods before the officer-in-charge of the exit check-post and/or fails to prove that after obtaining authorisation for transit from officer-in-charge of the entry checkpost, goods have been carried out side the State; or
- (xxiv) tampers with any seal put under sub-section (7) of section 42; or
- (xxv) fails to issue a Sale Invoice in accordance with the provisions of Section 60, or has issued a Sale Invoice with incomplete or incorrect particulars or having issued such invoice he has failed to account for it correctly in his books of accounts; or
- (xxvi) issues a false Sale Invoice, voucher or other documents which he knows or has reasons to believe, to be false; or
- (xxvii) fails to issue a challan or transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act; or
- (xxviii) issues or receives a false Sale Invoice without sale or purchase of goods shown in such false Sale Invoice; or
- (xxix) issues or furnishes a false or a wrong form of declaration or certificate by reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under this Act or the rules made thereunder; or
- (xxx) makes use of or furnishes a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him or his principal or agent in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder; or
- (xxxi) transfers a prescribed form of declaration or certificate to any other person except for lawful purposes under the provisions of this Act or the rules made thereunder ; or
- (xxxii) receives or possesses or uses or furnishes with an intention to cause loss to the revenue, any prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him or his principal or agent in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder; or
- (xxxiii) obstructs or prevents any officer from performing any of his functions or discharging his duties under this Act or abuses or threatens any officer; or

(xxxiv) provokes or invites other person or persons with a view to prevent any officer from performing his functions or discharging his duties under the Act or participates in an unlawful assembly with a view to prevent an officer from performing his functions or discharging his duties under this Act, or abuses or threatens any officer; or

(xxxv) makes a false verification or declaration on an application for registration or in connection with any other proceedings under this Act; or

(xxxvi) otherwise acts in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, it may, after such inquiry as deemed necessary, direct that such dealer or person shall pay, by way of penalty, in addition to the tax, if any, payable by him--

(a) in a case referred to in clause (i), a sum of rupees two hundred for each month or part thereof for the default during the first three months and rupees five hundred for every month or part thereof after the first three months during which the default continues,

(b) in a case referred to in clause (vii) and clause (viii), a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is upto ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees,

(c) in a case referred to in clause (x) a sum not less than the amount of tax realised in excess but not exceeding three times of the amount of tax realised in excess,

(d) in a case referred to in clause (ii), clause (iv), clause (xiii), clause (xv), clause (xvi), clause (xviii), clause (xxviii) and clause (xxxvi) a sum not exceeding five thousand rupees,

(e) in a case referred to in clause (iii), clause (vi), clause (ix), clause (xiv), clause (xvii), clause (xx), clause (xxvi), clause (xxxiii), clause (xxxiv) and clause (xxxv) a sum not exceeding ten thousand rupees,

(f) in a case referred to in clause (xi) and clause (xii) a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher,

(g) in a case referred to in clause (xix), clause (xxi) clause (xxii), clause (xxiii), clause (xxix) and clause (xxx) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, which ever is higher,

- (h) in a case referred to in clause (xxv) and clause (xxvii) a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default, or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default,
- (i) in a case referred to in clause (xxxi) and clause (xxxii) a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of the goods mentioned on it which ever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees,
- (j) in a case referred to in clause (v) a sum not exceeding Rs. 10000/- or the amount of tax involved, whichever is higher,
- (k) in a case referred to in clause (xxiv) a sum not exceeding Rs. 25000/-.

Explanation : The assessing authority includes an officer not below the rank of Commercial Tax Officer Grade II posted at the check-post or an officer authorised to exercise powers under Section 42 or Section 43 or both, as the case may be.

(2) A copy of the order passed under sub-section (1) shall be served on a dealer or the person concerned and the amount imposed by way of penalty shall be deposited by such dealer or person in the prescribed manner within thirty days of such service failing which it may be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(3) No order shall be made under sub-section (1), unless the dealer or the other person concerned has been heard or has been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) The provisions of this Section shall mutatis mutandis be applicable to the executor, administrator and the legal representative of the deceased person.

CHAPTER--IX

ACCOUNTS TO BE MAINTAINED BY DEALERS

59. Maintenance of Accounts:

(1) Every dealer or a person registered or liable to be registered under this Act, or liable to pay tax under this Act, including a dealer covered under sub-section (1) and (2) of section 7 of this Act, shall keep and maintain a true and correct account showing the value of goods purchased, manufactured or sold or supplied by him and such other records as may be prescribed under this Act or the Rules made or Notifications issued thereunder:

Provided that this sub-section shall not apply to such dealers as are not liable to taxation under this Act.

(2) A manufacturer liable to pay tax under this Act shall in addition to the accounts referred to in sub-section (1), maintain stock books in respect of raw materials as well as products obtained.

(3) The Commissioner may, subject to such conditions or restrictions as may be prescribed in this behalf, direct any dealer or any class of dealers generally to keep such accounts and records, including records of purchases, sales or delivery of goods in such form and in such manner as may be specified.

(4) Every registered dealer or a dealer referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall keep at his place of business all accounts, registers and documents maintained in the course of business.

(5) Where a dealer as referred to in sub-section (1) or sub-section (2) has established branch offices of his business in the State other than the principal place of business, the relevant accounts, registers and documents in respect of each such branch shall be kept by him at such branch.

(6) A dealer who maintains or keeps books or accounts in a computer shall prepare floppies of such books or accounts or documents and shall maintain them as part of accounts. He shall also maintain day-to-day print out of all such books, accounts and documents.

(7) Any dealer who claims input tax credit under section 6 shall maintain a register in respect of computation of input tax credit tax period wise.

(8) Where a dealer purchases or receives or disposes of manufactured goods in more than one of the following ways :

- (a) makes sale of taxable goods inside the State; or
- (b) dispatches taxable goods to other dealers for sale inside the State; or
- (c) makes sale of taxable goods in the course of inter-state trade or commerce; or
- (d) makes sale of goods in the course of export out side the territory of India; or
- (e) dispatches taxable goods out side the State otherwise than by way of sale,

shall keep separate account of sales or dispatches and also purchases and receipts of goods for such purposes separately as far as possible.

(9) Every dealer liable to pay tax shall prepare an inventory of goods purchased from in side the State or imported from out side the State along with their purchase value as given below:

- (a) goods held in the opening stock on the date on which the dealer becomes liable to pay tax;
- (b) goods held in the closing stock on the last date of each financial year;
- (c) goods held in opening stock on the first date of the assessment year in which the dealer applies for cancellation of registration under sub-section (1) of Section 18;
- (d) goods held in stock at the time of discontinuance of business:

Provided that if the dealer manufactures any goods and holds any manufactured or semi-manufactured goods in stock, he shall also prepare inventory of goods and record estimated purchase value of goods used in manufactured or semi-manufactured goods as constituent and estimated purchase value of goods used in the manufacture of such goods as fuel or consumable stores or lubricants or packing material.

(10) Where a registered dealer or a dealer liable to pay tax, consigns any taxable goods to another dealer whether as a result of sale or otherwise:

(a) such dealer shall issue in the prescribed manner a challan or a transfer memo in original containing prescribed particulars, to the purchaser or the consignee person and the same shall accompany the goods during the journey of goods and the duplicate copy shall be preserved by the dealer as part of his accounts;

(b) person transporting the goods for delivery to consignee shall fill in the particulars in the relevant columns in the transfer memo or challan and shall deliver such documents to the consignee along with the goods;

(c) consignee dealer of goods shall not transfer any such document to any other person and preserve the same for the period prescribed under Section 61.

(11) Where a dealer receives any certificate or any form of declaration prescribed under this Act or Rules made or notifications issued thereunder:

(a) he shall use them in the prescribed manner and keep an account of such used or unused certificates or forms of declarations in the prescribed manner;

(b) he shall not transfer to any person and no person shall receive from any person any certificate or any form of declaration except for lawful purposes;

(c) any dealer who receives any prescribed form including duplicate copy thereof and other connected documents, shall preserve them for a period prescribed under Section 61.

60. Sale Invoice:

(1) Every registered dealer making a sale to any person or a dealer, whether registered or not, shall provide that purchaser for every sale with a Sale Invoice containing such particulars as specified in sub-section (2), and retain a copy thereof. The amount of tax charged on sales of goods shall be shown separately:

Provided that if an invoice has been issued under the provisions of Central Excise Tariff Act, 1985, it shall be deemed to be a Sale invoice if it contains the particulars specified in sub-section (2).

(2) The Sale Invoice issued under sub-section (1) shall contain the following particulars on the original as well as copies thereof--

(a) the name, address and registration certificate number of the selling registered dealer and the date from which the registration is effective;

(b) the name, address and registration certificate number with effective date, of the purchasing dealer;

(c) an individual serialised number and the date on which the Sale invoice is issued;

(d) description, quantity, volume and value of goods sold and amount of tax charged thereon indicated separately;

(e) signature of the selling dealer or his manager, agent or servant duly authorised by him.

(3) Every registered dealer shall, in respect of every sale of goods on which tax is charged, issue to the purchaser a Sale Invoice and in case of sale of goods exempt from tax, exceeding such amount

in value as may be prescribed, in any one transaction to any person, he shall issue to the purchaser a Sale invoice:

Provided that in a case in which a purchaser demands a sale invoice in respect of such sale, the dealer shall issue to the purchaser a sale invoice, irrespective of the amount of sale.

(4) Every Sale Invoice shall, before being issued, be authenticated by the dealer or his authorised signatory.

(5) The Sale Invoice shall be issued in triplicate. The original shall be issued to the purchaser and the first copy shall be issued to the dealer or any other person, as the case may be, taking delivery of the goods and the second copy shall be retained by the selling dealer.

(6) Not more than one Sale Invoice shall be issued for each sale.

(7) An original Sale Invoice shall not be provided to a person in any circumstances other than those specified in this Section, but a copy marked as Duplicate may be provided in the prescribed manner, if the person receiving the original invoice so requests for the reason that the original has been lost.

(8) The particulars of Sale Invoice shall be recorded in the form and in the manner as may be prescribed.

61. Period for which Accounts to be retained:

(1) Every dealer shall preserve all accounts required to be maintained by him in the course of his business, including Sale invoices, debit credit memos and vouchers relating to productions, stocks, purchases, deliveries and sales, for a period of six years after the close of the assessment year to which they relate or till the assessment or reassessment or any other proceedings under the Act for such assessment year is completed, whichever is later.

(2) Every dealer who maintains the records electronically shall retain them in electronically readable format for the period specified in sub-section (1).

62. Audit of Accounts:

(1) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds forty lakh rupees or such other amount as the Commissioner may, by notification in the Official Gazette, specify, then such dealer shall get his accounts, in respect of that year, audited by an accountant before 31st October in the following year and obtain a report of such audit duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

(2) A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority within two months after the expiry of the period during which the audit is required to be completed as per sub-section (1).

Explanation--For the purpose of this Section, "Accountant" means a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountant' Act 1949, a Cost Accountant as defined in the Cost and Works Account's Act, 1959, and includes a person who by virtue of the provisions of sub-section (2) of Section 226 of the Companies Act, 1956, is entitled to be appointed to act as an auditor of Companies registered under the said Act.

CHAPTER--X**MISCELLANEOUS****63. Liability on Issuing False Certificate etc.:**

Notwithstanding any thing to the contrary contained elsewhere in this Act, and without prejudice to Section 58 a person who issues a false or wrong certificate or declaration prescribed under any provision of this Act or the Rules framed thereunder, to another person by reason of which a tax leviable under this Act on the transaction of purchase or sale made to or by such other person ceases to be leviable or becomes leviable at a concessional rate, shall be liable to pay on such transaction an amount which would have been payable as tax on such transaction had such certificate or declaration not been issued:

Provided that before taking any action under this Section, the person concerned shall be given an opportunity of being heard.

Explanation--where a person issuing a certificate or declaration discloses therein his intention to use goods purchased by him for such purpose as will make the tax not leviable or leviable at a concessional rate but uses the same for a purpose other than such purpose, the certificate or declaration shall, for the purpose of this Section, be deemed to be wrong.

64. Objection to Jurisdiction:

(1) No objection as to the territorial or pecuniary jurisdiction of any assessing authority shall be allowed by any appellate or revising authority or the Tribunal unless such objection was taken up before the assessing authority at the earliest possible opportunity and unless, in the opinion of the appellate or revising authority or the Tribunal, as the case may be, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.

(2) Where any assessment is set aside or quashed merely on the ground of want of territorial or pecuniary jurisdiction of the assessing authority or on any other ground of a like nature not affecting the substance, any tax already paid by the assessee, to the extent of the liability admitted by him, shall not be refundable to him, in consequence of the assessment being so set aside or quashed.

65. Certain Presumptions in Affixing Tax Liability:

(1) Where any goods relating to business are--

- (a) traced to a dealer and are found in a building or place but the dealer has not accounted for such goods in his books of account; or
- (b) traced to a dealer and are found in a vehicle, whether belonging to the dealer or not, such goods are not accompanied with the documents prescribed under any provision of this Act; or
- (c) found in the custody of any person who claims to carry on any profession other than business but fails to prove that such goods belong to some other person or dealer,

it shall be presumed that such goods have been imported or purchased within the State by such dealer or person with a view to evade payment of tax on sale of such goods or if the goods found are for use in manufacture, the tax on the sale of goods to be manufactured by using such goods.

(2) Where at a check-post or any other place inside the State it is found that any taxable goods for the purpose of business, are being imported without a form of declaration prescribed under section 48, unless otherwise proved after furnishing proper and sufficient evidence, it shall be presumed that--

(a) such goods are being imported with a view to evade payment of tax under this Act; and

(b) such goods are being imported with a view to evade payment of tax on sales of such goods under this Act:

Provided that if goods are meant for use in manufacture of any goods, it shall be presumed that goods are being imported with a view to evade payment of tax on sale of goods to be manufactured by using such goods.

(3) Where any books or accounts or documents are found in any place or building or vehicle, unless the person-in-charge of such place or building or vehicle, after furnishing proper and sufficient evidence, proves that the same belong to some other person or dealer, such books, accounts or documents shall be deemed to belong to such person, and such person shall be deemed to be a dealer in respect of such transactions relating to business of purchase and sale of goods, as may be found in such books, accounts or documents.

(4) Where any transactions of sale and/ or purchase of any goods relating to a dealer are found recorded in any books or accounts or documents of any other dealer and if such transactions are not found recorded in the books or accounts or documents maintained by the former dealer in the ordinary course of business, it shall be presumed that the transaction related to such former dealer and that such goods have been imported or purchased within the State with a view to evade payment of tax on sale of such goods or if the goods recorded in such books, accounts or documents are for use in manufacture, the tax on sale of goods to be manufactured by using such goods.

(5) Where in respect of purchase or sale of any goods within the State, the challan or transport invoice referred to in sub-section (10) of Section 59 is required to be issued or obtained or to accompany the goods during transit and if such provisions have not been complied with or the goods in whole or part are not covered by such documents, it shall be presumed that such goods have been sold, or as the case may be, purchased with a view to evade payment of tax on purchase or sale of such goods or, if the goods are for use in the manufacture, the tax on the sale of goods to be manufactured by using such goods.

(6) Where a dealer obtains any Sale Invoice from a registered dealer without making purchase of goods shown in such Sale Invoice, it shall be presumed that the dealer obtaining such documents has purchased goods shown in such document from other person with a view to evade payment of tax on purchase of such goods in the circumstances in which tax can not be levied on the person selling such goods and tax shall be payable under the provisions of this Act on such purchases by the dealer purchasing the goods.

(7) Where the Assessing Authority is satisfied that a "scheme" has been entered into or carried out

such that a person, in connection with the scheme, has obtained the tax benefit resulting in—

- (a) a reduction in the liability of any person to pay tax ; or
- (b) an increase in the entitlement of a person to an input tax credit or refund; or
- (c) any other avoidance or postponement of liability for the payment of tax,

it shall be presumed that such person or persons who carried out or entered into the scheme did so for the sole and dominant purpose to enable such person to obtain the tax benefit, and the assessing authority may determine the liability of such person who has obtained the benefit as if the scheme had not been entered into or carried out.

Explanation—The “scheme” includes any agreement, arrangement, promise, or undertaking whether express or implied and whether or not enforceable, or intended to be enforceable by legal proceedings, and any plan, proposal, course of action, or course of conduct.

66. Burden of Proof:

(1) In any assessment proceeding, when any fact is specially within the knowledge of the assessee, the burden of proving that fact shall lie upon him, and in particular, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the exceptions; exemptions or relief under any provisions of this Act, or that he is eligible for input tax credit under section 6, shall lie upon him and the assessing authority shall presume the absence of such circumstances.

(2) Where any dealer claims that he is not liable to pay tax in respect of any transaction of sales or purchases, the burden of proving the existence of facts and circumstances on the basis of which he claims such exemptions from liability shall lie upon him.

67. Additional Evidence in Appeal:

The assessee shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, before the appellate authority or the Tribunal except where the evidence sought to be adduced in evidence, which the assessing authority had wrongly refused to admit or which after exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him before the assessing authority, and in every such case, upon the additional evidence being taken on record, reasonable opportunity for challenge or rebuttal shall be given to the assessing authority.

68. Indemnity:

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any servant of the Government for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

69. Bar to certain Proceedings:

No assessment made and no order passed under this Act or the rules made thereunder by any authority shall be called in question in any Court, and save as is provided in this Act, no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order.

70. Certain Information to be Confidential:

(1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced under the provisions of the Act or the rules made thereunder, or in any evidence given or affidavit or deposition made in the course of any proceedings under the Act or the rules made thereunder, or in any record of any proceedings relating to the recovery of a demand prepared for the purpose of the Act or the rules made thereunder shall be treated as confidential.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any such particulars--

(a) for the purpose of any investigation of, or prosecution for any offence under this Act or under the Indian Penal Code, 1860, or under any other enactment for the time being in force; or

(b) to any person acting in the execution of the Act or the rules made thereunder where it is necessary to disclose the same to him for the purposes of the Act or the rules made thereunder; or

(c) occasioned by lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for recovery of any demand; or

(d) to a Civil Court in any suit to which the Government is a party which relate to any matters arising out of any proceedings under this Act or the rules made thereunder; or

(e) occasioned by a lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document; or

(f) to an officer of Central Government or the Government of any State for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax imposed by it; or

(g) to an officer of the Central or the State Government for the purpose of making an enquiry against any Government servant; or

(h) or purpose of audit of public accounts; or

(i) for any other lawful purpose under this Act or the rules made thereunder.

(3) Nothing in this Section will apply to publication of any information relating to a class of dealer or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest, to publish such information.

(4) Notwithstanding any thing contained in this Section, if the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish or disclose the names of any dealers or other persons and any of the particulars relating to any proceeding under this Act in respect of such dealers and persons, it may publish or disclose or cause to be published or disclosed such names and particulars in such manner as it thinks fit.

(5) No publication or disclosure under this section shall be made in relation to any tax levied or penalty imposed or interest levied or any conviction for any offence connected with any proceeding under this Act, until the time for presenting an appeal to the appropriate appellate authority has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation: In the case of a firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, the directors, managing agents, secretaries, treasurers or managers of the company or the members of the association, as the case may be, may also be published or disclosed, if, in the opinion of the Government, the circumstances of the case justify it.

71. Powers to make Rules:

(1) The State Government may make Rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such Rules may provide for--

- (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
- (b) the registration of persons engaged in the sale or purchase of goods and the imposing of conditions in respect of the same for the purpose of enforcing the provisions of this Act and fees for registration;
- (c) the determination of turnover for the purpose of assessment of tax under this Act;
- (d) compelling the submission of returns and the production of documents and enforcing the attendance of persons and examining them on oath or affirmation ;
- (e) the appointment, duties and powers of officers appointed for the purposes of enforcing the provisions of this Act;
- (f) generally regulating the procedure to be followed and the forms to be adopted in proceedings under this Act;
- (g) refunds of amounts deposited under sub-section (1) of Section 40, the procedure for such refunds and the period within which they may be made;
- (h) the manner of putting seals under sub-section (7) of Section 42 and the manner in which and by whom the same shall be removed and for custody of sealed property and other goods and documents referred to in that sub-section;
- (i) the custody of goods seized under Section 43; and
- (j) the matters which are to be or may be prescribed.

(3) The powers to makes Rules conferred by this Section shall be subject to the condition of the Rules being made effective after previous publication for a period of not less than four weeks:

Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary for it to take immediate action, it may make any Rule without such previous publication.

(4) All Rules made under this Section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act.

(5) Every Rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the State Legislative Assembly may during said period make. However any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done or omitted to be done under that rule.

72. Power to issue Notifications with Retrospective effect:

Where the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest, it may issue a notification where ever required under the provisions of this Act, so as to make it effective from a date not earlier than six months from the date of issuance of such notification:

Provided that no notification having the effect of increasing the liability to tax of a dealer shall be issued with retrospective effect under this Section.

73. Transfer to Defraud Revenue void:

Where, during the pendency of any proceeding under this Act, any person liable to pay any tax or other dues creates a charge on or transfers, any movable or immovable property belonging to him in favour of any other person with the intention of defrauding any such tax or other dues, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or other dues payable by such person as a result of the completion of the said proceedings :

Provided that nothing in this Section shall impair the rights of a transferee in good faith and consideration.

74. Fees in certain Cases:

(1) Subject to the provisions of sub-section (3), the fee payable on a memorandum of appeal or other applications under this Act filed or moved shall be as follows:--

- | | |
|--|---|
| (a) On a memorandum of appeal under section 51 | Two percent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of one hundred rupees and a maximum of one thousand rupees |
| (b) On a memorandum of appeal under section 53 | Seven and a half percent of the amount of tax, fee or penalty in dispute, subject to a minimum of five hundred rupees and a maximum of two thousand rupees. |
| (c) On an application under section 57 | One hundred rupees |
| (d) On any other application-- | |
| (i) when addressed to the Commissioner or the revising authority or the Tribunal | Twenty rupees. |
| (ii) when addressed to any other officer or authority | Ten rupees. |

(2) The fee referred to in this section and any provisions of this Act shall be payable in the manner prescribed, and proof of deposit shall be attached to the memorandum, or application as the case may be:

Provided that where the amount of fee payable does not exceed fifty rupees, the same may be paid in Court fee stamp.

(3) No fee shall be payable in respect of --

- (a) an application or a memorandum of appeal presented by the Commissioner or any other officer or authority appointed under this Act or the rules made thereunder;
- (b) an application in which only information is sought and in which no specific relief is prayed for;

(c) an application under Section 57, seeking a decision only as to rate of tax applicable or the point at which the tax is payable.

75. Power to Grant Instalment:

(1) Subject to such conditions and restrictions, including the conditions regarding furnishing security to the satisfaction of the assessing authority, as may be deemed fit to be imposed--

(a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues is outstanding to pay the amount in such number of monthly instalments, not exceeding twenty four, as it may consider proper in the circumstances of the case; and

(b) the Commissioner may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues aggregating not more than one lakh rupees is outstanding, to deposit the same in such number of monthly instalments, not exceeding twelve, as he may consider proper in the circumstances of the case.

(2) Where such dealer or other person fails to furnish, within thirty days of the receipt of the order referred to in sub-section (1), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of outstanding amount, or fails to comply with the conditions and restriction imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once.

76. Moratorium for Payment of Tax:

(1) Notwithstanding any thing contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for increasing production of any goods or for promoting the development of any industry in the State generally or in any district or part of a district in particular, it may on application or otherwise in any particular case or generally, by notification declare that to the dealers running new units whose date of starting production falls on a date prior to the date of commencement of this Act and dealers owning manufacturing units which have undertaken expansion, diversification or modernization or backward integration prior to the date of commencement of this Act and if such dealers hold an eligibility certificate issued under the provisions of section 4-A of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, rules made or notifications issued thereunder, moratorium for payment of admitted tax in lieu of exemption from tax on sale of goods whether wholly or partly or at reduced rate, will be allowed subject to the conditions given in this Section and such other conditions as may be prescribed or as the State Government may, by notification in the Gazette, specify.

(2) Dealers who have been granted facility of moratorium for payment of admitted tax before the commencement of this Act, such facility shall continue and shall be deemed to have been granted under this Act, and to that extent the provisions of Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be deemed to be part of this Act. The facility granted under this Section shall be subject to such conditions as given in this Section and such other conditions as may be prescribed or as the State Government may, by notification in the Gazette, specify.

(3) Any application pending at the time of commencement of this Act, before the Commissioner of Trade Tax, for issue of orders for moratorium for payment of admitted tax under the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be deemed to be pending under the provisions of this Act before the Commissioner and the same shall be disposed of according to the provisions of that Act as it was in force on the date on which the application was presented before the Commissioner.

(4) Notwithstanding any thing contained contrary to the provisions of this Act and in particular to the provisions of section 4-A or sub-section (2-A) of section 8 of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, rules made or notifications issued thereunder--

(a) application for grant of eligibility certificate presented on a date prior to the date of commencement of this Act before the competent authority under that Act shall be deemed pending before the prescribed authority under this Act,

(b) dealers owning new units whose date of starting production falls before the date of commencement of this Act and dealers owning such units as have under taken expansion or diversification or modernization or backward integration before the date of commencement of this Act, may apply for grant of eligibility certificate under the provisions of section 4-A of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 within the time prescribed under that Act before the prescribed authority under this Act.

(5) Applications for grant of eligibility certificate under sub-section (4) shall be disposed of by the prescribed authority according to the provisions of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, the rules made and notifications issued thereunder, as applicable on the date of commencement of this Act, and the dealer, if found eligible, shall be granted eligibility certificate, and such dealer shall be entitled to moratorium for payment of admitted tax to the extent and for the period provided in sub-section(6).

(6) Subject to other provisions of this Section, the dealers holding eligibility certificate either granted under the provisions of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 before the date of the commencement of this Act or who may be granted eligibility certificate under sub-section (5), shall be eligible to tax concessions or, as the case may be, for the facility of moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax, as per provisions of section 4-A of the repealed Act and the Rules made or relevant Notifications issued thereunder, subject to the following conditions and restrictions, namely :--

(a) The dealers who had opted for moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax, shall be eligible for the facility of moratorium to the extent of aggregate amount of hundred percent of the amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate and fifty percent of the amount of fixed capital investment mentioned in the eligibility certificate less aggregate of such amount in respect of which facility of moratorium for payment of tax has been availed during the period before the commencement of this Ordinance, for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in the order of moratorium.

(b) The dealers who were enjoying exemption from tax for any period before the commencement of the Act, may, either--

(i) continue to do so for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in eligibility certificate, and to the extent of remaining balance amount (amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate less the aggregate of amount of exemption from tax as has been availed before the date of commencement of this Ordinance); or

(ii) opt, in the prescribed manner, for benefit of moratorium for payment of tax in lieu of exemption from tax and such units shall be eligible for facility of moratorium to the extent of aggregate amount of hundred percent of the amount of exemption from tax mentioned in the eligibility certificate and fifty percent of the amount of fixed capital investment mentioned in the eligibility certificate less the aggregate of amount of exemption from of tax as has been availed before the date of commencement of the Ordinance, for the period remaining on that date out of the maximum period mentioned in the eligibility certificate;

Provided that if the dealer does not choose either of the two options, within 30 days of the commencement of this Act, it shall be presumed that the dealer desires to continue as per provision (i) above.

(c) any taxable dealer purchasing goods from such dealer holding eligibility certificate and who is exempt from tax, whether wholly or partially, shall be entitled to Input Tax Credit of the aggregate amount of tax charged in the sale invoice of the selling dealer and the amount of exemption from tax as per eligibility certificate, and for this purpose the selling dealer shall append a certificate in the sale invoice in the following Proforma--

Certificate

“Certified that the dealer is entitled to exemption for tax @-----% as per Eligibility Certificate No ----- dated ----- and the amount of exemption from tax in this Sale Invoice comes to Rs. -----”.

(7) Under moratorium for payment of admitted tax under this Section, the amount of tax for each assessment year, which a dealer would have been liable to pay as admitted tax payable on sale of goods if exemption had not been granted, less any amount of admitted tax payable according to the conditions of eligibility certificate for the assessment year, shall be deferred for a period of seven years. Such period of seven years shall be computed from 1st May of the assessment year subsequent to assessment year to which such amount of tax relates. The amount of tax for each assessment year for which moratorium is granted shall be paid by the dealer in lump sum within one month of the expiry of the period of moratorium:

Provided that the total amount payable shall be paid in lump sum within three months of its becoming payable when the moratorium ceases as per the provisions under sub-section (14) of this Section.

(8) Moratorium shall be allowed only to those manufacturers who hold eligibility certificate and who obtain certificate of moratorium from the prescribed authority.

(9) Moratorium shall be admissible in respect of tax on sale of goods mentioned in the eligibility certificate and shall not be available in respect of tax payable on purchases of goods, if any, and in respect of sales of goods for which eligibility certificate is not applicable.

(10) Moratorium shall not be admissible in respect of amount of tax assessed in excess of tax admittedly payable and shall be limited to the amount of tax and for the period mentioned in sub-section (6).

(11) Moratorium shall be available to only such manufacturers who create first charge on their property in favour of the State Government sufficient to cover the amount of tax for which moratorium has been granted.

(12) Moratorium shall be subject to such conditions as the State Government may, by notification in the gazette prescribe.

(13) The Commissioner may, by order in writing, before or after the expiration of the period of exemption or reduction, amend or cancel the certificate of eligibility in the following circumstances--

- (a) where there is any legal or factual error in issuing such eligibility certificate; or
- (b) where the unit is not entitled to such facility or is entitled to such facility for a lesser period or from a different date; or
- (c) where the dealer has misused the certificate of eligibility in any manner; or
- (d) where the dealer has acted in contravention of any conditions of eligibility certificate; or
- (e) where the dealer has not paid any amount of tax or penalty due from him either under this Ordinance or under the Central Sale Tax Act, 1956; or
- (f) where the dealer is involved in the evasion of tax under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956; or
- (g) where the dealer has discontinued business,

and in any such case the facility of moratorium shall be withdrawn with effect from the date specified in the order and such date may be prior to the date of such order, so however, that in cases of misuse of breach, the cancellation of eligibility certificate shall have effect not before the date of such misuse or breach;

Provided that no order under this section shall be passed without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

(14) The moratorium shall cease and the total amount shall become payable—

- (a) on the date on which the dealer discontinues business; or
- (b) on the date on which the dealer violates any of the conditions subject to which eligibility certificate has been granted; or
- (c) on the date on which the order of cancellation of certificate of eligibility under sub-section (13) is served on the dealer,

and the amount shall be paid in lump sum within three months of its becoming payable.

(15) When any dealer fails to pay the amount due under the provisions of sub-section (7) or sub-section (14) of this section within the time specified therein, he shall, notwithstanding his liability under section 58 be liable to pay interest at the rate of fifteen percent per annum for the period of default:

Provided that no penalty under this sub-section shall be levied without giving the dealer an opportunity of being heard.

(16) If there is discontinuation of business, within the meaning of clause (e) of sub-section (7) of section 3, of the manufacturer who was eligible for exemption from or reduction in rate of tax under this section, and if he is succeeded by another manufacture by means of sale, license, contract, lease, managing agency or in any other manner, such successor manufacturer may, subject to the provisions of sub-section (13), apply to the officer competent to grant eligibility certificate, within sixty days of such succession, for the grant of facility under this section for the unexpired portion of the period for which the facility was or could be granted to the former manufacture:

Provided that the aforesaid officer may, in its discretion and for adequate and sufficient reasons to be recorded in writing, entertain an application moved within six months of the date of the expiration of the period specified in this sub-section;

Provided further that such manufacture and successor manufacturer for the purpose of liability of tax shall be treated as the transferor and transferee under sub-section (4) of section 9;

Provided also that in computing the unexpired portion of the period, the period during which the production of successor manufacturer remains closed on account of an order passed by any Court or Board for Industrial and Financial Reconstruction or Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction shall be excluded.

(17) The State Government may, by notification in the Gazette, withdraw this facility of moratorium for payment of tax under this section, where it is of the opinion that it is no longer in public interest:

Provided that this facility shall not be withdrawn retrospectively.

Explanation--The expression "new unit" and "unit which has undertaken expansion, diversification, modernization or backward integration" and "eligibility certificate" shall have the same meanings as are assigned to them under section 4-A of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002.

77. Facility for Sick Industrial Units:

(1) Notwithstanding anything contained in section 34 and section 75, but subject to such conditions as may be deemed fit to be imposed, the State Government may allow the deferment of payment of any existing or future dues payable by an industrial unit under the provisions of this Act or allow payment of such dues in such number of instalments as may be specified, if such industrial unit is declared a sick unit in accordance with the guidelines specified in this behalf by an authorized body constituted by the Central Government or the State Government in connection with rehabilitation of sick industrial units and is approved for rehabilitation by an approved agency, appointed by the Central Government or the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in section 31, the State Government may set aside an order of assessment or penalty passed ex-parte against a sick unit and direct fresh disposal of the case in accordance with law.

78. Power to collect Statistics:

(1) If the Commissioner considers that for the purpose of better administration of this Act it is necessary so to do, it may, by issuing a circular and or by publication in the News Paper or by notification in the Gazette, direct that statistics be collected relating to any matter dealt with, by or under this Act.

(2) Upon such direction being made, the Commissioner or any person authorised by it in this behalf, call upon all dealers or class of dealers or a particular dealer to furnish such information or returns or statements as may be stated therein relating to any matter in respect of which statistics are to be collected.

(3) Dealer or dealers shall be liable to furnish such information within the time allowed.

79. Power to remove difficulties:

(1) Where any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, make such orders not inconsistent with this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of three years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the State Legislative Assembly may during said period make. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said notification or annulment.

CHAPTER--XI**TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL AND SAVINGS****80. Transitional Provisions:**

In particular and without prejudice to the generality of the provisions of Repeal and Saving under section 81 of this Act, the transitional provisions under this section shall include--

(1) Any person appointed as the Commissioner, Additional Commissioner, Additional Commissioner Grade-I, Additional Commissioner Grade-II, Joint Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, Trade Tax Officer Grade-II, or any person appointed to assist the Commissioner, under the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 (referred to as the Repealed Act) or, as the case may be, under the Uttaranchal Value Added Tax Ordinance, 2005 (referred to as the Repealed Ordinance) and continuing in office immediately before the date of commencement of this Act shall, on and from such date, be deemed to have been appointed under this Act and shall continue in office as such till such person holds such office in the Commercial Tax Department and such officer shall exercise the powers vested in and perform the duties cast under this Act, rules made or notifications issued thereunder;

(2) Any person appointed as President or Member of Appeal Tribunal under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and continuing in office immediately before commencement of this Act shall, on and from such date, be deemed to have been appointed under this Act and shall continue in office as such till such person holds such office in Appeal Tribunal and such officer shall exercise the powers vested in him and perform the duties cast under this Act, Rules made or Notifications issued thereunder;

(3) All rules, regulations, notifications or orders made or directions issued by the State Government or any orders or directions issued by the Commissioner under any provisions of the repealed Act or as the case may be, the Repealed Ordinance, or rules made thereunder, and continuing to be in force on the day immediately before the date of commencement of this Act shall continue to be in force on or after such date in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder until they are repealed or amended;

- (4) Any order by the Commissioner delegating any power under the Repealed Act or as the case may be, the Repealed Ordinance, or the rules made thereunder, to any person appointed, by any designation, to assist him before the date of commencement of this Act shall, on and from such date, continue to be in force after the commencement of this Act;
- (5) With effect from the date of commencement of this Act liability of payment of tax on sale or purchase of any goods made on or after such date under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall cease;
- (6) Any tax assessed or penalty imposed under the repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, in respect of sales or purchases made thereunder before the date of commencement of this Act, shall be payable or recoverable in accordance with the provisions of this Act. The amount of interest payable for the period before the date of commencement of this Act shall be paid and recovered according to the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and for the period starting on or after such date shall be paid and be recovered in accordance with the provisions of this Act;
- (7) Where period of any return relates partly to the period before the date of commencement of this Act, separate returns for period before such date and the period commencing from such date shall be submitted separately;
- (8) Any dealer, whose accounts, registers or documents have been seized under the repealed Act, or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall continue to be retained in accordance with the provisions of this Act on or after the date of commencement of this Act;
- (9) All forms of declarations or certificates under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, or the rules made thereunder and continuing to be in force on the day immediately before the date of commencement of this Act, as are in conformity with any provisions of this Act, shall, with effect from such date, continue to be in force and may be used by the dealer or other person of the purpose for which they were being used before such date until the State Government directs, by notification, the discontinuance of the use of such forms or certificates;
- (10) Any form of declaration or certificate prescribed under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, or the Rules made or notifications issued thereunder, as are not in conformity with any provisions of this Act and remaining unused with any dealer or any person, shall be returned, if not already done under the provisions of the Repealed Ordinance, to the assessing authority from whom the same were received within a period of sixty days from the date of commencement of this Act;
- (11) Any application for the form of declaration or certificate for the transport of goods into the State, pending on the day immediately before the date of commencement of this Act, shall be deemed to have been made under this Act and shall be disposed of in accordance with the provisions of this Act;
- (12) The following proceedings under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, pending on the date of commencement of this Act or those which may arise as a result of any proceeding under the provisions of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance shall be disposed of in accordance with the provisions under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, within the time prescribed in this Act--

- (a) any application for grant of registration or grant of recognition certificate or for grant of eligibility certificate,
- (b) any case of assessment or reassessment,
- (c) any case of appeal, revision, reference or review,
- (d) any case in which any officer or authority has been directed by any Court or authority to make fresh order,
- (e) any case pending before Commissioner under sub-section (3) of Section 4-A of the repealed Act or, as the case may be, the relevant provisions of the Repealed Ordinance,
- (f) any case of rectification of mistakes on records in any order,
- (g) any case of penalty or prosecution against offences,
- (h) any case of seizure,
- (i) any application to set aside any assessment order passed ex-parte,
- (j) any other case,
- (k) any other application;

(13) Subject to the provisions of sub-section (14) and sub-section (15) of this section, any exemption from payment of tax or any concession in payment of tax or concession or reduction in rate of tax or any rebate or reimbursement in respect of any sale or purchase of any goods granted under any provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance or Rules made or notifications issued thereunder, shall not be admissible in respect of purchase or sale of any goods on or after the date of commencement of this Act unless the State Government has already allowed such facility to continue under the relevant provisions of the Repealed Ordinance, and in such case the facility shall continue until repealed or amended by the State Government;

(14) Where any industrial unit has been granted moratorium for payment of tax under sub-section (2-A) of section 8 of the Repealed Act or, as the case may be, under the relevant provisions of the Repealed Ordinance, before the date of commencement of this Act or who may be granted moratorium subsequently under the provisions of section 76 of this Act and who would have been so eligible on such date under that Act if this Act would not have come into force, the Commissioner may, subject to the provisions of this Act, allow moratorium for payment of tax payable by him under this Act, for the remaining unexpired period as per provisions of section 76 of this Act and subject to such conditions and restrictions as the State Government may specify;

(15) Any exemption from or any concession in payment of tax or concession or reduction of tax in respect of any sale or purchase of any goods granted to any industrial unit under provisions of section 4-A of the repealed Act or, such facility allowed under the relevant provisions of Repealed Ordinance, shall continue for the remaining unexpired period as per provisions of section 76 of this Act and subject to such conditions and restrictions as the State Government may specify;

(16) Where any recovery proceedings in respect of realization of any amount due from a dealer or any other person under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, have been initiated before the date of commencement of this Act, they shall, on commencement of this Act, continue from the stage at which the same were pending;

(17) In respect of defaults made or offences committed before the date of commencement of this

Act by a dealer or any other person, proceedings for penalty or prosecution shall be made in accordance with the provisions under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and in respect of defaults made or offences committed on or after the date of commencement of this Act, proceedings for penalty or prosecution shall be made in accordance with the provisions of this Act. Where default is of continuing nature and continues on or after such date proceedings for penalty or prosecution shall be made in accordance with the provisions of this Act;

(18) If any amount of tax or penalty or fee deposited by or recovered from the dealer or any other person under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, Repealed Ordinance is found in excess of the amount of tax or penalty or fee payable, it shall first be adjusted towards any amount outstanding against such dealer or person either under the Repealed Act or under the Repealed Ordinance or under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, and remaining amount if any, shall be refunded to such dealer or person in accordance with the provisions of this Act. Interest, if payable, shall be paid in accordance with the provisions of this Act;

(19) Any dealer who was a registered dealer under the repealed Act but has not remained liable to obtain registration under the provisions of this Act and if he does not desire to remain registered voluntarily, he shall if not already done under the provisions of Repealed Ordinance, surrender registration certificate granted to him under the Repealed Act within a period of one month from the date of commencement of this Act alongwith all forms of declarations or certificates, if any, remaining unused with him;

(20) Where a part of the period under any scheme of payment of lump sum in lieu of tax under the provisions of section 7-D of the Repealed Act or, as the case may be, the relevant provisions of Repealed Ordinance, expires on or after the date of commencement of this Act, it shall be deemed to be valid under this Act upto the end of the financial year in which the date of commencement of this Act falls, unless the State Government makes an order otherwise;

(21) Any security or additional security furnished under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall be deemed valid for the purposes under this Act as well as for the purposes of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance:

Provided that nothing contained in this sub-section shall preclude the assessing authority from demanding any security or additional security from the dealer registered under this Act;

(22) Every dealer who has been registered under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance and continues to be liable to registration under the provisions of this Act and the same is valid on the date of commencement of this Act, shall be deemed to be a registered dealer under this Act;

(23) Every dealer who has been a registered dealer under the Repealed Act and is not liable to registration in view of the turnover limits under this Act, and has not already applied for and/or granted voluntry registration, but he desires to retain registration and makes an application for this purpose, he may be granted voluntary registration under this Act and shall be deemed to be a registered dealer under this Act;

(24) Every dealer who has been granted Recognition Certificate under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and the same is valid on the date of commencement of this Act, shall be deemed to be a Recognised dealer under this Act;

(25) In case of any stock in hand on the date of commencement of this Act which has suffered tax at the stage of its purchases, input tax credit shall be allowed in respect of such goods subject to such restrictions and conditions as are prescribed under the provisions of this Act.

81. Repeal and Savings:

(1) The Uttaranchal (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and the Uttaranchal Value Added Tax Ordinance, 2005 are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred thereunder and subject thereto, any thing done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate, license or permit in exercise of any power conferred by or under the said Act or, as the case may be, the relevant provision of the said Ordinance, shall be valid and always be deemed to have been valid during the period that was in force notwithstanding the repeal of the Act.

(2) The Repeal shall not--

- (a) revive anything not in force or existing at the time the repeal takes effect,
- (b) affect the previous operation of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance or any thing done or suffered hereunder,
- (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance,
- (d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed under the provisions of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance,
- (e) affect any investigation, enquiry, assessment proceeding, any other legal proceeding or remedy instituted, continued or enforced under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance,

and any such penalty, forfeiture or punishment as aforesaid or any proceeding or remedy instituted, continued, or enforced under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall be deemed to be instituted, continued or enforced under the corresponding provisions of this Act.

(3) All rules made and notifications issued under the provisions of Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and/or the Rules made thereunder and in force on the date of the commencement of this Act, shall remain in force unless such rules and notifications are superseded in express terms or by necessary implication by the provisions of this Act or the rules made and notifications issued thereunder.

(4) Any reference to any Section of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, in any rule, notification, regulation or circular shall be deemed to refer to the relevant corresponding section of this Act, until necessary amendments are made in such rule, notification, regulation or circular.

(5) The limitations provided in this Act shall apply prospectively, and all events occurred and all issues arisen prior to the commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance.

(6) Notwithstanding the repeal of the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance--

(a) any action or proceedings relating to the period prior to the commencement of this Act already initiated under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, shall validly be continued under the provisions of this Act;

(b) any tax, fee, penalty, interest or other amount payable by any person under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, for any period before the commencement of this Act, shall be paid and collected in the manner prescribed under the provisions of this Act as if this Act was in force during that period.

(7) All arrears of tax, interest, penalty, fee or other amount due at the commencement of this Act, whether assessed or levied before such commencement or assessed or levied after such commencement, may be recovered as if such tax, penalty, interest, fee or other amount were assessed or levied under the provisions of this Act and all methods of recovery including levy of interest, penalty or prosecution provided under this Act, shall apply to such arrears as if such amount were assessed, levied and demanded under this Act.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any application, appeal, revision or other proceeding made or preferred to any authority under the Repealed Act or, as the case may be, the Repealed Ordinance, and pending at the commencement of this Act, shall, after such commencement, be transferred to and disposed of by the officer or authority who would have had jurisdiction to entertain such application, appeal, revision or other proceedings under this Act as if it had been in force on the date on which such application, appeal, revision or other proceeding was made or preferred.

SCHEDULE--I

[See clause (a) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

No tax under this Act shall be payable on the sale or purchase of the goods specified in this Schedule:

Sl. No.	Description of Goods
1	2
1.	Agricultural implements manually operated or animal driven or tractor driven and cart driven by animal
2.	Aids and implements used by handicapped persons
3.	All types of footwears priced for Rs. 300/- or less
4.	Aquatic feed, poultry feed, cattle feed and cattle fodder including green fodder, chunni, bhusi, chhilka, chokar, javi, gower, husk of pulses deoiled rice polish, deoiled rice bran, deoiled rice husk, deoiled paddy husk or outer covering of paddy and aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives, wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake, rice polish, rice bran, rice husk
5.	Bamboo, bamboo matting and basket made of bamboo
6.	Bangles of all kinds except those made of precious metals, and Kumkum, bindi, alta and sindur

1	2
7.	Beehive and honey
8.	Betel leaves
9.	Biomass briquettes
10.	Books, periodicals and journals including maps, charts and globes
11.	Bread of all types other than pizza bread and buns and rusks
12.	Broom sticks muddhas made of sarkanda, phool, bahari jharoo
13.	Chalk sticks
14.	Charkha, Ambar Charkha, handlooms
15.	Chiwra, laya (murmura), lava (kheel), poha, sattu and parched, fried and roasted gram
16.	Certified organic cereals and pulses
17.	Coarse grains excluding paddy, rice and wheat, but including kutu, ramdana, singhara (whether fresh, dried or boiled), kutu flour and singhara flour
18.	Condoms and contraceptives
19.	Cotton and silk yarn in hanks
20.	Drip irrigation system and Sprinkler irrigation system and parts thereof
21.	Earthen pot and all other goods of clay manufactured by potterer
22.	Electrical energy
23.	Fishnet and fishnet fabrics, and fish seeds, prawn/shrimp seeds
24.	Fresh fruits and vegetables including garlic and ginger, fresh fruit juice and fruit shakes like mango shake
25.	Fresh milk, pasteurised milk, butter milk, separated milk, curd and lussi
26.	Fesh plants, saplings and fresh flowers
27.	Food grains and other goods excluding Kerosene oil sold through Public Distribution System
28.	Gur including gur-shakkar, jaggery powder, gur-lauta, gur-raskat and palmyra-gur and edible variety of raab gur
29.	Handloom fabrics of all kinds, whether plain, printed, dyed or embroidered, including dhotis, sarees, bed-sheets, bed-covers, chaddars, table cloth, pillow covers, handkerchieves, scarfs, napkins, dusters, lois, lihafs, jholas, hemmed and fringed towels, orhanis and duggas made out of handloom cloth or woolen blankets and rugs manufactured on handloom and Gandhi topi
30.	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari buti, dry flower and aromatic plant and grasses including herbs of organic solvent oil
31.	(i) Human blood, blood plasma, red cells and platelets; (ii) Equipments and consumables used in blood banks for blood collection, apheresis procedure and blood processing including component formation
32.	Incense sticks commonly known as aggarbatti dhoop kathi or dhoop batti and Havan Samagri including sambrani and lobhana
33.	Indigenous hand made musical instruments
34.	Kerosene lamp/lantern, petromax, glass chimney

1	2
35.	Khadi garments/goods and made-ups as may be notified by the Government
36.	Kripan used by Sikhs and Gorkhali Khukhri
37.	Leaf plates and cups pressed or stitched
38.	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen or processed or tinned and eggs, poultry and livestock
39.	National flag
40.	Newar, baan and baan rassi
41.	Non judicial stamp paper sold by Government Treasuries; postal items like envelope, post card etc. sold by Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India; and cheques, loose or in book form
42.	Organic manure, Bio-fertilizers, Bio-micronutrients and plant growth promoters and regulators, herbicides, rodenticide, insecticides, weedicides and pesticides
43.	Paper, kachri, sewaiya, mangawri, bari and soyabeen bari (excluding soyabeen bari sold in airtight packets)
44.	Potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers-- (1) D.A.P. (18:46:0) (2) M.O.P. (3) S.S.P. (4) N.P.K. (12:32:6/20:0/15:5:15/23:23:0/14:35:4/20:20:10/15:15:7.5/10:10:10/12:6:0/16:09:0)
45.	Prasamdham sold by religious institutions
46.	Rakhi
47.	Raw wool
48.	Religious pictures not for use as calendar or publicity material and idols made of clay
49.	Renewable Energy devices and spare parts
50.	Sacred thread, commonly known as yagyopavit and Rudrakash, Rudrakash mala and Tulsi kanthi-mala
51.	Salt (branded or otherwise)
52.	Seeds of all kinds other than oil seeds
53.	Semen including frozen semen of animals
54.	Silk worm laying cocoon and raw silk
55.	Slate (excluding writing boards), slate pencils and takhti
56.	Sugar on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957
57.	Textile on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, but excluding bed-sheets, pillow cover and other made-ups, and imported varieties of textiles
58.	Tobacco on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, including Biri, Cigarette and Cigar but excluding Gutka and imported varieties of Tobakhu
59.	Unprocessed green tea leaves
60.	Water other than—(i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water, and (ii) water sold in sealed container

SCHEDULE II--(A)

[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Tax shall be payable on the goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate of One percent :

Sl. No.	Description of Goods
1	2
1.	Gold, silver, platinum and other precious metals
2.	Articles of gold, silver, platinum and other precious metals including jewellery made from gold, silver, platinum and other precious metals
3.	Precious and semi-precious stones

SCHEDULE--II (B)

[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Tax shall be payable on the goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate of Four percent :

Sl. No.	Description of Goods
1	2
1.	Acids
2.	Agricultural implements not operated manually or not driven by animal or not driven by tractor
3.	All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P.B.X.) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X.), teleprinters, wireless equipments and parts thereof
4.	All intangible goods like copyright, patent, replicense etc.
5.	All metal castings
6.	All processed and preserved vegetables, vegetable mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks and fruit juices and achar (whether in sealed containers or otherwise)
7.	All types of yarn including polyester fibre yarn and staple fibre yarn, other than cotton and silk yarn in hank, and sewing thread
8.	All utensils (including pressure cookers/pans), buckets and containers made Aluminium, iron and steel, plastic and other materials except precious metals and enamelled utensils
9.	Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bag made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from recycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags
10.	Aluminium, Aluminium alloy, their products (excluding extrusions)
11.	Aluminium Conductor Steel Reinforced (A.C.S.R.)
12.	Arecanut powder and betel nut
13.	Atta, Maida, suji, besan, dalia.
14.	Bagasse
15.	Basic chromium sulphate, sodium bi-chromate
16.	Bearings
17.	Bed sheet, pillow cover and other made-ups
18.	Beltings of all varieties and descriptions

1

2

19. Bicycles, tricycles, cycle rickshaws and parts, tyres, tubes thereof
20. Bitumen
21. Bone meal
22. Candles
23. Castor oil
24. Caustic soda, caustic potash, soda ash
25. Centrifugal and monoblock submersible pump sets and parts thereof
26. Charcoal
27. Chemical fertilizers, Micronutrients and plant growth promoters and regulators, herbicides, rodenticide, insecticides, weedicides and pesticides
28. Clay including fire clay, fine china clay and ball clay
29. Coconut fiber
30. Coconut in shell and separated kernel of coconut, and tender green coconut
31. ~~Coffee beans and seeds, cocoa pod, green tea leaf and chicory~~
32. Coir and coir products excluding coir mattress
33. Combs
34. Computer stationery
35. Cooked food
36. Cottage cheese and paneer
37. Cotton and cotton waste
38. Crucibles
39. Cups, glasses and plates of paper and plastics
40. Declared Goods as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 except coarse gain
41. Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani) including vaccines, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license and light liquid paraffin of IP grade
42. Dyes, Acid dyes, Basic dyes
43. Edible oils
44. Embroidery or zari articles, that is to say- (i) imi; (ii) zari; (iii) kasb; (iv) saima; (v) dabka; (vi) chumki; (vii) gota; (viii) sitara; (ix) naqsi; (x) kora; (xi) glass bead; (xii) glzal; (xiii) embroidery machines; (xiv) embroidery needles
45. Exercise book, graph book and laboratory note book
46. Feeding bottles, nipples
47. Ferrous and non ferrous metals and alloys; non metals such as aluminium, copper, zinc and extrusion of those
48. Fibres of all types and fibre waste
49. Fire wood
50. Glucose-D
51. Hand pumps, parts and fittings
52. Hing (Asafoetida)
53. Hose pipes and fittings thereof
54. Hosiery goods

1	2
55.	Husk and bran of cereals
56.	Husk including groundnut husk
57.	Ice
58.	Imitation jewellery
59.	Industrial cables (high voltage cables, XLPE Cables, jelly field cables, optical fiberables)
60.	Insulators
61.	IT products as specified below--
	(i) Word processing machines, electronics typewriters
	(ii) Micro phones, multimedia speakers, head phones etc.
	(iii) Telephone answering machines
	(iv) Prepared unrecorded media for sound recording
	(v) Prepared recorded media for sound recording
	(vi) IT software or any media
	(vii) Transmission apparatus other than apparatus for radio or TV broadcasting
	(viii) Radio communication receivers, Radio Pagers
	(ix) Aerials, Antennas and parts
	(x) LCD panels, LED panels and parts
	(xi) Electrical capacitors, fixed, variable and parts
	(xii) Electronic calculators
	(xiii) Electrical resistors
	(xiv) Printed circuits
	(xv) Switches, connectors, Relays for up to 5 amps
	(xvi) Data/Graphic Display tubes, other than picture tubes, and parts
	(xvii) Diodes, transistors and similar semi-conductor devices
	(xviii) Electronic integrated circuits and Micro-assemblies
	(xix) Signal Generators and parts
	(xx) Optical fiber cables
	(xxi) Optical fiber and optical fiber bundles, cables
	(xxii) Liquid Crystal devices, flat panel display devices and parts
	(xxiii) Computer systems and peripherals, Electronic diaries
	(xxiv) Cathode ray oscilloscopes, Spectrum analysers, Signal analysers
	(xxv) Parts and accessories of HSN 84.69,84.70 & 84.71
	(xxvi) D C Micromotors; stepper motors of 37.5 watts.
	(xxvii) Parts of HSN 85.01

- (xxviii) Uninterrupted power supply
 (xxix) Permanent magnets and articles
 (xxx) Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy
 (xxxi) Cell phones
 (xxxii) DVD and CD
62. Katha
 63. Khandsari
 64. Khoya/khoa
 65. Knitting wool
 66. Lignite
 67. Lime, lime stone, clinker and dolomite and other white washing materials
 68. Liner alkyl benzene, L.A. B. sulphonic Acid, Alpha Olefin sulphonate
 69. Liquid product of cellulose, commonly known as L.P.C., and liquid product of earthen waste
 70. Loose biscuits
 71. Maize starch, maize gluten, maize germ and oil
 72. Medical equipment/devices and implants
 73. Mixed PVC stabilizer
 74. Non-mechanized boats used by fisherman for fishing
 75. Nuts, bolts, screws and nails fasteners
 76. Oil cake
 77. Oil seeds
 78. Ores and minerals excluding minor minerals
 79. Paper including news prints and paper board
 80. Paraffin wax
 81. Pipes of all varieties including G.I. Pipes, C.I. Pipes, ductile pipe and PVC pipes and fittings thereof
 82. Pizza bread
 83. Plastic granules, plastic powder and master batches
 84. Porridge
 85. Printed material including diary, calendar etc.
 86. Printing ink excluding toner and cartridges
 87. Processed meat, poultry, fish, prawn and other aquatic products
 88. Pulp of bamboo, wood and paper
 89. Railway wagons, engines, coaches and parts thereof
 90. Readymade garments

1	2
91.	Refractory monolithic
92.	Rice, wheat, pulses and paddy
93.	Rice bran, rice polish and rice husk excluding deoiled rice bran, deoiled rice polish and deoiled rice husk
94.	River sand and grit excluding (a) boulders and (b) grit and sand manufactured by stone crushers
95.	Resin
96.	Rubber, raw rubber, latex, dry ribbed
97.	Sawai grass and rope
98.	Safety matches
99.	Sewing machines, its parts and accessories
100.	Ship and other water vessels
101.	Silk fabrics excluding handloom silk unless covered by Additional Excise Duty
102.	Skimmed milk powder and UHT milk
103.	Solvent oils other than organic solvent oil
104.	Spectacles, parts and components thereof, contact lens and lens cleaner
105.	Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric and dry chillies and dry fruits
106.	Sports goods excluding apparels and footwear
107.	Stainless steel sheets not falling under declared goods
108.	Starch
109.	Sweetmeat, rewari, gajak and sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc. and namkeen when unpacked
110.	Tamarind seed and powder
111.	Tea
112.	Toddy, neera and arak
113.	Tools
114.	Toys excluding electronic toys
115.	Tractors, threshers, harvesters, power tillers, trolley and attachment and parts thereof
116.	Transmission towers
117.	Umbrella except garden umbrella
118.	Used motor vehicle
119.	Vanaspati (hydrogenated vegetable oil)
120.	Vegetable oil including gingili oil and bran oil
121.	Wet dates and nariyal
122.	Wooden crates
123.	Wooden loi, pattu, gabba, shawl and blanket
124.	Writing ink
125.	Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus
126.	Zip fastener, zip roll and components thereof

SCHEDULE--II (C)

[See sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Tax shall be payable on goods specified in this Schedule at every point of sale at the rate specified against each in column 3 :

Sl.No.	Description of goods	Rate of tax Percentage
1	2	3
1.	Lottery tickets	32.5%
2.	Molasses	20%

SCHEDULE--III

[See sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Tax shall be payable on Special Category Goods specified in this Schedule at the point of sale specified in column 3 at the rate specified against each in column 4 :

M stands for Sale by the Manufacturer in Uttaranchal.

I stands for Sale by the Importer in Uttaranchal.

Sl.No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax Percentage
1	2	3	4
1.	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors	M or I	32.5%
	(b) Country liquors		Exempt
2.	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	25%
3.	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	21%
4.	Aviation Turbine Fuel	M or I	20%
5.	Natural gas	M or I	20%
6.	Kerosene Oil	M or I	12.5%
7.	Bio-fuels mixed with petrol or mixed with diesel where contents of Bio-fuel is not less than 5%	M or I	12.5%

SCHEDULE-IV

[See clause (c) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Sale of any goods to or by the dealers/persons specified in column 2 of this Schedule shall be exempt from whole or any part of the tax as specified in column 3, subject to the conditions, if any, specified in column 4 thereof :

Sl. No.	Description of Dealers/ Persons	Exemption		Conditions, if any
		Kind of exemption	Extent of exemption	
1	2	3(a)	3(b)	4
	<p>Sales to or purchases and sales by Canteens Stores Department/ Military Canteen of all goods, other than those specified below :-</p> <p>(1) Arms including rifles, revolvers, pistols, parts and accessories thereof and ammunition for the same, but excluding Khukhri, Bhalā, Chhura and Talwar and ammunition for 12 bore shotguns.</p> <p>(2) All electrical goods, instruments, apparatus, appliances and all such articles the use of which cannot be had except with the application of electrical energy, including electrical earthenware and porcelain electrical equipments, plants and their accessories required for generation, distribution and transmission of electrical energy, electric motors and parts thereof, and all other accessories and component parts, whether sold as a whole or in parts, but excluding fans, lighting bulbs, fluorescent tubes (including their starters, chokes, fixture, fittings and accessories), torches, torch bulbs, torch cells, dry cell batteries, iron, toaster, kettle, mixi-cum-grinder and oven.</p> <p>(3) Bhang, Ganja, Opium and Charas.</p> <p>(4) Binoculars, telescopes and opera glasses and components, parts and accessories thereof.</p>	<p>Sale to or purchase and Sale by</p>	<p>Exempt</p>	<p>On condition that it is certified by an officer not below the rank of Commanding Officer that the goods are meant for being sold to members of the Armed Forces of India/ other defence establishments/Ex-servicemen</p>

1	2	3(a)	3(b)	4
	<p>(5) Carpets of all kinds including namdas but excluding cotton carpets and pile darries.</p> <p>(6) Chassis of motor vehicles and bodies or tankers or motor caravans built or meant for mounting on chassis.</p> <p>(7) Cinematographic equipment including cameras, projectors, and sound recording and reproducing equipment, lenses, films and filmstrips, and cinema arc carbons, cinema slides, raw films and components, parts and accessories required for use therewith.</p> <p>(8) Métal safes, cash boxes and almirahs, other than almirahs costing not more than Rs. 1,200/-, all kinds of metal furniture, whether sold in assembled or unassembled form, parts of metal furniture, furniture made from fibre glass, reinforced plastics or made primarily from any kind of plastics, upholstered furniture and furniture in the manufacture of which laminated sheets are used.</p> <p>(9) Sheets, cushions, pillows, mattresses and other articles made from foam rubber, plastic foam or other synthetic foam or fibre foam or rubberised coir.</p> <p>(10) Motor trucks, motor buses, motor cycle combinations, motor cars, jeeps and other motor vehicles, including motor cycles, motor scooters and motorettes (mopeds).</p> <p>(11) Office machines and apparatuses including tabulating, calculating, duplicating cash registering, cheque writing, accounting, statistical, indexing, card-punching, franking and addressing machiens and typewriters, computers (including Central Processing Unit</p>			

1	2	3(a)	3(b)	4
	<p>and peripheral devices), teleprinters and auxillary machines, components, parts, and accessories of such office machines and apparatuses.</p> <p>(12) Photographic enlargers, lenses, papers, plates and cloth, and components, parts and accessories thereof.</p> <p>(13) Refrigeration and air-conditioning plants and all kinds of refrigerating appliances and equipment, including refrigerators, deep-freezers, mechanical water coolers, room coolers, air-conditioners, air-coolers, bottle-coolers, walk-in-coolers, and components, parts and accessories thereof and refrigeration materials including polystyrene foam.</p> <p>(14) Tyres and tubes and parts and accessories of motor vehicles, other than tyres and tubes of motor cycles, motor scooters and motorettes (mopeds).</p> <p>(15) (a) Wireless transmission and reception equipments, instruments and apparatuses, including transistor radios, other radios and components, parts and accessories thereof such as transistors and electrical valves, but excluding transistor radios, other radios and accumulators, costing less than Rs. 1,200/-;</p>			

1	2	3(a)	3(b)	4
	<p>(b) Sound transmitting equipment, instruments and apparatuses including telephones, intercom devices and loudspeakers, all amplifying equipments used with audio, video and electronic equipments but excluding sound amplifying and transmitting apparatuses carried on the person and specifically meant for use in hearing aids, and components, parts and accessories of such equipments, instruments and apparatuses;</p> <p>(c) Sound recording equipments instruments and apparatuses such as dictaphones, cassette machines, and components, parts and accessories thereof excluding tape recorders and recording cassette and reel tapes;</p> <p>(d) Other audio, video and electronic equipments, instruments and appliances including television receiving sets, television cameras and transmitting equipments, record players and changers whether without speakers or with built-in speakers, gramophones, gramophone records, radio gramophones and combinations of two or more audio or video equipments such as radios, cassettes, record players, television and the like, and components parts and accessories of such equipments, instruments and appliances.</p>			

SCHEDULE--V

[See clause (e) of sub-section (2) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005]

Any Person or International Organizations specified in column 2 of this Schedule shall be entitled to refund of tax paid by it on the purchase of taxable goods, subject to the conditions, if nay, specified in column 3 thereof :

Sr. No.	Description of Person/Organization	Condition, if any
1	2	3
1.	Ambassadors, High Commissioners and Diplomats of Foreign States in India	
2.	United Nations Organization and its specialized Agencies in Uttaranchal	
3.	United Nations International Children's Emergency Fund	
4.	American Community Emergency Fund for Child Famine Relief	
5.	CARE (Co-operative for American Relief Everywhere)	
6.	OXAM	
7.	(a) The Government of Bhutan, or (b) His Majesty the King of Bhutan, or a Member of Bhutan Royal Family, or (c) Indian Military Training Team Bhutan or Dantak Project, Bhutan or (d) Representative of Indian in Bhutan or the Border Roads Organization, or (e) Any dealer or private individual resident in Bhutan for their use or re-sale in Bhutan	On the conditions that the dealer furnishes to the assessing authority a certificate, duly signed and certified under the official seal by the authorities mentioned below, to the effect that the goods are for export to and use in Bhutan and have actually entered into the Territories of Bhutan-- (i) in the case of sales made to the Government of Bhutan or His Majesty the King of Bhutan or to a Member of Bhutan Royal Family, by Commissioner, Deputy Commissioner or Sub-Divisional Officer of the Government of Bhutan or by the Director, State Trading Corporation of Bhutan, or by the Chief Engineer, Public Works Department, Government of Bhutan, or by the Finance Minister,

1	2	3
		<p>Government of Bhutan;</p> <p>(ii) in the case of sales made to Dantak Project, by the Chief Engineer Dantak or any officer specifically nominated by him for this purpose;</p> <p>(iii) in case of sales made to Indian Military Training Team, the Commandant, IMTRAT or any officer specifically nominated by him for this purpose; and</p> <p>(iv) In respect of any other sales, the Finance Minister, Government of Bhutan or by the Sub-Divisional Officer, Government of Bhutan, Phuntsholing, or by an officer of the office of the Representative of India in Bhutan nominated by the said Representative.</p>

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 मार्च, 2008 ई०
चैत्र 11, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 1314/XXXVI(4)/2008
देहरादून, 31 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 25 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) अधिनियम, 2008
(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 को संशोधित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम किया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 है।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

सामान्य: 2. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, में जहाँ-जहाँ पदनाम "वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी-2" आया है, वहाँ-वहाँ उसके स्थान पर पदनाम "वाणिज्य कर अधिकारी" रख दिया जायेगा।

धारा 2 का

संशोधन:

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की-

(क) वर्तमान उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(9) "कमिश्नर" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर कमिश्नर अभिप्रेत है और इसमें सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर सम्मिलित हैं।"

(ख) वर्तमान उपधारा (25) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(25) "किसी जाँच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी" से वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो ऐसी जाँच चौकी या नाके पर तैनात हो;"

लिखित

1 मूल्य

08

2005)

मूल्य

कर

पर

धारा

कर

राज्य

क्षेत्र

रा

से

री

धारा 4 की
उपधारा (2)
एवं (7) में
खण्ड का
प्रतिस्थापन
/संशोधन:

4.

मूल अधिनियम की धारा 4 की-

(क) उपधारा(2) के खण्ड(च) के बाद निम्न खण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

“(छ) इस्तेमाल किये गये पूँजीगत माल की बिक्री पर, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व के भीतर या, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन की तारीख पर या उसके पश्चात् क्रय किया गया हो, तथा जिसकी खरीद पर, खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर का भुगतान नहीं किया गया है, अनुसूचियों के अनुसार दरों पर कर देय होगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें खरीद के समय इस अधिनियम अथवा निरसित अधिनियम के अधीन इस राज्य में कर का भुगतान किया गया है और उसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा नहीं किया गया है, तो ऐसे माल की बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा।”

(ख) उपधारा (7) के खण्ड (क) की अंतिम लाइन में प्रयुक्त शब्दों “4 प्रतिशत की दर से” के स्थान पर “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से” शब्द रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (7) के खण्ड (क) के परन्तुक में प्रयुक्त "4 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से" शब्द रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (7) के खण्ड (ख) के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्दावली "यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए" के स्थान पर "यदि किसी ब्यौहारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) के खण्ड (ड) की तीसरी लाइन में प्रयुक्त शब्द "विशेष प्रवर्ग के माल" के स्थान पर शब्द "माल" रख दिया जायेगा।

(च) उपधारा (7)के खण्ड (ड) में शब्दावली "तो ऐसा व्यापारी" के बाद प्रयुक्त शब्द "दण्ड स्वरूप" हटा दिये जायेंगे।

धारा 6 की
उपधारा (3),
(6), (7)
एवं (8) के
खण्ड में
संशोधन/
प्रतिस्थापनः

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (घ) तथा खण्ड (ड) में प्रयुक्त शब्दों "कच्चे माल" के स्थान पर "कच्चे माल एवं उपभोज्य भण्डार (कन्ज्यूमेबल्स)" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) के प्रथम तथा द्वितीय दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्दों "4 प्रतिशत से अधिक" के स्थान पर "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक" शब्द रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (6) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "3 माह के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "6 माह के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (6) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख तक क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में विनिर्माता इनपुट टैक्स का लाभ उस वर्ष, जिसमें ऐसे कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख पड़ती है, के बाद दो समान वार्षिक किश्तों में दावा करने का पात्र होगा। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में किसी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे इनपुट टैक्स की कुल धनराशि का अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ होकर दो समान वार्षिक किश्तों में दावा किया जायेगा। वार्षिक किश्तों का दावा, प्रत्येक दो वर्षों में सितम्बर में समाप्त होने वाली अवधि की विवरणी या किसी पश्चात्वर्ती कर अवधि की विवरणी में किया जायेगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल के, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किये गये विक्रय के मामले में, ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा उपरोक्त दो किश्तों के बजाय एक वार्षिक किश्त में किया जायेगा।"

(ङ) उपधारा (7) के खण्ड (क) के उपखण्ड (x) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

गत
T 8

दि
का
दि
ग्य
ये

ब्द

के

“(xi) माल, जो किसी पंजीकृत ब्यौहारी से कय किया गया है, जिसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पित कर या समाधान के रूप में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है।”

(च) उपधारा (8) के वर्तमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ड) अनुसूचि III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग का माल या शीरे के सिवाय माल, जो ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है; या”

(छ) उपधारा (8) के खण्ड (ड) के बाद के दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्द “मद(च)” के स्थान पर शब्द “मद(छ)” रख दिया जायेगा।

(ज) उपधारा (8) के खण्ड (ड) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्दों “4 प्रतिशत से अधिक” के स्थान पर “केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक” शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 20 की

उपधारा (12)

का प्रतिस्थापन:

6.

मूल अधिनियम की धारा 20 की वर्तमान उपधारा (12) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(12) किसी ऐसे ब्यौहारी से, जो केवल धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का कारबार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन विहित किन्हीं प्रपत्रों का उपयोग न करता हो, इस धारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”

जिसने
तेशत से
(2) के
राशि के

लिखित

शीरे के
केग में

प्रयुक्त

दों "4

1956

द रख

न पर

र से

प्रधीन

प्रपत्रों

मपेक्षा

धारा 23 की 7.
उपधारा (3) का
प्रतिस्थापन:

मूल अधिनियम की धारा 23 की वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(3) कर भुगतान के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति अपनी विवरणी के साथ पंजीकृत ब्यौहारियों से किये गये माल-के क्रय जिसके सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया जा रहा है, की सूची तथा पंजीकृत ब्यौहारियों को की गयी बिक्री दर्शाते हुए एक सूची विहित रीति तथा ऐसे विवरणों के साथ दाखिल करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाय।”

धारा 25 की
उपधारा (4)
एवं (8) का
प्रतिस्थापन

8

मूल अधिनियम की धारा 25 की—

(क) वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(4) उपरोक्त उपधारा (3) में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित प्रवर्ग के मामले, जांच के पश्चात् नियमित कर निर्धारण के अर्ध्यधीन होंगे:—

(क) वे मामले, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पांच करोड़ रुपये से अधिक है;

(ख) वे मामले, जिनमें किसी वर्ष में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा पांच लाख रुपये से अधिक है;

(ग) वे मामले, जिनमें किसी वर्ष में वापसी का दावा एक लाख रुपये से अधिक है;

(घ) वे मामले, जो कर अपवंचन के सम्बन्ध में निश्चित आसूचना पर आधारित हैं;

(ङ) वे मामले, जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन स्वतः कर निर्धारण के लिये आच्छादित मामलों में से किसी मानदण्ड या यादृच्छिक (रैण्डम) आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत चयनित किये गये हैं;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छानबीन के लिये मामलों के चयन के मानदण्ड में परिवर्तन कर सकती है।”

(ख) वर्तमान उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(8) कर—सम्परीक्षा (टैक्स ऑडिट):

(क) किसी बात के होते हुए भी कि किसी ब्यौहारी का किसी वर्ष का कर निर्धारण लम्बित है या इस अधिनियम के अधीन, किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उसका कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण किया जा चुका है, ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, उसके अभिलेखों, माल तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की कर—सम्परीक्षा (टैक्स ऑडिट) की जा सकती है।

(ख) कर—सम्परीक्षा, कर—सम्परीक्षा खण्ड (टैक्स ऑडिट विंग) के किसी अधिकारी, जो एडिशनल कमिश्नर से निम्न पद का न हो या कमिश्नर द्वारा अधिकृत विभाग के अन्य अधिकारी/अधिकारियों, जिनमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित

हैं एवं कर-सम्परीक्षा खण्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

(ग) खण्ड (क) के अधीन कर-सम्परीक्षा के प्रयोग हेतु ऐसा/ऐसे अधिकृत अधिकारी दाखिल विवरणी अथवा विवरणियों की शुद्धता तथा इनपुट टैक्स लाभ के दावे सहित विभिन्न दावों की स्वीकार्यता का परीक्षण करेगा/करेंगे।

(घ) कर-सम्परीक्षा के प्रयोजन से ब्यौहारी का चुनाव ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाये, से किया जायेगा।

(ङ) कर-सम्परीक्षा, ब्यौहारी के कार्यालय, कारबार-परिसर या मंडारागार में की जा सकती है। तथापि, सम्परीक्षा करने वाला अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, तो ब्यौहारी से अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर, जो कि नोटिस में विहित रीति से विनिर्दिष्ट हो, उपस्थित होने तथा लेखा बहियां तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा कर सकता है।

(च) कर-सम्परीक्षा करने वाले अधिकारी/अधिकारियों को अधिनियम की धारा 42 के अधीन शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वे लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों में से उद्धरण अथवा नकल ले सकते हैं अथवा लिवा सकते हैं, माल की सूची बना सकते हैं, ऐसी सूचना या विवरण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही हेतु उपयोगी तथा सुसंगत हो।

(छ) ब्यौहारी, कर-सम्परीक्षा दल (ऑडिट पार्टी) को, सम्परीक्षा के दौरान, पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा।

(ज) कर-सम्परीक्षा के पूर्ण हो जाने के बाद, कर-सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को तथा एक प्रति ब्यौहारी को कर-सम्परीक्षा के 15 दिन के भीतर प्रेषित की जायेगी।

(झ) कर निर्धारक प्राधिकारी, सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।"

धारा 34 की

उपधारा (1) एवं

उसके परन्तुक

में संशोधन:

9.

मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) और उसके परन्तुक में उल्लिखित शब्द "30 दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "60 दिन के भीतर" रख दिये जायेंगे।

धारा 36 की

उपधारा (3)

में परन्तुक

का प्रतिस्थापन:

10.

मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु यह कि यदि मामले, जो कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारित मान लिये गये हैं, में कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो रिफण्ड वाउचर, उस विशिष्ट कर

रीक्षा

रीक्षा

प्रति

की

पर,

ही

क

30

त

के

ग

र

निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख, जिसमें विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, की समाप्ति के एक माह के भीतर भेजा जायेगा।”

धारा 37 की

उपधारा (2)

का प्रतिस्थापन: 11.

मूल अधिनियम की धारा 37 की वर्तमान उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा, अनन्तिम वापसी की धनराशि के समतुल्य धनराशि के लिये, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, बैंक गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी गारन्टी या अन्य प्रतिभूति या माल के निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर, कर निर्धारक प्राधिकारी इस धारा एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 30 दिन के अन्दर वापसी योग्य धनराशि की अनन्तिम वापसी ब्यौहारी को देगा। ब्यौहारी अपने द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी या प्रतिभूति को, अन्तिम कर निर्धारण के बाद, अधिक वापसी योग्य धनराशि, यदि कोई हो, के भुगतान की तारीख तक वैध रखेगा;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वापसी योग्य पाई गई धनराशि यदि ब्यौहारी को विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जायेगी तो ब्यौहारी ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।”

धारा 44 की

उपधारा (3)

का निरसन:

12.

मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (3) एतद्वारा निरसित कर दी जायेगी।

धारा 51 की

उपधारा (1)

में संशोधन:

13.

मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा(1) में प्रयुक्त शब्द "30 दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "60 दिन के भीतर" रख दिये जायेंगे।

धारा 58 की

उपधारा (1)

का प्रतिस्थापन:

14.

मूल अधिनियम की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने निम्नलिखित चार्ट के स्तम्भ (1) के किसी खण्ड में उल्लिखित अपराध किया है तो वह ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में उससे सम्बन्धित स्तम्भ-2 में उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
अपराध	अर्थदण्ड
(1) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये उत्तरदायी होते हुए भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिये उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के	(1) प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये, प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया, और प्रथम तीन महीने के पश्चात्, प्रत्येक महीने

<p>अधीन और उनके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक ब्यौहारी के रूप में अपना कारोबार करता है या चालू रखता है;</p>	<p>या उसके भाग के लिये, जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया,</p>
<p>(ii) ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क्रय करता है, पंजीकृत ब्यौहारी न होते हुए भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत ब्यौहारी है या था;</p>	<p>(ii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,</p>
<p>(iii) कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझ कर झूठी पंजीयन संख्या जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है;</p>	<p>(iii) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>
<p>(iv) युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं की है;</p>	<p>(iv) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो,</p>
<p>(v) इस अध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है;</p>	<p>(v) दस हजार रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि,</p>
<p>(vi) अपने आवर्त की विशिष्टियाँ छिपाई हैं अथवा जानबूझ कर ऐसे आवर्त की त्रुटिपूर्ण विशिष्टियाँ प्रस्तुत की हैं;</p>	<p>(vi) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, जो परवर्जित हो जाती,</p>
<p>(vii) युक्तियुक्त कारण के बिना— (क) अधिनियम के अधीन देय कर, विवरणी</p>	<p>(vii) (क) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक</p>

निरसित

30
दिये

स्थान

कि

(1)

तांच

है

हो,

में

<p>प्रस्तुत करने से पूर्व या उताफे साथ जमा नहीं किया है;</p> <p>(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है;</p> <p>(ग) इस अधिनियम के अधीन देय कर से अधिक कर के रूप में वसूली गई धनराशि या ऐसे कर के बदले में कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूली गई धनराशि विवरणी के साथ जमा नहीं किया है;</p>	<p>पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो,</p> <p>(ख) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो,</p> <p>(ग) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से 'कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुना से अधिक न हो,</p>
<p>(viii) ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में धारा 76 के उपबन्धों के अधीन अधिस्थगन स्वीकृत किया गया है, का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट अवधि में करने में असफल रहता है</p>	<p>(viii) देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो,</p>
<p>(ix) किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो;</p>	<p>(ix) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>

(x) धारा 22 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके विक्रय या क्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है;	(x) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुना से अधिक न हो.
(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है;	(xi) पांच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xii) इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि के जमा करने का मिथ्या प्रमाण प्रस्तुत करता है;	(xii) पांच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xiii) विहित रीति से बहियां, लेखे, दस्तावेज नहीं रखता है;	(xiii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xiv) मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है अथवा प्रस्तुत किया है;	(xiv) कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक जो तद्वारा परिवर्जित हो जाती,
(xv) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इनकार करता है अथवा उसमें उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है;	(xv) प्रत्येक व्यक्तिकम के लिये रुपये दो हजार से अनधिक धनराशि,
(xvi) धारा 62 के उपबन्धों के उल्लंघन में सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है;	(xvi) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xvii) किसी बही, दस्तावेज या लेखा बही या किसी	(xvii) रुपये दस हजार से अनधिक

कम्प्यूटर या कम्प्यूटर फ्लॉपी में रखी गयी सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इनकार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रतिलिपियां या प्रिन्ट आउट तैयार करने देने से इनकार करता है;	धनराशि,
(xviii) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना कारोबार स्थल बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है;	(xviii) रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xix) धारा 48 या धारा 49 के उपबन्धों का उल्लंघन करके माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिये दुष्प्रेरित करता है;	(xix) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xx) अपने वाहन को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है अथवा रोकने या खड़ा रखने से इनकार करता है, जब धारा 47 के अधीन स्थापित जांच चौकी या ज्राके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 42 के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय;	(xx) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxi) जैसा कि धारा 50 में विहित है, उसके अनुसार माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है;	(xxi) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना

	धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxii) एक परिववाहक या अग्रेषण अभिकर्ता होते हुये किसी वाहन जो राज्य के बाहर से माल को लाकर राज्य के बाहर ले जाने के लिये निर्वहन करता है, के वाहन चालक या प्रभारी व्यक्ति से कोई माल प्राप्त करता है लेकिन, यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया गया है;	(xxii)अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxiii) एक परिववाहक या अवकेता या वाहन चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति होने की दशा में यह दर्शाते हुये कि माल का गन्तव्य राज्य के बाहर किसी स्थान को है, दस्तावेज तैयार करता है लेकिन निकासी जांच चौकी पर माल के साथ माल के पारगमन के प्राधिकार की प्रतियां प्रस्तुत करने और/या यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन का अधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद माल राज्य के बाहर ले जाया गया है,	(xxiii)अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो.
(xxiv)धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तःक्षेप करता है;	(xxiv)रुपये पच्चीस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxv)धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार बिक्रीबीजक जारी करने में असफल रहता है अथवा बिक्रीबीजक अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियों के साथ जारी करता है अथवा ऐसा बीजक जारी करने के पश्चात् उसको अपनी लेखा बहियों में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहता है;	(xxv)प्रथम व्यतिक्रम के लिये एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिये दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो.

(xxvi)झूठा बिक्रीबीजक, वाउचर या अन्य दस्तावेज जिनको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वे झूठे हैं, जारी करता है;	(xxvi)रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxvii) किसी माल के प्रेषण पर परिवहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालान या अन्तरण-बीजक या परिवहन-मीमा जारी करने में असफल रहता है;	(xxvii)प्रथम व्यतिक्रम के लिये एक सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिये दो सौ रुपये या अन्तर्ग्रस्त कर की दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxviii)कोई मिथ्या बिक्रीबीजक, ऐसे बिक्रीबीजक में दर्शाये गये माल के विक्रय या क्रय किये बिना जारी करता है या प्राप्त करता है;	(xxviii)रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,
(xxix)कोई झूठा या गलत घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके;	(xxix)अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxx)किसी घोषणा का विवरण प्रपत्र, या प्रमाण-पत्र उपयोग करता है जो उसने या उसके कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त नहीं किये हैं;	(xxx)अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो,
(xxxi)किसी घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या	(xxxi)माल के आवर्त को कराधेय मानते हुए, इस पर कर की धनराशि

<p>उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन विधि पूर्ण प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु अन्तरण करता है;</p>	<p>के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और यदि घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया जाता है तो दस हजार रुपये से अनधिक,</p>
<p>(xxxii) राजस्व को हानि पहुंचाने के आशय से किसी ऐसे घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाण-पत्र को प्राप्त करता है या रखता है जिसको कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्राप्त नहीं किया गया है;</p>	<p>(xxxii) माल के आवत को कस्राधेय मानते हुए इस पर कर की धनराशि के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और यदि घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र का प्रपत्र खाली पाया जाता है तो दस हजार रुपये से अनधिक,</p>
<p>(xxxiii) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके किसी कार्य को करने से या उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकाता है;</p>	<p>(xxxiii) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>
<p>(xxxiv) किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भड़काता है या आमन्त्रित करता है या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से</p>	<p>(xxxiv) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,</p>

किसी अवैधानिक सभा जमाव में भाग लेता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकी देता है;	
(xxxv)पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है;	(xxxv)रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि,
(xxxvi)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कार्य करता है।	(xxxvi)रुपये पांच हजार से अनधिक धनराशि,

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनार्थ, कर निर्धारक प्राधिकारी से जाँच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का अधिकारी, या धारा 42 या धारा 43 या दोनों, यथास्थिति, के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है।”

धारा 59 की

उपधारा (10)

का प्रतिस्थापन: 15. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(10) यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी अथवा ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने के लिये दायी है, किसी कर योग्य माल को बिक्री के फलस्वरूप अथवा अन्यथा दूसरे ब्यौहारी को परेषित करता है, तो—

(क) ऐसा ब्यौहारी, बिक्री के अन्यथा, माल के परेषण के मामले में, एक बिक्री बीजक या चालान जारी करेगा, जिसमें परेषणकर्ता तथा परेषती का नाम, पता तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या (प्रभावी तारीख सहित) अंकित किया जायेगा, तथा विक्रय के मामले में, माल का विवरण, मात्रा, परिमाण तथा प्रभारित कर की धनराशि तथा

परेषण के मामले में, माल का अनुमानित मूल्य तथा बिक्री के मामले में, माल का मूल्य अंकित किया जायेगा;

(ख) ऐसा ब्यौहारी, क्रेता अथवा परेषती व्यक्ति को मूल रूप में मूल बिक्री बीजक अथवा, यथास्थिति, चालान जारी करेगा तथा विक्रय के मामले में, बीजक की प्रथम प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की मूल प्रति माल के अभिवहन के दौरान माल के साथ रहेगी तथा विक्रय के मामले में, बीजक की द्वितीय प्रति तथा परेषण के मामले में, चालान की द्वितीय प्रति ब्यौहारी द्वारा अपने लेखों के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी;

(ग) परेषती को सुपुर्द करने के लिए माल को परिवहन करने वाला व्यक्ति, बिक्री बीजक अथवा चालान में वाहन की पंजीयन संख्या अंकित करेगा और ऐसा दस्तावेज परेषती को माल के साथ प्रदान करेगा;

(घ) माल का परेषती ब्यौहारी, ऐसा कोई दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा तथा उसे धारा 61 में निर्धारित अवधि तक के लिये सुरक्षित रखेगा।”

धारा 60 की
उपधारा (2)
के खण्ड (ड)
में संशोधन:

16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) में प्रयुक्त शब्द 'सेवक' के स्थान पर शब्द 'कर्मचारी' रख दिया जायेगा।

धारा 62 का
प्रतिस्थापन:

17. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“(1) जब किसी विशेष वर्ष में, किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त रुपये एक करोड़ या कोई अन्य घनराशि, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, से अधिक हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, उस वर्ष से सम्बन्धित अपने लेखों की सम्परीक्षा अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर से पूर्व किसी लेखाकार से करायेगा और ऐसे सम्परीक्षण की आख्या, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जायें, को उल्लेखित करते हुए, प्राप्त करेगा।

(2) ऐसे ब्यौहारी द्वारा ऐसी कालावधि, जिसके दौरान उपधारा (1) के अनुसार सम्परीक्षा पूरी करने की अपेक्षा की गई है, की समाप्ति के बाद दो माह के भीतर ऐसी रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(3) यदि किसी विशेष वर्ष में किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त चालीस लाख रुपये से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ से अधिक हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी, किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा किसी लेखा परीक्षक(ऑडिटर) द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित अपने लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक सत्यप्रति प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर तक कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु, “लेखाकार” से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में परिभाषित किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और लागत और संकर्म लेखा अधिनियम, 1959 में परिभाषित लागत एकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों के सम्परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार है, भी सम्मिलित है।”

धारा 75 का
प्रतिस्थापन:

18. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 75 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

“75. बकाया माफी एवं किरतें मंजूर करने का अधिकार

(1) राज्य सरकार किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति के कर, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य देयों की बकाया को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये, माफ कर सकती है।

(2) कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, प्रतिभूति देने की शर्तों को सम्मिलित करते हुए ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जैसा उपयुक्त समझा जाये—

(क) राज्य सरकार, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, उतनी मासिक किरतों में, जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है और

(ख) कमिश्नर उसी तरह, ऐसे किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग दो लाख रुपये से अधिक न हो, बकाया हो, बीस से अनधिक उतनी मासिक किरतों में, जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

(3) जहाँ ऐसा ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश के तीस दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिये, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार, पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ देय धनराशि तुरन्त वसूल की जाएगी।”

धारा 76 की 19. मूल अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के स्थान
उपधारा (6) पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-
के खण्ड (ग)

का प्रतिस्थापन:

“(ग) पात्रता प्रमाण-पत्र धारक ऐसे ब्यौहारी से, जो कि पूर्णतः या अंशतः कर मुक्त हो, माल का क्रय करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी, विक्रेता ब्यौहारी के कर बीजक में प्रसारित कर की धनराशि के इनपुट टैक्स लाभ लेने का हकदार होगा और विक्रेता ब्यौहारी, इस प्रयाजन हेतु, बीजक में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा:-

प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि ब्यौहारी पात्रता प्रमाणपत्र संख्या.....
..... दिनांक..... के अनुसार..... की दर से कर में छूट
का हकदार है जिसके अनुसार इस बीजक में छूट की धनराशि.....
..... बनती है।”

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव।

No. 1314/XXXVI(4)/2008

Dated Dehradun, March 31, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 05 of 2008)

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25th March, 2008.

THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX ACT, 2005)

(AMENDMENT) ACT, 2008

(Act No. 05 of 2008)

AN

ACT

to amend The Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Fifty-Ninth year of the Republic of India as follows :-

- Short title and commencement:** 1. (1) This Bill may be called the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Amendment) BILL, 2008.
- (2) It shall come into force at once.
- General:** 2. In the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as the "Principal Act", the designation "Commercial Tax Officer" shall be substituted for the designation "Commercial Tax Officer Grade - II" wherever it occurs therein.
- Amendment of section 2:** 3. In section 2 of the Principal Act-
- (a) for the existing sub-section (9), the following sub-section shall be substituted; namely-
- "(9) "Commissioner" means the Commissioner of Commercial Tax, appointed by the State Government and includes an Additional Commissioner, and a Joint Commissioner of Commercial Tax appointed by the Government;"
- (b) For the existing sub-section (25), the following sub-section shall be substituted, namely-
- "(25) "Officer-in-charge of a check post or barrier" means an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, posted at such check post or barrier;"
- (c) For clause(c) of sub-section (27), the following clause shall be substituted; namely-
- "(c) A company or a corporation or a financial institution or a bank."

**Substitution /
Amendment
of clause in
sub-section
(2) and (7) of
section 4:**

4. In section 4 of the Principal Act-
- (a) In sub-section (2) after clause (f), the following clause (g) shall be inserted, namely-
- "(g) In case of sale of used capital goods, purchased within one year prior to the date of the commencement of this Act or, as the case may be, from the date of registration under this Act, and on the purchase of which no tax has been paid in the State under this Act or under the repealed Act at the time of purchase, the tax shall be payable at the rates as per the Schedules;**
- Provided that in case tax has been paid in the State under this Act or the repealed Act at the time of purchase, and no input Tax Credit in respect thereof has been claimed, no tax shall be payable on such sale."**
- (b) In the last line of clause (a) of sub-section (7), for the words "at the rate of 4%" the words **"at the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956"** shall be substituted.
- (c) In the proviso to clause (a) of sub-section (7) for the words "4%" occurring therein, the words **"the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956"** shall be substituted.
- (d) In the beginning of clause (b) of sub-section (7) for the words "Where a dealer requires any goods, referred to in clause (a) for use by him in the manufacture in the State of any goods" the words **"Where a dealer requires any goods, referred to in clause (a) for use by him for the manufacture of any taxable goods in the State"** shall be substituted.
- (e) For the words "the Special Category Goods" occurring in the third line of clause (e) of sub-section (7), the words **"the goods"** shall be substituted.

- (g)
- (f) In clause (e) of sub-section (7) after the words "such dealer" the words "as penalty" used therein shall be deleted.
- Amendment /** 5. In section 6 of the Principal Act-
- Substitution in**
- clause of**
- sub-section**
- (3), (6), (7)**
- and (8) of**
- section 6:**
- (a) In clause (d) and clause (e) of sub-section (3), for the words "raw material" occurring in the above clause, the words "raw material and consumables" shall be substituted.
- (b) In both the first and second proviso to sub-section (3) for the words "in excess of four percent", occurring therein, the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" shall be substituted.
- (c) In clause (a) of sub-section (6) for the words "after expiry of three months" occurring therein, the words "after expiry of six months" shall be substituted.
- (d) For clause (b) of sub-section (6) the following clause shall be substituted; namely-
- "(b) In respect of purchase of Capital Goods up to the date of commencement of commercial production, a manufacturer shall be eligible to claim the input tax credit, in two equal yearly instalments following the year in which the date of first sale of such taxable goods falls. In case of purchase of Capital Goods after the date of commencement of commercial production, the total amount of such input tax credit for a financial year shall be claimed in two equal yearly instalments commencing from the next financial year. The yearly instalments shall be claimed in the return for the period ending September or in the return of any of the subsequent tax periods in each of the two years;

Provided that the amount of input tax credit in case of goods sold in the course of export out of the territory of India shall

be claimed by the dealer in one yearly instalment instead of two yearly instalments as above."

(e) After sub-clause (x) of clause (a) of sub-section (7), the following sub-clause shall be inserted, namely-

"(xi) goods purchased from a registered dealer who has given an option to pay Presumptive Tax at a percentage of turnover of sales under sub-section (1) of section 7 or a lump sum amount in lieu of tax on sale and / or purchase of such goods by way of composition under sub-section (2) of section 7."

(f) For the existing clause (m) of sub-section (8), the following clause shall be substituted; namely-

"(m) Special Category Goods specified in Schedule-III or the goods except molasses used in manufacture, processing or packing of such goods; or"

(g) In both the provisos after clause (n) of sub-section (8), for the words "item (f)" mentioned therein the words "item (g)" shall be substituted.

(h) In the first proviso of clause (n) of sub-section (8) for the words "in excess of four percent" occurring therein the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" shall be substituted.

Substitution of sub-section (12) of Section 20:

6. For the existing sub-section (12) of section 20 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

(12) "No security under this section shall be required to be furnished by a dealer exclusively dealing in goods exempted from tax under section 4 and not making use of any of the forms prescribed under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956."

Substitution of sub-section (3) of section 23: 7. For the existing sub-section (3) of section 23 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

“(3) Every dealer or a person liable to pay tax shall also submit along with the return a list of purchase from registered dealers of goods in respect of which input tax credit is being claimed and also a list showing sale to the registered dealers, in the prescribed manner containing such particulars as may be prescribed.”

Substitution of sub-section (4) and (8) of section 25: 8. in section 25 of the Principal Act-

(a) For the existing sub-section (4), the following sub-section shall be substituted; namely-

“(4) Notwithstanding any thing contained in sub-section (3) above, the cases of the following categories shall be subjected to regular assessment after scrutiny—

(a) cases in which the gross turnover exceeds five crore rupees in a financial year;

(b) cases in which the claim of input tax credit exceeds five lakh rupees in a year;

(c) cases in which the claim of refund exceeds one lakh rupees in a year;

(d) cases based on definite intelligence about evasion of tax;

(e) cases selected to a maximum of 20% on the basis of any criteria or on random basis from amongst the cases covered under the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) for self assessment;

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, change the criteria for selection of cases for scrutiny.”

(b) For the existing sub-section (8) the following sub-section shall be substituted; namely-

"(8) Tax Audit:

(a) Notwithstanding that the assessment of a dealer for any year is pending or he has been assessed or re-assessed under the provisions of this Act for any assessment year or its part, tax audit of records, stock in trade or related documents of the dealer may be conducted for the purpose to ensure compliance by the dealer with the requirements of the Act.

(b) The tax audit may be conducted by officer(s) posted in the Tax Audit Wing or by other officer(s) of the department including assessing officers so authorized by the Commissioner or by an officer of the Tax Audit Wing not below the rank of an Additional Commissioner.

(c) For the purpose of tax audit under clause (a) the officer(s) so authorized shall examine the correctness of the return or returns filed and admissibility of various claims including input tax credit.

(d) The selection of dealers for the purpose of tax audit shall be in the manner as may be prescribed.

(e) The tax audit may be taken up in the office, business premises or warehouse of the dealer. However, the officer conducting audit may, if he deems it necessary, require the dealer to either attend and produce or cause to be produced the books of accounts and other documents in his office or any other place which may be specified in the notice in the prescribed manner.

(f) The officer(s) conducting the tax audit shall have powers under Section 42 of the Act and may make or

cause to be made extracts or copies from books of accounts and other documents, make inventory of stock, seek such information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding under this Act.

(g) The dealers shall provide full cooperation and assistance to the Audit party during the course of audit.

(h) After the completion of the tax audit the audit report shall be sent to the assessing authority and also to the dealer within 15 days of the tax audit.

(i) The Assessing authority on the basis of the audit report shall initiate necessary proceedings as per the provisions of the Act."

Amendment in
sub-section (1)
and its proviso
of section 34:

9.

In sub-section (1) and its proviso of section 34 of the Principal Act, for the words "within 30 days" the words "within 60 days", shall be substituted.

Substitution
of proviso in
sub-section(3)
of Section 36:

10

In sub-section (3) of section 36 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely-

"Provided that if any amount is found to be refundable in the cases deemed to have been self assessed in accordance with sub-section (3) of section 25, the refund voucher, shall be sent within one month of the expiry of one year from the last date prescribed for filing the annual return relating to the particular assessment year or the actual date, when the return has been filed, whichever is later."

Substitution of
sub-section (2)
of section 37:

11.

For the existing sub-section (2) of section 37 of the Principle Act, the following sub-section shall be substituted, namely-

"(2) The said dealer shall furnish a Bank Guarantee or other security or documentary evidence of export of goods to the satisfaction of the assessing authority for an amount equal to the amount of the provisional refund. On receipt of such

guarantee or other security or documentary evidence of export the assessing authority shall, subject to the provisions of this section and the rules, grant the dealer within thirty days a provisional refund that may be found as refundable. The dealer shall keep the bank guarantee or security furnished by him valid upto the date of recovery of excess amount, if any, after final assessment:

Provided that if the amount found refundable is not refunded to the dealer within the period prescribed, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum."

- Repeal of sub-section(3) of section 44:** 12. Sub-section (3) of section 44 of the Principal Act, is hereby repealed.
- Amendment in sub-section (1) of section 51:** 13. In sub-section (1) of the section 51 of the Principal Act. for the words "within thirty days" used therein the words "within sixty days" shall be substituted.
- Substitution of sub-section (1) of section 58:** 14. For the existing sub-section (1) of section 58 of the Principal Act. the following sub-section shall be substituted; namely-
 "(1) If the assessing authority is satisfied that any dealer or other person has committed the offence mentioned in any clause of column (1) of the following chart it may, after such enquiry as deemed necessary, direct that such dealer or person shall pay, by way of penalty, in addition to the tax, if any, payable by him the amount mentioned in the related column (2), namely-

Column-1	Column-2
Offences	Penalties
(i)being liable for registration under this Act carries on or continues to carry on business as a dealer beyond thirty days from the date on	(i)a sum of rupees two hundred for each month or part thereof for the default during the first three

<p>which he becomes liable to obtain registration, without obtaining registration under and in accordance with the provisions of Section 15 or Section 16 or with out furnishing the security demanded under Section 20;</p>	<p>months and rupees five hundred for every month or part thereof after the first three months during which the default continues;</p>
<p>(ii)not being a registered dealer falsely represents that he is or was a registered dealer at the time when he sells or buys goods;</p>	<p>(ii)a sum not exceeding five thousand rupees,</p>
<p>(iii)knowingly uses a false registration number including the registration number of another person, with a view to evade or avoid or shift the liability to pay the tax;</p>	<p>(iii)a sum not exceeding ten thousand rupees,</p>
<p>(iv)has, without reasonable cause failed to furnish the return of his turnover or to furnish it within the time allowed and in the manner prescribed;</p>	<p>(iv)a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the tax due if the tax due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the tax due is above ten thousand rupees,</p>
<p>(v)has submitted a false return of his turnover under this Act,</p>	<p>(v)a sum not exceeding ten thousand rupees, or the amount of tax involved, whichever is higher,</p>
<p>(vi)has concealed particulars of his turnover or has deliberately furnished inaccurate particulars of such turnover;</p>	<p>(vi)a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,</p>
<p>(vii)has, without any reasonable cause failed- (a)to deposit the tax due under the Act, before furnishing the return or along with the return;</p>	<p>(vii) (a) a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due, is above ten thousand rupees</p>

<p>(b)to pay within the time allowed the tax due under the provision of the Act;</p> <p>(c)to deposit with the return, the amount realized as tax in excess of the amount due under the Act or any amount in lieu of such tax by giving it any name or colour;</p>	<p>(b)a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees.</p> <p>(c)a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not more than three times the said amount.</p>
<p>(viii)fails to pay the amount in respect to which moratorium has been granted under the provisions of Section 76, within the time specified therein;</p>	<p>(viii)a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the amount due if the amount due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the amount due is above ten thousand rupees.</p>
<p>(ix)demands or charges on the sale or purchase of any goods tax not due under the provisions of this Act;</p>	<p>(ix)a sum not exceeding ten thousand, rupees,</p>
<p>(x)realizes any amount as tax on sale or purchase of goods or any amount in lieu of such tax by giving it a different name or colour in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 22;</p>	<p>(x)a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess, but not exceeding three times of the said amount,</p>
<p>(xi>wrongly claims an amount as input tax credit or claims an input tax credit on the basis of false Sale Invoice;</p>	<p>(xi)a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher</p>
<p>(xii)produces a false proof of deposit of any amount of tax or fee or penalty or any sum due under this Act;</p>	<p>(xii)a sum of rupees five thousand or three times of the amount claimed whichever is higher,</p>

(xiii) does not maintain books, accounts, documents in the prescribed manner; or	(xiii) a sum not exceeding five thousand rupees.
(xiv) has maintained or produced false accounts, registers or documents;	(xiv) a sum not less than fifty percent but not exceeding two hundred percent of the amount of tax which would thereby have been avoided,
(xv) refuses or neglects to furnish any information which may be in his knowledge or possession and which he has been required to furnish for the purpose of this Act, or furnish information which is false in any material particulars;	(xv) a sum not exceeding rupees two thousand for each default,
(xvi) fails to furnish the audit report in contravention of the provision of section 62;	(xvi) a sum not exceeding five thousand rupees.
(xvii) refuses to permit or refuses or neglects to produce for inspection or examination any book, document or account or display materials in a computer or in a computer floppy or refuses to allow copies or print out to be taken in accordance with the provisions of section 42;	(xvii) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xviii) closes or leaves the place of his business with a view to prevent inspection under this Act or the rules made there under;	(xviii) a sum not exceeding five thousand rupees.
(xix) imports or transports, or attempts to import or transport, abets the import or transport any goods in contravention of the provisions of Section 48 or Section 49;	(xix) a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,
(xx) fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle when asked to do so by the officer-in-charge of a check-post or barrier established under section 47 or by an officer empowered under section 42;	(xx) a sum not exceeding ten thousand rupees.

(xxi)fails to obtain authorization for transit of goods or to deliver the same, as provided in section 50;	(xxi)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act.
(xxii)being a transporter or forwarding agent who receives any goods from the driver or person-in-charge of a vehicle coming from out side the State for carrying them out side the State but fails to prove that goods have been carried outside the State;	(xxii)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher.
(xxiii)being transporter or hirer or driver or person-in-charge of a vehicle has prepared documents showing the destination of goods to a place out side the State, fails to produce copies of authorization for transit of goods along with goods before the officer-in-charge of the exit check-post and/ or fails to prove that after obtaining authorization for transit from officer-in-charge of the entry check-post, goods have been carried out side the State;	(xxiii)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher.
(xxiv)tampers with seal put under sub-section (7) of section 42; or	(xxiv)a sum not exceeding twenty five thousand rupees.
(xxv)fails to issue a Sale Invoice in accordance with the provisions of Section 60, or has issued a Sale Invoice with incomplete or incorrect particulars or having issued such invoice he has failed to account for it correctly in his books of accounts;	(xxv)a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default, or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default.
(xxvi)issues a false Sale Invoice, voucher or other documents which he knows or has reasons to believe, to be false;	(xxvi)a sum not exceeding ten thousand rupees.

<p>(xxvii)fails to issue a challan or transfer invoice or transport memo in respect of dispatch or delivery of goods in accordance with the provisions of this Act;</p>	<p>(xxvii)a sum of rupees one hundred or double the amount of tax involved, whichever is higher for the first default or two hundred rupees or four times of the tax involved whichever is higher, for the second and each subsequent default.</p>
<p>(xxviii)issues or receives a false Sale Invoice without sale or purchase of goods shown in such false Sale Invoice;</p>	<p>(xxviii)a sum not exceeding five thousand rupees.</p>
<p>(xxix)issues or furnishes a false or a wrong form of declaration or certificate by reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under This Act or the rules made there under;</p>	<p>(xxix)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,</p>
<p>(xxx)makes use of or furnishes a prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by hi m or his principal or agent in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;</p>	<p>(xxx)a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher,</p>
<p>(xxxi)transfers a prescribed form of declaration or certificate to any other person except for lawful purposes under the provisions of this Act or the rules made there under;</p>	<p>(xxxi)a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of the goods mentioned on it whichever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees,</p>
<p>(xxxii)receives or possesses or uses or furnishes with an intention to cause loss to the revenue, any prescribed form of declaration or certificate which has not been obtained by him</p>	<p>(xxxii)a sum equal to three times of the amount of tax treating the turnover of the goods liable to tax or forty percent of value of the</p>

or his principal or agent in accordance with the provision of this Act or the rules made thereunder;	goods mentioned on it whichever is higher, and if the form of declaration or certificate is blank, a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxiii) obstructs or prevents any officer from performing any of his functions or discharging his duties under this Act or abuses or threatens any officer;	(xxxiii) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxiv) provokes or invites other person or persons with a view to prevent any officer from performing his functions or discharging his duties under the Act or participates in an unlawful assembly with a view to prevent an officer from performing his functions or discharging his duties under this Act, or abuses or threatens any officer;	(xxxiv) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxv) makes false verifications or declaration on an application for registration or in connection with any other proceeding under this Act;	(xxxv) a sum not exceeding ten thousand rupees.
(xxxvi) otherwise acts in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under;	(xxxvi) a sum not exceeding five thousand rupees.

Explanation- For the purpose of this section, the Assessing Authority includes an officer not below the rank of **Commercial Tax Officer**, posted at the check-post or also an officer authorized to exercise powers under Section 42 or Section 43 or both, as the case may be

Substitution of sub-section (10) of section 59:

15. For the existing sub-section (10) of section 59 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted; namely-

"(10) Where a registered dealer or a dealer liable to pay tax, consigns any taxable goods to another dealer whether as a result of sale or otherwise:

(a) Such dealer shall issue a sale invoice or a challan in case of consignment of goods otherwise than way of sale

which shall contain the name, address and registration certificate no. (which effective date) of the consignor and consignee and the description, quantity, volume of goods and amount of tax charged in case of sale and also estimated value of goods in case of consignment and value of goods in case of sale.

(b) Such dealer shall issue a sale invoice or as the case may be the challan in original to the purchaser or the consignee person and the first copy of the invoice in case of sale and the original copy of the challan in case of consignment shall accompany the goods during the journey of goods and the second copy of the invoice in case of sale and the duplicate of the challan in case of consignment shall be preserved by the dealer as part of his accounts.

(c) Person transporting the goods for delivery to consignment shall record the registration number of the vehicles on the sale invoice or the challan and shall deliver such document to the consignee along with the goods.

(d) The consignee dealer of goods shall not transfer any such document to any other person and preserve the same for the period prescribed under Section 61."

Amendment in clause (e) of sub-section (2) of section 60:

16. In clause (e) of sub-section (2) of section 60 of the Principal Act for the word "servant" occurring therein the word "employee" shall be substituted.

Substitution of section 62:

17. For the existing section 62 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely-

"(1) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds One crore rupees or such other amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette,

er not
officer
be.
al Act.
y tax,
as a

an in
sale

specify, then such dealer shall get his accounts, in respect of that year, audited by an accountant before 31st December in the following year and obtain a report of such audit duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

(2) A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority within two months after the expiry of the period during which the audit is required to be completed as per sub-section (1)

(3) Where in any particular year gross turnover of a dealer exceeds forty lakh rupees but does not exceed one crore rupees then such dealer shall furnish a true copy of the audit report of his accounts duly signed and verified by a chartered Accountant, or a Cost Accountant or an Auditor. This report shall be submitted to the assessing authority by 31st December of the following Year.

Explanation- For the purpose of this Section, "Accountant" means a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountant Act, 1949, a Cost Accountant as defined in the Cost and Works Accounts Act, 1959, and includes a person who by virtue of the provisions of sub-section (2) of Section 226 of the Companies Act, 1956, is entitled to be appointed to act as an auditor of Companies registered under the said Act."

Substitution
of section 75:

18. For the existing section 75 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely-

Section 75 (Power of Remission of arrears and granting Installments):

"(1) Subject to such conditions and restrictions as may be deemed fit the State Government may remit the arrears of tax, penalty, interest or other dues against any dealer or person.

(2) Subject to such conditions and restrictions, as may be deemed fit-

(a) the State Government may permit any dealer or other person, against whom any amount of tax penalty or other dues is out standing to pay the amount in such number of monthly installments, as it may consider proper in the circumstances of the case; and

(b) the Commissioner may likewise permit any dealer or other person, against whom any amount of tax, penalty or other dues aggregating not more than two lakh rupees is outstanding, to deposit the same in such number of monthly installments, not exceeding twenty, as he may consider proper in the circumstances of the case.

(3) Where such dealer or other person fails to furnish, within thirty days of the receipt of the order referred to in sub-section (2), adequate security to the satisfaction of the assessing authority concerned for payment of outstanding amount, or fails to comply with the conditions and restriction imposed in such order, the amount due shall be recoverable at once."

Substitution of clause (c) of sub-section (5) of section 76:

19. For clause (c) of sub-section (5) of section 76 of the Principal Act, the following clause shall be substituted; namely-

"(c) any taxable dealer purchasing goods from such dealer holding eligibility certificate and who is exempted from tax, whether wholly or partially, shall be entitled to Input Tax Credit of the amount of tax charged in the sale invoice of the selling dealer, and for this purpose the selling dealer shall append the following certificate in the sale invoice regarding-

Certificate

"Certified that the dealer is entitled to exemption from tax @
..... as per Eligibility Certificate No.
Dated.....according to which the exemption amount
in this invoice comes to Rs....."

By Order,

Smt. INDIRAASHISH,
Principal Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009
देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन)
अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) का अग्रेतर संशोधन करने के लिए—
अधिनियम

[भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो]

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

धारा 2 की उपधारा (46) का संशोधन

2-उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की वर्तमान उपधारा (46) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:-

(46) "कर" से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय घन पर देय वास्तविक कर की घनराशि के बदले एकमुश्त घनराशि (समाधान घनराशि), विलोम इनपुट टैक्स और धारा 3(क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की घनराशि भी सम्मिलित है।

धारा 3 के बाद एक नयी धारा 3(क) का जोड़ा जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में-

धारा 3 के बाद निम्नलिखित धारा 3(क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :-

3(क) अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण-

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कर योग्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद या दोनों के आवर्त पर देय कर के साथ पांच प्रतिशत से अनधिक की दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिये दायी होगा; विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग-अलग कर दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न पर कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहीत/भुगतान नहीं किया जायेगा :-

(क) अनुसूची-I, II(क), II(ग) तथा III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री या खरीद या यथास्थिति दोनों, के आवर्त पर,

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषित विशेष महत्व की वस्तुओं के विक्रय या क्रय या यथास्थिति दोनों, के आवर्त पर,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4(6) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय या विक्रय या किसी वर्ग के ब्यौहारियों द्वारा किये गये वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतान की गयी घनराशि धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार "इनपुट टैक्स क्रेडिट" हेतु ग्राह्य होगी।

(4) कोई ब्यौहारी जो धारा 7 (2) के अन्तर्गत समाधान योजना का लाभ ले रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी समाधान योजना के लाभ के लिये पात्र होगा।

(5) इस धारा के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पांच वर्ष बाद से प्रविरत हो जायेगा।

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में-

उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) जोड़ दिया जायेगा:
अर्थात् :-

“(ग) किसी वस्तु के ऐसे पाटर्स, स्पेयर्स एवं एसेसरीज जिनकी कर दर मूल अधिनियम के कहीं अन्यत्र परिभाषित न हो, पर कर की दर वही होगी जो कि मूल अधिनियम के अनुसार उस वस्तु पर देय है।”

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नये खण्ड का जोड़ा जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 4 में-

(एक) उपधारा (7) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से” के स्थान पर शब्द “2 प्रतिशत की दर से” रख दिये जायेंगे।

धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक एवं खण्ड (ड) का संशोधन

(दो) उपधारा (7) के खण्ड (क) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से” के स्थान पर शब्द “2 प्रतिशत की दर से” रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (7) के वर्तमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ड) रख दिया जायेगा :-

(ड) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी स्थिति हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित “माल” या ऐसी संवेष्टन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा ब्यौहारी स्टॉक ट्रान्सफर या इस प्रकार के संव्यवहार की घनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर घनराशि का देनदार होगा।

6-मूल अधिनियम की धारा 6 में-

(एक) धारा 6 की उपधारा (3) के प्रथम तथा द्वितीय, दोनों परन्तुकों में प्रयुक्त शब्द “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक” के स्थान पर शब्द “2 प्रतिशत से अधिक” रख दिये जायेंगे।

धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुकों तथा उपधारा (8) के खण्ड (द) का संशोधन

(दो) धारा 6 की उपधारा (8) के खण्ड (द) के बाद उल्लिखित प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द “केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक” के स्थान पर शब्द “2 प्रतिशत से अधिक” रख दिये जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 25 में-

वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (3) रख दी जायेगी :-

धारा 25 की उपधारा (3) का संशोधन

(3) ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की प्राप्ति विहित रीति से सम्यक् रूप से स्वीकार की जायेगी। जो मामले उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन छानबीन के बाद शेष रह जाते हैं, उन्हें स्वतः निर्धारण के लिए रखा जायेगा और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी सहित सभी विवरणियाँ दाखिल की गयी हैं तथा तात्त्विक विशिष्टताओं में सही तथा पूर्ण हैं तो ब्यौहारी उस वर्ष के लिए स्वतः निर्धारित समझा जायेगा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति यथा निर्धारित कर निर्धारण की प्रति समझी जायेगी तथा ऐसी विवरणी में उल्लिखित तथ्य तथा आंकड़े ऐसे कर निर्धारण आदेश के भाग माने जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवरणी तात्त्विक विशिष्टताओं में पूर्ण न हों, ब्यौहारी को उन्हें पूरा करने का एक अवसर दिया जायेगा और कर निर्धारण प्राधिकारी, वाँछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने और/या गणित सम्बन्धी त्रुटि, यदि कोई हो, के ठीक किये जाने और फलस्वरूप देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान किये जाने के पश्चात् इस मामले में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण—कोई विवरणी तात्त्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है यदि इसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना समाहित है, गणितीय रूप से सही है और इसके साथ कानूनी सूचियाँ, अभिलेख और देयकर के भुगतान का सबूत और ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दावाकृत कटौतियाँ (जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार पर कटौतियाँ भी सम्मिलित हैं), छूट और कोई अन्य रियायत या रिबेट के सम्बन्ध में इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 में अपेक्षित समर्थक घोषणा-पत्र, प्रमाण-पत्र या साक्ष्य हैं।

धारा 31 की उपधारा
(1) का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 31 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) रख दी जायेगी :-

“(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हो, ब्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के एक पक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की घनराशि के, जिसे ब्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो।”

धारा 36 की उपधारा
(3) का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के वर्तमान परन्तुक के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी पाठ रख दिया जायेगा :-

“परन्तु यह है कि यदि मामले, जो कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार स्वतः कर निर्धारित मान लिये गये हैं, में कोई घनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो रिफण्ड वाउचर, उस विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख, जिसमें विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की समाप्ति के एक वर्ष समाप्त हो जाने के एक माह के भीतर भेजा जायेगा।”

धारा 48 की उपधारा
(1) के बाद एक नये
परन्तुक का जोड़ा
जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :-

“प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत वर्ग के करदाता कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा विहित श्रृंखला तथा क्रमांक के आयात घोषणा-पत्र स्वयं डाउनलोड करके माल के आयात हेतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।”

धारा 62 की उपधारा
(2) के बाद परन्तुक
का जोड़ा जाना

11—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 62 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा :-

“प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी जो अधिनियम के अन्तर्गत केवल करमुक्त वस्तुओं की खरीद और बिक्री का व्यापार करते हैं अथवा ऐसे ब्यौहारी को, जो विशेष प्रवर्ग के माल की पश्चात्वर्ती बिक्री करते हैं, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राविधानित लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।”

आज्ञा से,
राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Third Amendment) Bill, 2009' (Adhinyam Sankhya 11 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010).

No. 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009
Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

**THE UTTARAKHAND (THE UTTARANCHAL VALUE ADDED TAX ACT, 2005)
(THIRD AMENDMENT) ACT, 2009
(ACT NO. 11 OF 2010)**

Further to amend The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005)

AN

Act

[Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows]

- | | |
|--|---|
| <p>1. (1) This may be called 'The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Third Amendment) Act, 2009.</p> <p>(2) It shall come into force at once.</p> | <p>Short Title and Commencement</p> |
| <p>2. In the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as the Principal Act, for the existing sub-section (46), the following sub-section shall be substituted; namely :--</p> <p style="padding-left: 40px;">(46) "Tax" means the tax payable under this Act, and includes the amount as lump sum (composition money) accepted in lieu of actual amount of tax due on the turnover as provided under Section 7 of the Act, amount of reverse input tax credit and the amount of additional tax leviable under section 3 (A).</p> | <p>Amendment of Sub-section (46) of Section 2</p> |
| <p>3. In section 3 of the Principal Act--</p> <p>After section 3, the following section 3 (A) shall be inserted namely :--</p> <p>3(A) Levy of Additional Tax--</p> | <p>Addition of new Section 3(A) after Section 3</p> |

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act but subject to the provisions of sub-section (2), every dealer liable to pay tax under this Act shall be liable to pay in addition to the tax payable under any other provision of this Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase of goods or both, at such rate not exceeding five percent, as may be specified by the State Government by notification in the gazette. Different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods.
- (2) No additional tax under sub-section (1) shall be levied and paid on
 - (a) the turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods specified in Schedule-I, II (A), II(C) and III;
 - (b) turnover of sale or purchase or both as the case may be, of goods declared to be special importance in the inter-State trade or commerce under Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;
 - (c) such sale or purchase, or sale or purchase of such goods by such class of dealer, as may be specified in the notification issued by the State Government under section 4 (6).
- (3) The amount paid under sub-section (1) shall be eligible for input tax credit in accordance with the provisions of Section 6.
- (4) Any dealer who avails the facility of composition of tax under section 7 (2) shall also be eligible for availing the facility of composition with respect to additional tax.
- (5) The additional tax leviable under this section shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under sub-section (1).

Addition of a new clause after clause (b) of Sub-section (3) of Section 4

4.

In Section 4 of Principal Act

a new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section (3); namely--

“(c) the rate of tax on such parts, spares and accessories, which are not classified elsewhere in the Principal Act, shall be same as applicable to that commodity under said Act.”

Amendment of its clause(a) and its proviso and clause (e) of Sub-section (7) of Section 4

5.

In Section 4 of Principal Act-

- (i) In clause (a) of sub-section (7), for the words “the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956” occurring therein, the words “**at the rate of 2 percent**” shall be **substituted**.
- (ii) In the proviso of clause (a) of sub-section (7), for the words “the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956” occurring therein, the words “**at the rate of 2 percent**” shall be **substituted**.
- (iii) For the existing clause (e) of sub-section (7), the following clause (e) shall be **substituted :-**

(e) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased the goods or after packing such manufactured goods with such packing material after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and the Goods manufactured out of such raw material procured or after packing such manufactured goods with such packing material are sold or disposed of other than by way of sale in the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export outside Indian territory such dealer shall be liable to pay an amount equal to 2 percent of the amount of stock transfer or other such transactions.

6. In Section 6 of the Principal Act-

(i) In both, the first and second provisos to sub-section (3) of section 6, for the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words "**in excess of 2 percent**" shall be **substituted**.

(ii) In the first proviso mentioned after clause (n) of sub-section (8) of section 6, for the words "in excess of the rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956" occurring therein, the words "**in excess of 2 percent**" shall be **substituted**.

Amendment of provisos to Sub-section(3) and clause (n) of Sub-section 8 of Section 6

7. In Section 25 of the "Principal Act"-

For the existing sub-section (3) the following sub-section (3) shall be **substituted**; namely :-

(3) The return furnished by dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed. The cases remaining after the scrutiny under the provisions of sub-section (4) shall be taken up for self assessment and in respect of such cases where all the returns including the annual return relating to an assessment year have been filed and are correct and complete the material particulars, the dealer shall, be deemed to have been self-assessed for that year and the acknowledgement of the annual return as prescribed shall be deemed to be the copy of assessment order **and facts disclosed and figures mentioned in such return shall be deemed to be part of such assesment order :**

Amendment of Sub-section (3) of Section 25

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete them, and the assessing authority shall, after the required document have been furnished to him and/or arthmetical mistake, if any, has been corrected and tax due, if any, as a result thereof has been paid, pass an order in the matter.

Explanation : A return is complete in material particulars if its contains the information required to be furnished therein, is correct arthmetically, accompanied with the statutory lists, documents and proof of payment of tax due and the supporting declarations, certificates, or evidence required under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of amount of deductions (including deduction on the basis of input tax credit), exemptions and any other concessions or rebates claimed by the dealer in the returns are furnished.

Substitution of
Sub-section (1)
of Section 31

8. For the existing sub-section (1) of section 31 of the "Principal Act" the following sub-section shall be **substituted**; namely :--

"(1) In any case in which an order of assessment or reassessment or order of penalty is passed ex-parte, the dealer may apply to the assessing authority within thirty days of the service of the order to set aside such order and reopen the case; and if such officer is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing :

Provided that no such application for setting aside such ex-parte order shall be entertained unless **the dealer has submitted all periodical returns and Annual Return completely and correctly** and it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax admitted by the dealer to be due.

Addition of a
new proviso
after the existing
proviso to Sub-
section (1) of
Section 48

9. After the existing proviso to sub-section(1) of section 48 of the "Principal Act" a new proviso shall be **added**; namely :--

"Provided that the class of assesses authorised by the Commissioner, Commercial Tax may themselves download the Declaration Form for Import of the series and serial no. prescribed by the Commissioner, Commercial Tax and may use them in accordance with the Act and the rules made thereunder."

Addition of pro-
viso after sub-
section (2) of
Section 62

10. After the existing sub-section (2) of section 62 of the "Principal Act" the following proviso shall be added; namely :--

"Provided that the dealers dealing exclusively in purchase and sale of goods exempted from tax under the Act or the dealers making subsequent sale of Special Category Goods need not submit audit report provided under sub-section (1)."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178 / XXXVI(3) / 2012 / 35(1) / 2012

देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012” पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012]

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने के लिये -

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
 - (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकती है।
- धारा 2 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में -
 - (1) धारा 2 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

“(7) **‘नैमित्तिक ब्योहारी’** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्ता, अभिकर्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का कय, विक्रय, सम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तराखण्ड राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

 - (क) ऐसा परिवहनकर्ता, जैसा कि धारा 2 के खण्ड (49) में विनिर्दिष्ट है, या ऐसा परिवहन अभिकर्ता, जिसका उत्तराखण्ड में नियत स्थान हो अथवा न हो, और जो, किसी व्यक्ति के माल को परिवहन से पहले अथवा परिवहन के बाद या परिवहन के दौरान अपनी सुपुर्दगी में रखता हो, उत्तराखण्ड में ऐसे माल के परेषक या परेषिती का नाम बताने में असफल रहता है, अथवा ऐसे माल के बीजक/चालान की प्रति, माल की रसीद/बिल्टी या परेषण पत्र या माल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता, जो अपने भण्डारागार में रखे गये किसी माल के स्वामी का नाम व पता बताने में असफल रहता है, या यह सन्तुष्टि कराने में असफल रहता है कि ऐसा माल उसके अपने प्रयोग या उपभोग के लिये है; तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे परिवहनकर्ता, परिवहन अभिकर्ता या भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता द्वारा ऐसा माल अपने निजी लेखे में खरीदा गया है।”

(2) धारा 2 के खण्ड (13) के बाद निम्नलिखित खण्ड (13-क) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-

“(13-क) “हक का दस्तावेज” का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो माल का हक प्रदान करता है और इसमें वहन-पत्र, डाक वारंट, माल की रसीद/बिल्टी, रेलवे रसीद, भण्डारागारपाल का प्रमाण पत्र, वारंट या माल के परिदान का आदेश और व्यापार के दौरान माल के कब्जे या नियंत्रण के साक्ष्य के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, या ऐसा दस्तावेज जो पृष्ठांकन के द्वारा या परिदान के द्वारा दस्तावेज के धारक को दस्तावेज में रूपित माल का हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता है या प्राधिकृत करने को तात्पर्यित करता है।”

(3) धारा 2 के खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(16) “आयातकर्ता” का तात्पर्य, किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे व्यौहारी से है, जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर माल लाता अथवा प्राप्त करता है और इसमें ऐसा व्यौहारी भी सम्मिलित है :-

(क) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाकर या प्राप्त करके उसकी प्रथम बिक्री करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, माल प्राप्त करता है; या

(ग) जिसकी ओर से राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाया गया माल, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राप्त किया गया है।”

(4) धारा 2 के खण्ड (16) के बाद निम्नलिखित खण्ड (16-क) रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(16-क) “आयात” का तात्पर्य, राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से खरीदकर या अन्य विधा के परिणामस्वरूप माल का लाया जाना या प्राप्त किया जाना है।”

(5) धारा 2 के खण्ड (57) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (58) रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(58) “वेबसाइट” का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://comtax.uk.gov.in> जिसका डोमेन (domain) uk.nic.in है या ऐसी अन्य वेबसाइट से है जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित की जाय।”

धारा 4 का
संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 4-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :-

“4-क. कतिपय धारा 3 एवं धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सामान के वर्ग सरकार सम्पूर्ण राज्य या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में पर भार, कतिपय सामान अथवा कतिपय सामान के वर्ग पर सामान परिमाण, माप की खरीद-बिक्री पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, या इकाई के जैसा कि अधिसूचित की जाय, माल के भार, मात्रा, आधार पर कर परिमाण, माप या इकाई के आधार पर अधिसूचना के द्वारा का उद्ग्रहण : देय कर की धनराशि अभिनिश्चित कर सकती है।”

धारा 35 का
संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आए शब्द “चार प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “छः प्रतिशत” रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का
संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 42 के बाद निम्नलिखित नयी धाराएँ 42-क और धारा 42-ख जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्-

“42-क. माल के किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी संचलन में साथ या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या ले जाय जाने यान अथवा माल का प्रमारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति वाले दस्तावेज हो, कोई माल, ऐसी मात्रा या माप या कीमत से एवं दी जाने अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित वाली सूचनाएँ करे, के संचलन का इरादा रखता है, तो वह माल के संचलन से पूर्व इस सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें ऐसी सूचनाएँ निहित हों, जैसा कि विहित किया जाय, और ऐसी सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप और तरीके और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान ऐसा दस्तावेज तथा बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा।

- 42-ख. माल निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या माल परिवहनकर्ता पर नियंत्रण
- (1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या माल परिवहनकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका राज्य में, ऐसे कारबार का, अपना स्थान है, और जो अपने कारबार के दौरान किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल के हक के दस्तावेज सम्भालता है, या किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल का परिवहन करता है, या उसका परिदान लेता है, राज्य के भीतर अपने व्यापार के स्थान एवं माल के परिवहन के लिये अपने स्वामित्व के वाहनों या भाड़े पर लिये गये वाहनों की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि में, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति परिवहित, परिदत्त अथवा परिवहन के लिये प्राप्त किये गये माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं से युक्त, जैसा कि विहित किया जाय, पूर्ण एवं सत्य अभिलेख तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति रखेगा और ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति के अनुसार एवं ऐसी अवधि में जैसा कि विहित किया जाय, किसी व्यौहारी या व्यक्ति के माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण विशिष्टियों एवं सूचनाओं को तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति को कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उल्लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।
- (3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति कथित उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, तो उपधारा (1) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रथम उल्लंघन के लिये एक हजार रुपये से अनधिक

धनराशि, और यदि उल्लंघन लगातार रहता है तो अपराध की निरंतरता अवधि में प्रत्येक दिवस के लिये दो सौ रूपये से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य करता है, जिसकी परिणति कर के अपवंचन में होती है अथवा यदि ऐसे अपवंचन का पता नहीं चलता और समय से नहीं रोका जाता, तो करापवंचन हो गया होता, विहित प्राधिकारी उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त व्यौहारी अथवा व्यक्ति के सम्यवहार में ऐसे माल में अन्तर्ग्रस्त कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या माल पर आरोपणिय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में अदा करने को निर्देशित कर सकता है, ऐसे मामले में उपधारा (1) में उल्लिखित अभिकर्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए व्यौहारी समझा जायेगा और वह इस प्रकार अपवंचित कर अथवा ईप्सित अपवंचित कर को जमा करने का दायी होगा। इस प्रकार आरोपित किया गया अर्थदण्ड और कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधानों अथवा उक्त समय में लागू अन्य विधि प्राविधानों के अन्तर्गत उसके दायित्वों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :—

(क) निकासी, अग्रेषण, बुकिंग एजेण्ट अथवा दलाल में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रेलवे परिसर, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, कन्टेनर डिपो, बुकिंग एजेन्सी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कार्यालय अथवा माल का लदान करने या माल उतारे जाने का कोई स्थान या इस युक्ति के स्थान पर निकासी, अग्रेषण या बुकिंग या माल के परिदान की सेवाएँ देता है और किसी व्यौहारी की ओर से भी, ईनाम, कमिशन, पारिश्रमिक अथवा मूल्यवान प्रतिफल या अन्य के लिये सौदा या संविदा कराता है अथवा सम्पन्न करता है; और

(ख) माल परिवहनकर्ता व्यक्ति में स्वामी के अतिरिक्त मैनेजर, अभिकर्ता, ड्राइवर, स्वामी का कर्मचारी, माल के लदान व उतारे जाने के स्थान का प्रभारी या अन्य स्थानों को माल के प्रेषण के लिये ले जाये जा रहे यान का प्रभारी अथवा परेषिती को परेषित किये गये माल का परिदान देने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(5) धारा 51 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तामिली के साठ दिन के अन्दर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि विहित किया जाय, अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अपील, उपधारा (3) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि या उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के पच्चीस प्रतिशत धनराशि की जमा के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी।”

धारा 43 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 43 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 43क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

“43—क. राज्य के भीतर अथवा राज्य से राज्य के बाहर माल का संचलन

(1) धारा 43 में अन्य किसी बात के होते हुए भी किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उसे निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये माल के संचलन का इरादा रखता है तो माल के संचलन से पहले इस सम्बन्ध में वह विहित व्यक्तिगत क्रमांकित प्रारूप (जिसे

आगे लौरी चालान कहा गया है) तैयार करेगा जिसमें परेषक और परेषिती का नाम एवं पूर्ण पता माल का विवरण अथवा मात्रा, बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज एवं अन्य सूचनाएँ, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय;

परन्तु यह कि सरकार अधिसूचना के द्वारा माल के संचलन से पूर्व ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी कि अधिसूचना द्वारा विहित की जाय, विहित प्राधिकारी के समक्ष लौरी चालान की प्रस्तुति के लिये व्यवस्था कर सकती है।

(2)(क) परिवहनकर्ता, ऐसे लौरी चालान की अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रति और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी स्थान पर वाहन को रोकेगा और वाहन को माल व दस्तावेजों के साथ नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा :

परन्तु यह कि जहाँ माल राज्य के उसी स्थानीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा है, कमिश्नर कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, लौरी चालान अथवा हक के दस्तावेज रखे जाने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं। यहाँ "स्थानीय क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जैसा कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

(ख) परिवहनकर्ता ऐसे लौरी चालान की प्रति, ऐसी अवधि तक जैसी कि विहित की जाय, सुरक्षित रखेगा और, जब भी अपेक्षित हो, उसे प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने

पर वह प्रति लौरी चालान पाँच सौ रूपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा।

(3) जहाँ माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये है और ऐसा माल किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन में परिवहन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लौरी चालान तैयार करने अथवा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) पूर्ववर्ती उपनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारी यदि तलाशी या निरीक्षण करने के बाद सन्तुष्ट है कि—

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप और विहित रीति में लौरी चालान तैयार या प्रस्तुत किये बिना या ऐसे लौरी चालान को साथ रखे बिना माल का परिवहन कर रहा है, या परिवहन करने का प्रयत्न, या दुष्प्रेरण कर रहा है, जिस पर यह धारा लागू होती है; या

(ख) परिवहनकर्ता माल से सम्बन्धित बीजक/ चालान (जो लागू हो) एव माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज के बिना माल परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ग) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, लौरी चालान से अनाच्छादित है, तो वह—

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को जाँच होने तक, जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती

उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा बिना लौरी चालान या अन्य विहित दस्तावेजों को साथ लिए, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल:

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है, और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया गया है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

(5)(ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल लौरी चालान से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है, और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विटल या क्विटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 43 (5) अथवा धारा 43 (7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, उपधारा (5) (ख) में उल्लिखित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में उस परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 43 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- (6) वाहन का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये

पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

- (7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या अवसूलीय बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति जमा करने पर, जैसा वह उचित समझे, वाहन छोड़ सकता है।
- (8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन परित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन प्रतिभूति के लिये आदेश के विरुद्ध, अर्थदण्ड अथवा प्रतिभूति की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा के साक्ष्य प्रस्तुत किये बगैर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।”

धारा 47 का
हटाया जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 47 हटा दी जायेगी।

धारा 48 का
संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी और तत्पश्चात् एक नयी धारा 48-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

“(1) कोई व्यक्ति या व्यौहारी (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न कोई माल ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, लाने या आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत करदाताओं का वर्ग कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित सीरीज और क्रम संख्या के घोषणा पत्र स्वयं डाउनलोड कर सकता है और इस सम्बन्ध में बनाये गये अधिनियम एवं नियम के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परेषण सड़क मार्ग से किया जाना है :-

(क) आयातकर्ता परेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और ऐसा माल ले जाने वाला यान का स्वामी या संचालन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, अपने साथ विहित रूप में परेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किये जाय, ले जायेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा करने पर घोषणा पत्र की प्रतियाँ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

(ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी हैं, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

(3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, और प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे मानों कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रखा गया हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, धारा 42 की उपधारा (1) उपधारा और (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा किये जाने पर वाहन को रोकेगा और उसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी या यान को भाड़े पर देने वाले का नाम व पता और माल के परेषक और परेषिती का नाम व पता भी देगा।

(6) इस धारा के अधीन यदि तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति या व्यौहारी पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों के बिना किसी ऐसे माल का आयात कर रहा है या आयात करने का प्रयत्न या आयात का दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है; तो वह -

(क) उपरोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, माल की जांच किये जाने तक जो सात दिन की अवधि से अनधिक होगी, सामान को किसी भी प्रकार से विलग न करने, पुनः परिवहन न करने अथवा पुनः बुकिंग न किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(ख) ऐसे माल को रोकने के आदेश दे सकता है और यदि यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन के प्रयास में आयात किया जा रहा है तो वह ऐसे माल को अभिग्रहीत करने के आदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन सम्पूर्ण अभिग्रहीत माल की एक सूची बनाई जायेगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, दी जायेगी।

- (7) उपधारा (6) के अधीन माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी अभिरक्षा में माल की सुरक्षा के सभी उपाये करेंगे और उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित कर अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- (8) यदि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी का, यान का स्वामी या संचालन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रमारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाधान हो जाये कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वह अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अधिरोपित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति सम्यक रूप से तामील कराई जायेगी।
- (9) माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी, जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।
- (10) उपधारा (9) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छाड़ दिया जाये।
- (11) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर करनिर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रमारी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(12) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या, यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय-आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

(13) यदि उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (8) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी;

स्पष्टीकरण 1 :- इस अध्याय के उद्देश्य से वाहन के प्रभारी व्यक्ति में, वाहन का स्वामी या वाहन को भाड़े पर लेने वाला, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण 2 :- इस अध्याय के उद्देश्य से "संचलन में माल" से अभिप्रेत है—

(क) ऐसा माल जो परिवहनकर्ता एजेन्सी या व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य उपनिहिती के कब्जे में है अथवा नियंत्रण में है; या

(ख) ऐसा माल जो ऐसे मालस्वामी के स्वामित्व वाले वाहन में ले जाया जा रहा है; या

(ग) ऐसा माल जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।"

"48-क. राज्य के (1) धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह भीतर "ट्रिप सुनिश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम के शीट" के अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, विरुद्ध माल किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी का या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या परिहवन यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा

कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने का इरादा रखता है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित प्रारूप में (जिसे आगे ट्रिप शीट कहा गया है) सूचना तैयार करेगा और इसे ऐसी रीति से और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि कमिश्नर द्वारा कुछ परिस्थितियों में ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परिवहन राज्य में सड़क मार्ग से किया जाना है :

(क) परिवहनकर्ता सम्यक् रूप से अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी ट्रिप शीट की प्रति तथा अन्य दस्तावेज, जैसा कि विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किसी भी स्थान पर ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, ले जायेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जैसा कि अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे वाहन की तलाशी लेने देगा और माल, ट्रिप शीट और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने देगा;

(ख) परिवहनकर्ता ऐसी ट्रिप शीट की प्रति, ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जाय, सुरक्षित रखेगा और जब भी इस प्रकार अपेक्षा की जाय पुनः प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रत्येक ट्रिप शीट के लिये पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा;

स्पष्टीकरण :- उन परिस्थितियों में जहाँ पर ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति का शिथिलीकरण किया गया है राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रिप शीट तैयार

करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जा रहा है, वहाँ सामान लाने वाले व्यक्ति को ट्रिप शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) यदि उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी तलाशी अथवा जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाय कि -

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप एवं रीति से ट्रिप शीट प्रस्तुत किये बिना अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिये बिना किसी माल का परिवहन, या परिवहन का प्रयास, या परिवहन का दुष्प्ररेण कर रहा है; या

(ख) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, ट्रिप शीट से अनाच्छादित है, तो वह-

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को माल के सत्यापन होने तक या जाँच होने तक जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ट्रिप शीट को ऑनलाइन (online) प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिए बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता, अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी।

(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ऑनलाइन (online) प्रस्तुत की गयी ट्रिप शीट की प्रति के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल ट्रिप शीट से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का

अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 48 (8) अथवा धारा 48 (9) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, इस उपधारा में संदर्भित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में ऐसे परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 48 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- (6) वाहन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने का पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया वाहन उस

व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन अभिग्रहीत किया गया है, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (5) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन पारित जमानत आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी जबतक कि सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि अथवा जमानत की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा करने के साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिये जायें।”

धारा 49 का 9.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी;
अर्थात्—

“(1) जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा 48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल (इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अनुसूची-1 में वर्णित माल को छोड़कर) रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्ता—

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न दे या करवादे; और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तबतक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जबतक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र की एक प्रति न हो :

परन्तु यह कि यदि पंजीकृत ब्यौहारी ने, माल को छुड़ाने से पूर्व अथवा छुड़वाने से पूर्व विभाग की ऑफिसियल वैबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में माल के सम्बन्ध में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत कर दी है और उस सूचना की इलैक्ट्रानिकली तैयार की गई हार्ड कापी माल के संचलन में साथ ले जायी गई है तो यह समझा जायेगा कि घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) धारा 48 की उपधारा (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) और उपधारा (13) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित रेल, नदी, या डाक द्वारा पारेषित माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन सड़क द्वारा माल के आयात पर लागू होते हैं।”

धारा 50 का
संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर पार्श्व शीर्षक सहित निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और धारा 50 के बाद एक नयी धारा 50-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

“50. ट्रांजिट पास (1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर राज्य से के माध्यम से होते हुए राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को राज्य से जानेवाला धारा 48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाला कोई यान राज्य से होकर गुजरे तब ऐसे यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पहले कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप (जिसे आगे ट्रांजिट पास कहा गया है) में, जिसमें माल, यान, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और माल के संचलन से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ साथ वे अन्य सूचनाएँ भी होंगी जो कमिश्नर द्वारा विहित की जाएँ, तैयार करेगा और इसे ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे माल को ले जाते समय अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और बीजक/बिल या चालान/इस तरह के अन्य

दस्तावेज अपने पास रखेगा और राज्य के बाहर जाने के बाद कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें, निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त राज्य से बाहर जाने अथवा अन्य राज्य में प्रवेश करने के साक्ष्य का विवरण, ऐसी रीति व समय के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, देगा, तथा ऐसे अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाए, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर माल के राज्य के बाहर चले जाने अथवा गन्तव्य राज्य में पहुँच जाने के सम्बन्ध में उसके सन्तोषानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जाने वाला माल राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है:

परन्तु यह कि यदि ऐसे वाहन से ले जाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य वाहन से परिवहन करके राज्य के बाहर ले जाया जाय तो यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, उस वाहन, के प्रभारी व्यक्ति पर होगा, जिसके लिए ट्रांजिट पास प्रस्तुत किया गया था।:

परन्तु यह और कि माल के राज्य के बाहर जाने की सूचना और ट्रांजिट पास की ऑनलाईन प्रस्तुति कमिश्नर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है:

परन्तु यह भी कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई करपवंचन न हो, इस धारा में उल्लिखित वाहन ऐसे स्थानों, से ही राज्य के अन्दर प्रवेश करेगा तथा राज्य के बाहर जायेगा, जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किए जायें।

स्पष्टीकरण:— ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ट्रांजिट पास का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण शिथिल किया गया है, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। ऐसे मामलों में राज्य से

बाहर जाने से पूर्व माल सहित वाहन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित स्थान पर रोका जायेगा और ट्राजिट पास की एक प्रति कमिश्नर द्वारा इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जा रहा माल राज्य के अन्दर ही बेच दिया गया है।

(2) ऐसे मामले में जैसा कि उपरोक्त उपधारा में उल्लेख किया गया है, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन माल की उपधारित बिक्री पर देय कर और सम्भाव्य अर्थदण्ड की धनराशि के दायी होंगे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस प्राविधान के आरम्भ होने के दिनांक के बाद उद्भूत हुए करनिर्धारण के मामलों में ही यह प्राविधान लागू होंगे :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड का आदेश सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

“50—क. निश्चित
अवधि के लिये
नाके (जाँच
चौकी) का
परिनिर्माण

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के अपवचन रोकने अथवा जाँच करने के उद्देश्य से अथवा इस अध्याय के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कतिपय परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके ऐसे स्थान या स्थानों, जैसा कि वह उचित समझे, जाँच चौकियों की स्थापना अथवा नाकों का परिनिर्माण कर सकता है और ऐसे संचलन में किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जाँच चौकी या नाकों को पार करने

से पूर्व यान को रोकेगा और इस अध्याय के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ ले जाए जाने वाले वांछित दस्तावेज इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अधिकारी को यान की तलाशी तथा माल एवं दस्तावेजों की जाँच करने देगा :

परन्तु यह कि धारा 50 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन, जहाँ राज्य के निकास के समीप स्थापित जाँच चौकियों अथवा नाकों पर जाँच चौकी अधिकारी के समक्ष ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें से एक प्रति वाहन के राज्य से बाहर जाने के साक्ष्य के रूप में अधिकारी द्वारा वापस की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर एक बार में तीन माह से अधिक के लिये किसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके का परिनिर्माण नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह अग्रेत्तर और भी कि कमिश्नर ऐसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके के परिनिर्माण के लिये जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन राज्य सरकार से करायेगा।”

धारा 51 का
संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—
- “(1) कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर सम्प्रेक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 42 (ब) की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई व्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, निम्नलिखित को छोड़कर :—
- (क) धारा 56 में वर्णित आदेश; या
- (ख) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित आदेश; या
- (ग) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश; या
- (घ) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित आदेश; या
- (ङ) धारा 48-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत पारित अभिग्रहण आदेश; या
- (च) धारा 48-क की उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश ;

आदेश की प्रति की तामीली किए जाने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा।”

- धारा 53 का संशोधन 12. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—
- “(1) धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश, या धारा 43-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।
- स्पष्टीकरण :-** इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।”
- धारा 56 का संशोधन 13. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—
- “अधोलिखित के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं होगा।
- (क) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये जाँच प्रारम्भ करने हेतु धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जायेगा; या
- (ख) धारा 42 या धारा 43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही; या
- (ग) धारा 43-क की उपधारा (2)(क) या उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय; या
- (घ) धारा 43-क की उपधारा (5) के अधीन पारित अभिग्रहण आदेश या अर्थदण्ड का नोटिस या अर्थदण्ड के लिये जारी नोटिस; या
- (ङ) धारा 43-क की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश; या

- (च) धारा 25 की उपधारा (4) या धारा 25 की उपधारा (9) (ग) के अधीन पारित आदेश; या
- (छ) धारा 48 की उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या
- (ज) धारा 48-क की उपधारा (2)(ख) या उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या
- (झ) धारा 48-क की उपधारा (5) के अधीन जारी अर्थदण्ड का नोटिस; या
- (ञ) धारा 48-क की उपधारा (6) के अधीन पारित वाहन के अभिग्रहण का आदेश।”

धारा 58 का
संशोधन

14.

मूल अधिनियम की धारा 58 में -

(क) उपधारा (1) के खण्ड (उन्नीस) के अपराध एवं दण्ड के प्राविधान हटा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (तेइस) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :-

“(बीस) धारा 50 के अधीन स्थापित जॉच (बीस) रूपये दस हजार से चौकी अथवा नाके पर अथवा किसी अनधिक धनराशि अन्य स्थान पर धारा 42, 43, 43(क), 48(क) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को जॉच के लिये रोकने या खडा करने से इन्कार करता है या असफल रहता है।

(इक्कीस) धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार ट्रांजिट पास तैयार करने, प्रस्तुत (submit) करने अथवा साथ रखने में असफल रहता है, अथवा उसे धारा 50-क के प्राविधानों के अनुसार परिदत्त नहीं करता है।

(इक्कीस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो।

(तेइस) किसी यान के स्वामी या संचलन में माल के स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी

(तेइस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के

स्थिति हो, द्वारा राज्य के अन्दर से होकर माल के अभिवहन के लिये ट्रांजिट पास तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने के बाद, धारा 50-क के अधीन स्थापित जॉच चौकी के प्रभारी अथवा धारा 42 या धारा 43 में सशक्त अधिकारी के समक्ष माल सहित ट्रांजिट पास की प्रतियां प्रस्तुत(produce) नहीं करता है अथवा धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जा चुका है।

अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो।”

धारा 59 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 59 में -

- (क) उपधारा (10) में आए शब्द “दूसरे ब्यौहारी को” हटा दिये जायेंगे;
 (ख) उपधारा (10) के खण्ड (क) में शब्द “चालान” के पश्चात शब्द “प्रत्येक क्रमांकित” संख्या एवं जारी करने की तारीख सहित,” अन्तर्विष्ट कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
 अजय चौधरी,
 अपर सचिव।

No. 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012
 Dated Dehradun, June 13, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2012’ (Adhinyam Sankhya 09 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 June, 2012.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 09 of 2012)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty third year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its notification by the Government in official gazette and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of Section 2 2. In the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the "Principal Act"-

(A) For the existing sub-section(7) of section 2, the following sub-section shall be substituted; namely-

(7) Casual dealer:

"Casual dealer" means a person who whether as principal, agent or in any other capacity, undertakes occasional transactions involving buying, selling, supplying or distributing goods or conducting any exhibition-cum-sale in the State of Uttarakhand, whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration, for a period not exceeding 60 days at a time or such other period as may be **prescribed** and includes,

(a) a transporter as defined in sub-section(49) of section 2 or a transporting agent, whether he has fixed place of business in Uttarakhand or not, who, while holding goods in custody for any person before or after their transportation, or while carrying goods in his vehicle, fails to disclose the name and address of the consignor or consignee in Uttarakhand or fails to furnish a copy of invoice, challan, goods receipt (G.R)/bilty or consignment note or document of like nature in respect of such goods, or

(b) an owner or lessee or occupier of a warehouse who fails to disclose the name and address of the owner of any goods stored at his warehouse or fails to satisfy that such goods are for his personal

use or consumption, and such transporter, transporting agent or owner or lessee or occupier of a warehouse, shall be deemed to have purchased such goods on his own account.

(B) After existing sub-section (13) of section 2, the following sub-section (13A) shall be added; namely-

(13A) Document of Title :

“Document of Title” means, any document which confers a title of goods and includes a bill of lading, dock warrant, goods receipt/ bilty, railway receipt, warehouse keeper’s certificate, warrant or order for the delivery of goods and any other like document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or to receive goods thereby represented.

(C) For the existing sub-section (16) of Section 2, the following sub-section shall be substituted; namely-

Importer:

“Importer” in relation to any goods means a dealer who brings or receives any goods into the State from any place outside the State and includes a dealer-

(i) who makes first sale of any goods brought or received into the State from any place outside the State; or

(ii) who receives any goods into the State on behalf of any other persons from any place outside the State; or

(iii) on whose behalf any goods are received into the State from any place outside the State by any other person;

(D) After the sub-section (16) of Section 2, the following sub-section(16A) shall be added; namely-

(16A) Import :

“Import” means bringing or receiving of goods. into the State from outside the State or from outside the country, as a result of purchase or otherwise.

(E) After the sub-section (57) of Section 2, the following sub-section(58) shall be added; namely-

(58) Web site :

“Web site” means, world wide web of the department of commercial tax, Uttarakhand with domain “uk.nic.in” and with address http://comtax. uk.gov.in” or any other website as may be notified by the Commissioner.

Amendment of Section 4 3. After the existing section 4 of the “Principal Act”, the following section 4A shall be added; namely-

4A. Levy of tax by weight volume, measurement or unit on certain goods :

Notwithstanding anything contained in Section 3 and Section 4, the State Government may, by notification, fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain goods or a class of goods in respect of a specified area or whole of the State, on the basis of weight, volume, measurement or unit, and subject to such terms and condition as may be notified.

Amendment of Section 35 4. In section 35 of the “Principal Act”, for the words “an amount equal to four percent” occurring in line no. 7 of sub-section (1) of section 35, the words “an amount equal to six percent” shall be substituted.

Amendment of Section 42 5. After the existing section 42 of the “Principal Act”, the following section (42A) and (42B) shall be added; namely-

42A. Documents to be carried and information to be given regarding goods in movement :

The owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, who **intends the movement of goods**, exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf shall, before movement of goods prepare such documents containing such information in this regard as may be, **prescribed** and submit such information to such authority in such form and manner within such time as may be, **prescribed** and during the movement of goods shall carry with him such document and invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents .

42B. Control on clearing, forwarding or booking agent and any person transporting goods:

- (1) Every clearing, forwarding or booking agent or broker or any other person transporting goods, who in the course of his business handles documents of title to goods or **transports goods or takes delivery of goods** for or on behalf of a dealer or a person **and having his place of business in the State** shall, furnish information about his place of business in the State and also about vehicles or carriers owned or hired by him for transportation of goods to such authority in such form and manner and within such time as may be **prescribed**.
- (2) Every such agent or person referred to in sub-section (1) shall maintain true and complete record of the goods transported, delivered, or received for transport, containing such information as may be **prescribed** and the copy of documents of title relating thereto and shall furnish true and complete particulars and information relating to the transaction of goods of any dealer or person to the officer who is **authorized** for this purpose by the commissioner in such form and manner within such time as may be **prescribed** and shall produce the said record and the documents before such officer as and when required.
- (3) Any agent or person referred to in sub-section (1) who contravenes the provisions of the said sub-section (1) or sub-section (2), the authority referred to in sub section(1) or (2) may, after giving such agent or person an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding one thousand rupees for the first contravention and if the contravention is continuing one with a penalty not exceeding two hundred rupees for everyday during which the offence continues.
- (4) Any agent or person referred to in sub-section (1) does anything directly or indirectly, which results in evasion of tax or would have resulted in evasion of tax if such evasion was not detected and prevented in time, the **prescribed** authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding forty percent of the value of such goods involved in the transactions of a dealer or a person

or three times the tax, leviable on such goods, which appears to have been evaded or so sought to be evaded, whichever is higher. In such case, the agent or person referred to in sub-section (1), notwithstanding anything contained in this Act, shall be deemed to be a dealer and he shall also be liable to pay the tax so evaded or so sought to be evaded. The penalty and tax so imposed shall be without prejudice to his liability under any other provision of this Act or under any other law for the time being in force.

Explanation:

(i) "Clearing, forwarding, booking agent or broker" shall include a person who renders his services for clearing, forwarding or booking of or taking delivery of consignment of goods at railway premises, air cargo complex, containers depot, booking agency, goods transport company office or any place of loading or unloading of goods or contrives, makes and concludes, bargains and contracts for or on behalf of any dealer for a fee, reward, commission, remuneration or other valuable consideration or otherwise. and;

(ii) "Person transporting goods" shall, besides the owner, include manager, agent, driver, employee of the owner, a person in-charge of a place of loading or unloading of goods or in charge of a goods carrier carrying such goods for dispatch to other places or gives delivery of any consignment of such goods to the consignee.

(5) Notwithstanding anything contained in Section 51, any person aggrieved by order of penalty passed under sub-section (3) or sub-section (4) of this section may, within 60 days from the date of service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed. Provided that such appeal shall lie only if the proof of deposit of 50% of the amount of penalty, imposed under sub-section (3) or 25% of the amount of penalty imposed under sub-section (4) of this section is submitted.

Amendment of Section 43 6. After existing section 43 of the "Principal Act", the following section 43A shall be added; namely-

43A. Movement of goods within the State or from State to outside the State :

(1) Notwithstanding any thing contained in section-43 the owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be (**hereinafter referred to as the transporter**), who intends the movement of goods exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf, from any place in the state to any place outside state or from any place in the state to any other place in the State or from any place in the state to any other place in the State passing through any other State, **before movement of goods**, shall prepare information in this regard in the **prescribed** Form [hereinafter called the "Lorry Challan"] containing individual serialized number, the name and complete address of the consignor and consignee, quantity and description of goods, details of invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents in respect of such goods and other information, in a manner. as may be **prescribed** :

Provided that the Govt., by a Notification, may provide for the submission of "Lorry Challan" to the **prescribed** authority before the movement of goods, in such form and in such manner, including online manner, as may be **prescribed** in the Notification.

(2)(a) The **transporter** shall carry with him, the copy of such "Lorry Challan" duly signed by him and copy of other such documents and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

Provided that where the goods are transported from one place to another falling within the same local area of the state the commissioner may relax the condition of carrying "Lorry-Challan" or documents of title to goods with certain conditions and restrictions as it may deem fit. Here the "local area" means the local area as defined in section-2 of Uttarakhand Entry Tax Act, 2008.

- (b) The **transporter** shall preserve the copy of such "Lorry Challan" for such period as may be **prescribed** and produce them whenever so required, **failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each "Lorry Challan"**.
- (3) Where the goods are for personal use or consumption and such goods are transported by any person in his personal vehicle, such person need not prepare or carry "Lorry Challan"
- (4) The officer, referred to in preceding sub section, if after making search or inspection, is satisfied that;
- (i) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without preparing or submitting "Lorry-Challan" in the **prescribed** form and manner; or without carrying copy of such Lorry-Challan; or
- (ii) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without carrying invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents in respect of such goods.
- (iii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the Lorry-Challan; it may,
- (a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
- (b) order **detention** of such vehicle along with the goods.
- (5) (a) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without submitting Lorry Challan in the **prescribed** Form and manner or without carrying Lorry Challan or other **prescribed** documents and that, such goods are;
- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption;

it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under the Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-43 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.

(b) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported alongwith the copy of the Lorry Challan in the prescribed Form and manner, but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Lorry-Challan" and that, such goods are

(i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4 ;
and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption;

it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-43, the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods :

Provided that, Govt. may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 43(5) or Section 43(7) the penalty or an amount sufficient to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b). regarding the same goods :

Provided further that the State Government may by

Notification increase the amount of penalty **provided under this sub-section.**

Explanation-

for seizure and other actions regarding the goods referred to in this section, the provisions of section 43 shall mutatis- mutandis apply.

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that vehicle be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.
- (8) Notwithstanding anything contained in section (51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under sub section (5) or order for security passed under sub-section (7) shall lie, unless the proof of deposit of entire amount of penalty or security as the case may be, is submitted.

Deletion of section 47 7. Section 47 of the "Principal Act" shall be deleted.

Amendment of Section 48 8. For the existing section 48 of the "Principal Act", the following section shall be substituted and a new section 48A shall be added: namely-

48. Import of Goods into the State against Declaration:

- (1) Any person or dealer (hereinafter in this Section referred to as importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State, any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of sub-section-(2) of section-4 exceeding such quantity or measure or of

such value as may be notified by the state Government in that behalf, shall obtain the **prescribed** form of declaration or certificate from his assessing authority;

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the **prescribed** form of certificate.

provided further that in case of the class of assesses, **authorized** by the commissioner Commercial Tax, may themselves download the declaration form of the series and serial no. as **prescribed** by the Commissioner, Commercial Tax and may use them in accordance with the Act and the rules made there under.

(2) Where such goods are to be consigned by road:

(a) The importer shall furnish to the consignor the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him, and the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consignor in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed and shall produce the copies of such declaration and such documents if so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section-42 at any place.

(b) the importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be **prescribed** and produce them before the assessing authority in a manner and within a time as may be **prescribed** by the Commissioner.

(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the **prescribed** form duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised by the Commissioner in this behalf in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner.

(4) Where any person intends to bring, import or otherwise receive in the State from any place outside the State, any goods referred to in sub-section (1) otherwise than in connection with business and

obtains the prescribed form of certificate, the provision of sub-section (2) and sub-section (3) shall, mutatis mutandis apply as if the word "certificate" is substituted for the word "declaration" used therein.

(5) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place, and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name address and the names and addresses of the owner or hirer of the vehicle and of the consigner and consignee of the goods.

(6) Where the officer making the search or inspection under this Section finds any person or dealer importing or attempting or abetting to Import any goods to which this section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections, it may;

(a) direct the person referred to in above sub section not to part the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) order detention of such goods and if, for reasons to be recorded, is satisfied, after giving the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, an opportunity of being heard, that such goods were being so Imported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order **seizure** of such goods.

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him, and a copy thereof shall be given to the person from whom goods have been seized.

- (7) The officers seizing the goods under sub section (6) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso of sub section(6) along with other document relating to the seizure, to the assessing officer concerned.
- (8) If such assessing officer, after taking into consideration the explanation, if any of the owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be and after giving an opportunity of being heard is satisfied that the goods were imported or abetted to import in contravention of the provisions of this section in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, it shall pass an order imposing penalty not exceeding forty percent of the value of such goods involved or three times the tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher. The order of such penalty shall be properly served.
- (9) The officer seizing the goods shall serve on the person referred to in the above sub section, an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the goods so seized shall be released.
- (10) Notwithstanding anything contained in sub-section (9), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that the goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash, as he may deem fit.
- (11) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (9) shall be deposited in the prescribed manner within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing the penalty. In default, the Assessing Authority shall cause the goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply sale proceed thereof toward the penalty and, subject to the provisions of Section 36, refund the balance, if any.

(12) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred in sub-section (7) to the Assessing Authority at any time thereafter, is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the Assessing Authority, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses and tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded.

(13) If the amount deposited under sub-section (9) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (8), the excess amount so deposited shall be refunded in accordance with the provisions of Section 36

Explanation -1

For the purpose this chapter the person-in-charge of the vehicle shall include the owner of the vehicle and the hirer of the vehicle as the case may be.

Explanation -2

For the purpose of this chapter "goods in movement" means.

- (a) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
- (b) the goods which are being carried in a vehicle belonging to the owner of such goods; and
- (c) the goods which are being carried by a person.

48A. Transport of goods into the State against "Trip Sheet"

(1) Notwithstanding any thing contained in section-48 with a view to ensure that there is no evasion of tax payable under this Act the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, (hereinafter referred to as the **transporter**) who intends to transport into the State from any place outside the State, any goods exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf, before entering into

the state shall prepare and submit online information in a prescribed form (hereinafter called "Trip-Sheet") in such manner and within such time as may be prescribed.

provided that in certain circumstances, online submission of "Trip-Sheet" may be relaxed by the Commissioner for a specified period.

(2) Where such goods are transported into the State by road;

(a) the transporter shall carry with him, the copy of such "Trip-Sheet" duly filled and signed by him and other documents as may be prescribed and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods, the "Trip-Sheet" and the other documents.

(b) The transporter shall preserve the copy of such "Trip-Sheet" for such period as may be prescribed and produce it whenever so required, failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each "Trip-Sheet".

Explanation:-

In the circumstances where online submission of "Trip-Sheet" is relaxed, the provision of preparation of "Trip-Sheet" before entering into the State and provision of carrying it during transportation shall remain effective.

(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them need not submit "Trip-Sheet".

(4) The officer referred to in clause (a) of sub-section (2), if after making search or inspection is satisfied that;

(i)- the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this Section applies without submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner; or without carrying the copy of such "Trip-Sheet"; or

(ii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the "Trip-Sheet" it may,

- (a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
- (b) order detention of such vehicle along with the goods.
- (5) (a) if, **at any stage**, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner or without carrying copy of such "Trip-Sheet", and that, such goods **are**;
- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and
- (ii) such goods were not meant for personal use or consumption;
- it shall be deemed that such goods were so transported by **the transporter** in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-48 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.
- (b) if, **at any stage**, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported **alongwith the copy of the Online submitted "Trip-Sheet"**, but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Trip-Sheet" and that, such goods are
- (i) **the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and**
- (ii) **such goods were not meant for personal use or consumption, it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-48 the transporter shall be**

liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.

Provided that, Govt. may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 48(8) or Section 48(9) the penalty or an amount sufficient to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b), regarding the same goods.

Provided further that the State Government may by Notification increase the amount of penalty **provided under this sub-section.**

Explanation-

for the seizure and other action, regarding the goods referred to in this section, the provisions of section (48) shall mutatis-mutandis apply

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that vehicle be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.
- (8) Notwithstanding anything contained in section(51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under subsection(5) or order for security passed under subsection (7) shall lie, unless the proof of deposit of entire amount of penalty or security, as the case may be, is submitted.

Amendment of Section 49 9. For the existing section 49 of the "Principal Act", the following section shall be substituted; namely-

49. Import of Goods into the State by Rail, River, Air, or Post(Substituted):

(1) Where any goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 4 exceeding such quantity, measure or value as may be notified with reference to sub-section (1) of Section 48, are consigned by rail, river, air or post from any place outside the State, the importer shall not—

(a) obtain or cause to be obtained delivery thereof, unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorised in this behalf by the Commissioner a declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer; and

(b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, air port or post office. as the case may be, unless a copy of declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods :

Provided that if a registered dealer, before obtaining the delivery or causing to obtain delivery of the goods has online submitted the information, regarding the goods in a form prescribed by the Commissioner on the official website of the department and the to e-generated hard copy of such information is being carried during the movement of goods the dealer shall be deemed to have complied with the requirement, of endorsement of declaration form, made above.

(2) The provisions of sub-section (5), (6) and sub-section (7), (8), (9), (10),(11), (12) and (13) of Section 48 shall mutatis mutandis apply in respect of goods consigned by rail, river or post as they apply to import of goods by road under that Section.

Amendment of Section 50 10. For the existing section 50 of the "Principal Act", the following section shall be substituted and a new sub-section 50A shall be added; namely-

50. Transit of Goods by Road through the State against "Transit-Pass"

(1) Where a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, carrying goods referred to in sub-section (1) of Section 48 passes through the State, the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be before entering into the state shall prepare and submit online declaration containing all the information regarding the goods, the vehicle, the document of the title to the goods/ GR/ bilty and the movement of goods and other information as required in the Form (hereinafter called "Transit-Pass") as may be prescribed by the Commissioner, complete in all respect in such manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner. The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be while carrying such goods shall carry with him two copies of such "Transit Pass" duly signed by him, the document of the title to the goods/GR/bilty and invoice/bill or challan/ like document and after his exit from the state shall submit online declaration containing the description of the proof of crossing the state or reaching the other state and other information in a form, manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner, and shall also submit, the satisfactory proof of crossing the State or reaching the destination State to such officer as may be authorised for this purpose by the Commissioner whenever so required by such officer failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State :

Provided that where the goods carried by such vehicle are.

after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that the goods have actually moved outside the State shall be on the person-in-charge of the vehicle for which transit pass was prepared and submitted :

Provided further that in certain circumstances, online submission of "Transit-Pass" and of information regarding exit from the state may be relaxed by the Commissioner for a specified period :

Provided further that with a view to ensure that there is no evasion of tax the vehicle, referred to in this section shall enter into and exit from the State only from such places as notified by the Commissioner.

Explanation:-

In the circumstances where online submission of Transit Pass is relaxed, the provision of preparation of Transit Pass before entering into the State and the provision of carrying it during transportation shall remain effective. In such case before exit from the State the vehicle along with the goods shall be stopped at a place notified by the Commissioner and the copy of Transit Pass be submitted to the officer so authorised for this purpose by the Commissioner at a place notified by the commissioner, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State.

- (2) In such a case as referred to in the above sub section the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be shall jointly and severally be liable to pay tax on such presumed sale of goods and also for payment of amount of penalty that may be imposed under the provisions of this Act.
- (3) Every person for whom a presumption under sub-section (1) exists that the goods have been sold within the State, such person/s. shall

be assessed to tax on the goods covered by each Transit-Pass separately by the officer authorised for this purpose by the commissioner :

Provided that this provision shall apply only to the cases of assessment arising after the date of commencement of this provision :

Provided further that no order of assessment or penalty under this section shall be passed until a reasonable opportunity of being heard is given.

50A. Erection of barrier for certain period :

With a view to prevent or check evasion of tax payable under this Act or to ensure the compliance of the provisions of this chapter, Commissioner may, in certain circumstances, by an administrative order setup check posts or erect barriers at such place or places which it deems fit by issuing an administrative order and the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be, before crossing such check-post or barrier shall stop the vehicle and produce before the officer authorised by the commissioner for this purpose, the documents which are required to be carried with the goods in accordance with the provisions of this chapter, and allow the officer to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

Provided that, notwithstanding anything contained in sec-50, where the check post or barrier has been setup under this section at a place near the place of exit of the vehicle from the State, the two copies of the "Transit Pass" shall be produced before the check post officer, out of which one copy shall be returned by the officer as a proof of exit of the vehicle from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried by such vehicle have been sold within the State :

Provided further that the Commissioner shall not setup any

check post or erect barriers for more than three month at a time :

Provided further that the commissioner shall get such an administrative order issued for setting up of such check post or erecting barriers, ratified by the Government

Amendment of Section 51 11. For the existing sub-section (1) of section 51 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely-

(1) First Appeal:

Any dealer or other person aggrieved by an order made by the Assessing authority or by an officer in charge of tax audit or any order passed under sub section (3) or sub-section(4) of section 42(B) other than,

(i) an order mentioned in section 56, or

(ii) an order passed under sub-section (8) of section 43, or

(iii) an order passed under sub-section (7) of section 43(A), or

(iv) an order passed under or sub-section (10) of Section 48; or

(v) an order of seizure passed under sub- section (5) of section 48(A); or

(vi) an order passed under sub-section (6) or sub-section (7) of section 48(A) may; within sixty days from the date of the service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed, and shall also serve a copy of the Memorandum of Appeal on the assessing authority.

Amendment of Section 53 12. For the existing sub-section (1) of section 53 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely-

"(1) Appeal to the Appellate Tribunal:

(1) Any person aggrieved by an order passed under section 51 (other than an order referred to under sub-section (2) of that section), under section 52, or under section 76, or a decision under section 57; or a direction under sub-section (8) of section 43; or an order passed under sub-section (7) of section 43(A); or an order passed under sub-section(10) of section 48; or an order passed under sub-

section (7) of section 48(A) may; within ninety days from the date of service of the copy of such order, decision or direction on him, prefer an appeal to the Tribunal:

Explanation:

For the purpose of this sub-section, the expression "any person" in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner includes the Commissioner and, in relation to any order passed by the Commissioner includes the State Government."

Amendment of Section 56 13. For the existing section 56 of the "Principal Act", the following section shall be substituted; namely-

56. Orders against which No Appeal or Revision shall lie:

No appeal and no application for revision shall lie against-

- (a) an order or notice under section 24, section 25, section 26 and section 29 initiating an enquiry for assessment or reassessment;
- (b) an order or action under section 42 or sub-section (1), sub-section (2), sub-section(4), sub-section (7) of Section 43;
- (c) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section (4) of Section 43-A; or
- (d) an order of seizure passed or a notice for penalty issued under sub-section (5) of Section 43-A; or
- (e) an order passed under sub-section (6) of Section 43-A
- (f) an order under sub-section (4) of Section 25 or clause (c) of sub-section (9) of Section 25.
- (g) an order or direction passed under sub-section (5), sub-section (6) and sub-section (9) of section 48; or
- (h) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section (4) of Section 48-A; or
- (i) a notice for penalty under sub-section (5) of section 48A; or
- (j) an order of seizure of vehicle passed under sub-section(6) of section 48A.

Amendment of 14. In section 58 of the "Principal Act"-

Section 58 (a) Offence and Penalty provision of clause (xix) of sub-section (1) shall be deleted.

(b) For the existing clauses (xx), (xxi) and (xxiii) of sub-section(1), the following clauses shall be substituted; namely-

Section 58(1)

Offence

(xx) Fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle for checking at a check post or barrier u/s 50-A or at any other place when so required to do so by an officer empowered u/s 42,43,43-A, 48 or 48-A

(xxi) Fails to prepare, submit or carry the "Transit Pass" as per provision of section-50 or to deliver the same as provided in section 50A

(xxiii) the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement , as the case may be, after preparing or submitting "Transit Pass" for transit of goods through the State, fails to produce copies of the "Transit Pass" along with goods before the officer in-charge of the check-post setup u/s 50-A or before the officer empowered u/s 42 or 43 or fails to

Section 58(1)

Penalties

(xx) A sum not exceeding ten thousand rupees.

(xxi) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher.

(xxiii) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher.

prove that the goods have been carried outside the State as per provisions of Section 50;

Amendment of 15. In section 59 of the "Principal Act"-

Section 59

- (a) The words "to another dealer" occurred in sub-section (10) shall be deleted.
- (b) In clause (a) of sub-section (10), after the words "challan" the words "containing an individual serialized number and date of issue" shall be inserted.

By Order,

AJAY CHAUDHARY,
Additional Secretary.